GOVERNMENT OF INDIA(भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

****

No.2014/TG-I/23/PRS Terminal **New Delhi, dated 08 .08.2014**

General Managers,
All Zonal Railways.

Managing Director,
CRIS, Chanakyapuri,
New Delhi

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 33 OF 2014)

Sub: Introduction of scheme for establishment and operation of Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK)

With a view to expanding the facilities for issue of tickets (both reserved and unreserved) it has been decided to allow public private partnership in establishment and operation of computerised PRS-cum-UTS terminals at centres which shall be called Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK). A copy of detailed scheme is enclosed.

2. It is desired that necessary action may be taken to open such Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK) on Zonal Railways as per the terms and conditions indicated in the scheme. The standard agreement format shall be circulated shortly.

3. CRIS will make necessary modification in the software.

4. This issues with the concurrence of Finance & Accounts Directorates of Ministry of Railways.

8/8/14
(Dr. S.K. Ahirwar)
DTC(G)/Railway Board

8/8/14
(Manoj Kumar Dubey)
DF(C)/Railway Board

08/08/2014
(Vivek P Tripathi)
DF(A)/Railway Board

DA: As above.

Copy to:

1) CCMs, CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2) FA & CAO/All Zonal Railways, Director (Audit)/All Zonal Railways.
3) ADG/PR, EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
4) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
5) General Manager/PRS, General Manager/UTS, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
6) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
7) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
8) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
9) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
10) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
11) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
12) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
13) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
14) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

****

DA: As above.

SCHEME FOR ESTABLISHMENT AND OPERATION OF YATRI TICKET SUVIDHA KENDRA (YTSK)

1. INTRODUCTION:

The Government of India shall allow private participation in the establishment and operation of Computerized Passenger Reservation System (PRS) cum Unreserved Ticketing System (UTS) terminals through the participants selected by a procedure elucidated in the succeeding paras. Such ticketing centres shall be called as **Yatri Ticket Suvidha Kendra(YTSK)**

2. PROCEDURE FOR ESTABLISHING YTSK:

Application shall be called for from all the authorised ticketing agents including RTSAs and RTAs of Indian Railways who fulfill the following criteria:

(i) the applicant should have worked as authorised ticketing agent providing railway ticketing (reserved/unreserved) services for passengers of Indian Railways for at least five years;

(ii) the applicant should have a Permanent Account Number (PAN) issued by Income-tax authorities and should have filed Income Tax return during the last three years;

(iii) the applicant should have an office and premises outside the railway station premises equipped with adequate infrastructure. The applicant should have obtained all necessary and mandatory clearances regarding the premises from the appropriate local authorities. Such premises need to be properly maintained with adequate conveniences and amenities in the vicinity so as to accommodate the visit of sufficient number of customers; and the licensee shall not reduce the facilities or shift this office to any other location without the prior written approval of the Railway administration.

(iv) the applicant should not have been convicted in a criminal case involving moral turpitude.

(v) while working as an agent of Indian Railway's ticketing system, the applicant's licence should not have been terminated in the past on account of irregularities or violation of the agreement or any of the rule(s) of Indian Railways.

2.1 All such applications received from the authorised agents of ticketing services of Indian Railways shall be screened for fulfilment of laid down criteria and selected by a committee of three member of Jr Administrative Grade, which will include one member each from Commercial and Finance.

--2/-

3. TERMS AND CONDITIONS FOR ESTABLISHING YTSK

3.1 Each selected licensee will be given facility of operating upto four terminals. However, the limit on numbers of counters to be given to a licensee can be increased by Indian Railways if found necessary.

3.2 The cost of establishing, operating, maintaining and periodic system upgradation of hardware/software required at such reservation centres shall be borne by the licensee. Any default/non compliance may invite temporary suspension of access to the PRS/UTS system or even termination of the licence if the licensee refuses to undertake necessary upgradation.
3.2.1 The terminals, PCs, ticket printers, modems and multiplexers etc., may be provided and maintained by the railways through an authorised agency or may be purchased and maintained by the licensees. In case if any of these items as per prescribed specifications are procured by the licensees themselves, the officers of Railways nominated will inspect the Hardware for certification. In case any of these items are supplied and maintained by the railways, the cost as fixed by the Railways will be borne by the licensees. In this case, the licensee will give access to their premises for the railway's authorised maintenance agency to maintain equipments as prescribed for in this agreement. The decision on maintenance charges fixed by the Railways will be final and licensee will not dispute the same. The licensee can also undertake maintenance of hardware through their own Engineers. However, equipments purchased by the licensee will be maintained by the licensee only.

3.3 The licensee will hire and maintain two numbers of data/communication channels between his location and the nearest computerised PRS centre of the Railways.

3.4 The licensee will set up an office and set up counters on the pattern and standard at par with computerized PRS centres of Indian Railways. The cost and rental of premises (if any) will be borne by the licensee only.

3.5 The licensee shall pay system access charges of Rs.1.6 lakhs per terminal per annum. These shall be paid by the licensee in advance. The system access charges may be revised by Indian Railways from time to time.

3.6 The licensee will engage their own staff at their own cost for running such ticketing centre(s).

3.7 The Railway will supply, free of cost, only PRS tickets rolls of different colour after due accountal. Detailed procedure order for issue and accountal of PRS ticket rolls will be as per model agreement to be issued by Railway Board. However, the licensee will bear the cost of non-ticketing stationery.

3.8 The licensee will ensure safe custody of PRS ticket rolls/tickets. Loss/misuse of PRS ticket rolls/tickets will invite penalty as fixed by the Railway administration for recovery of pecuniary loss suffered by the Railways.

3.8.1 As per extant Rules, for loss of PRS ticket rolls/tickets, debit equivalent to fare of the farthest distance by highest class of train for six adult passengers per ticket lost, shall be raised. In case of loss/misuse UTS tickets, the debit will be raised at the

--3/--

Vw 8/8 MGM 8/8 [signature] 8/8

rate equivalent to 2nd class Mail/Express fare of four adult passengers for farthest destination in the system.

3.9 Enquiry services to passengers shall be provided by these licensees free of cost.

3.10 Railway administration reserves the right to regulate the access of the licensee to the system for a particular class, train or route in public interest and/or national security reason.

4. TIMINGS OF OPERATION:

- The timing of operations of terminals in the premises of licensees for general reservation shall be from 0900 hours to 2200 hours on week days and from 0900 hours to 2000 hours on Sundays for booking general PRS and UTS tickets.
- The booking hours for Tatkal tickets will start from 11:00 hours at these centres or as per timings specified by Ministry of Railways from time to time.
- The operating hours of the terminals may be reduced by the licensee to enable closure before the timings indicated above. However, this should be done only with prior information by the licensee to railway administration. The licensee will display prominently the working hours of ticketing related services in the ticketing area of the YTSK.

5. ADVANCE DEPOSIT, BANK GUARANTEE, SECURITY DEPOSIT AND LICENCE FEE

5.1 **Registration Fee:** Licensee shall pay a one time non-refundable registration fee of Rs.5 lakh upon allotment of licence.

5.2 **Advance Deposit:** The licensee would be required to deposit a minimum amount of Rs.5 lakh per counter with the Railways in advance and shall be allowed to issue tickets only up to Rs.4.5 lakh per counter, i.e., the licensee can issue the tickets up to an amount which is Rs 0.50 lakh per counter short of the deposit available with the Railways. The issue of ticket shall automatically stop as and when the amount of the tickets issued by him reaches Rs. 4.50 lakh per counter. This feature shall be in-built in the software. The licensee can deposit up to a maximum value of Rs.1 crore for this purpose.

5.3 **Security Deposit/Bank Guarantee:** The licensee would be required to keep an interest free security deposit of Rs. 2 lakh per port subject to a maximum of Rs. 5 lakh with the Railways. Such security deposit can be in the form of a bank guarantee by a scheduled bank or in the form of a cash deposit/cheque/demand draft with the railways. This security deposit shall be liable to be forfeited in the event of breach of any of the clauses of the Agreement.

--4/-

6. REVENUE SHARING

The licensee shall share the revenue which is essentially the service charges levied on the customer for the booking or cancellation of tickets. The licensee shall share 25% of the service charges levied on the customer for booking/cancellation of reserved tickets.

(i) 25% of the service charges collected by the licensee from the passengers shall be credited to Railways account at the time of booking/cancellation of reserved tickets.
(ii) Licensees shall levy one rupee per passenger as service charges on booking of unreserved tickets by the customers which is at par with the charges levied by JTBS. There shall be no revenue sharing arrangement in case of tickets sold through unreserved ticketing system.
(iii) The service charges so collected by the licensee on account of selling unreserved UTS tickets shall be entirely retained by the licensee.
(iv) This revenue sharing model shall be applicable for one year. After the period of one year, the Indian Railways shall review the revenue sharing formula based on the response to the scheme and the volume of business generated under the scheme.
(v) The efficacy of the system of revenue sharing should be reviewed every quarter jointly by Accounts and Commercial Departments to ensure that due revenue share accrues to Railways.

7. TENURE OF THE LICENCE

The initial tenure of the licence shall be for a period of 3 years. The licensee shall pay licence fee @ Rs. 5,000/- per counter per annum to Indian Railways. The licence can be renewed for one year at a time after expiry of its existing tenure subject to the satisfaction of the competent authority and as per the extant policy prevalent during the period of renewal.

8. SERVICE CHARGES (COMMISSION)

The Commission/Service Charge will be charged as notified by Indian Railways from time to time. To start with, the Service Charge shall be Rs 30/- per passenger for 2S and Sleeper classes and Rs 40/- per passenger for all other classes. The commission/service charge shall be printed on the ticket(s).

8.1 The service charges for cancellation shall be 50% of the charges prescribed for booking.

8.2 The licensee shall display the information regarding the opening and closure timings of the YTSK and the rate of service charges for different class of passengers at prominent locations bilingually.

9. GUARD AGAINST MALPRACTICES

9.1 Adequate system security provisions shall be in-built in the system to preclude the possibility of disruption by virus/unauthorised access etc.

9.2 In order to guard against malpractices, the facility of block booking, modification, change of name, age, sex, etc. will not be permitted. However, the facility of postponement/advancing of ticket will be available.

9.3 The licensee will be allowed to cancel only the tickets issued by the YTSK licensee. However, the YTSK tickets can be cancelled at PRS centres also.

9.4 The cancellation charges will be credited to the Railways but the licensee will be allowed to charge commission for cancellation from the passengers at the rate fixed by the Railways in terms of para 8.

9.5 These licensees will not deal with any type of concession vouchers, etc.

9.6 A separate code number will be allotted to these licensees and the code number will appear on the ticket itself. There will be two passwords, one supervisory password which will be controlled by the Railways and the other, operator password, which will be controlled by the licensee.

9.7 The colour of ticket roll issued to licensees will be distinct.

9.8 The fare value, the service charges, etc. realised will appear on the ticket to avoid over-charging by the licensee. In case of cancellation, the cancellation charges payable to Indian Railways and cancellation commission payable to the licensee shall be indicated on the cancellation ticket.

9.9 Any case of violation of provisions of the agreement or the rules of Indian Railways by the licensee would invite deterrent punishment by way of penalties which may include termination of licence after due notice.

10. MAINTENANCE OF REGISTERS, SUBMISSION OF RETURNS AND CHECKS BY ACCOUNTS & COMMERCIAL OFFICERS, ETC.

10.1 Railway Administration will prescribe the statements/returns to be submitted by the licensees to the Railways. The details of these returns, periodicity of these reports/returns will be as specified in the model agreement to be issued by Railway Board.

10.2 Licensee shall maintain all the registers/books and returns as required under the scheme. In addition, he shall also be asked to maintain such documents/registers as are considered necessary by the Railway Administration for verification purpose.

10.3 Statements of Refund (Cancelled) tickets and non-issued ticket for above terminals must reach the Traffic Accounts office next working day without fail.

10.4 The balance sheet and passenger classification for the privately owned terminals must be signed by the authorised licensee and his authorised signatory(ies) whose signatures must be available in the Traffic Accounts office. These must be submitted regularly in Traffic Accounts office of the concerned Zonal Railway.

--6/-

Mon 8/8

10.5 Railway Administration shall have the right to inspect the office of the licensee at any time during the business hours and for this purpose, Railway Administration may depute any person as deemed fit. In order to maintain vigil on any spurious elements tending to indulge in malpractices at these centres the Licensee shall make provision of CCTV/IPTV at the YTSK (s). The footages of CCTV/IPTV shall be preserved for at least one month and access to such data shall be provided to inspection official(s) on demand.

10.6 Performance of service being rendered by the licensee shall be reviewed from time to time by conducting surveys and by visits and inspection of Commercial and Accounts officers, etc. However, regular inspections at prescribed periodicity should be conducted by CMI/TIA whose names would be advised by Railways in advance.

10.7 The licensee shall be subjected to all the supervisory checks carried out for Railway PRS terminals or any supervision provided for internet system.

10.8 Fortnightly statements of tickets issued by the licensees would be analysed by the Railways with a view to ascertain if any unusual pattern of issue of ticket by the particular licensee is indicated.

10.9 In case the YTSK scheme is withdrawn, the licensee shall be free to apply for licence under any prevailing scheme of ticketing of Indian Railways subject to eligibility.

10.10 Transfer of Licence: In case of death of licencee during the validity of the tenure, licence will be transferred to the legal heir only for the remaining period of the tenure of the licence.

10.11 For implementation of this scheme, an agreement will be signed between the competent authority and the selected ticketing agent.

****

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

सं.2014/टीज़ी-I/23/पीआरएस टर्मिनल

नई दिल्ली, दिनांक 08.08.2014

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

प्रबंध निदेशक,
क्रिस, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली.

(2014 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.33)

विषय : यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) की स्थापना तथा परिचालन की स्कीम को लागू करना.

टिकटों (आरक्षित और अनारक्षित दोनों) को जारी करने की सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि केन्द्रों, जिन्हें यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) कहा जाएगा, पर कंप्यूटरीकृत-एवं-यूटीएस टर्मिनलों की स्थापना तथा परिचालन में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की अनुमति प्रदान की जाए. स्कीम की एक प्रति संलग्न है.

2. यह वांछित है कि इस स्कीम में उल्लिखित शर्तों के अनुसार क्षेत्रीय रेलों पर यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) खोलने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए. मानक करार का फार्मेट शीघ्र ही परिपत्रित किया जाएगा.

3. क्रिस सॉफ्टवेयर में आवश्यक आशोधन करेगा.

4. यह रेल मंत्रालय के वित्त तथा लेखा निदेशालयों की सहमति से जारी किया जाता है.

(डॉ. एस.के. अहिरवार)	(मनोज कुमार दुबे)	(विवेक पी त्रिपाठी)
नि.या.वा.(सा)/रेलवे बोर्ड	नि.वित्त(सी)/रेलवे बोर्ड	नि.वित्त(लेखा)/रेलवे बोर्ड

संलग्नक : यथोक्त

प्रतिलिपि प्रेषित:

1) सभी क्षेत्रीय रेलों के सीसीएम, सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस.

2) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/सभी क्षेत्रीय रेलें, निदेशक (लेखा)/सभी क्षेत्रीय रेलें.

3) अपर महानिदेशक/पीआर, का.नि. सतर्कता (टी), का.नि.एफसी, नि.वित्त(सी), ओएसडी/टीसी, रेलवे बोर्ड की एफ(सी) और वी(एसएस) शाखाएं.

4) प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली.

5) महाप्रबंधक/पीआरएस, महाप्रबंधक/यूटीएस, क्रिस,चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.

6) महानिदेशक, प्रोफेसर/ट्रेनिंग और प्रोफेसर/वाणिज्य रेलवे स्टॉफ कॉलेज, वडोदरा.

7) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, मध्य रेलवे, भुसावल, पूर्व रेलवे, धनबाद, उत्तर रेलवे,चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे, मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे, त्रिच्ची, दक्षिण मध्य रेलवे,मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे,सिनी, पश्चिम रेलवे, उदयपुर.

8) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मेनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-2260011.

9) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चैम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली.

10) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली.

11) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन (फ्रोआ), कमरा नं.370, रेल भवन, नई दिल्ली.

12) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (इरपोफ), कमरा नं.268, रेल भवन, नई दिल्ली.

13) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं.256(डी), रेल भवन,नई दिल्ली.

14) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.

******

संलग्नक : यथोक्त

यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) की स्थापना और परिचालन के लिए स्कीम

1. प्रस्तावना :

भारत सरकार एक प्रक्रिया, जिसका ब्यौरा अनुवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है, द्वारा चुने गए भागीदारों के माध्यम से कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस) की स्थापना एवं परिचालन में निजी भागीदारी की अनुमति देगी. इस प्रकार के टिकट केन्द्रों को यात्री सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) कहा जाएगा.

2. वाईटीएसके को स्थापित करने की प्रक्रिया :

भारतीय रेलों के रेल यात्री सेवा अभिकर्ता (आरटीएसएएस) और रेल पर्यटक अभिकर्ता (आरटीएएस) सहित ऐसे सभी प्राधिकृत टिकट एजेंटों से, जो निम्नलिखित मानदण्ड पूरा करते हैं, आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे :

(i) आवेदक ने भारतीय रेलों के यात्रियों के लिए रेलवे टिकट (आरक्षित/अनारक्षित) सेवाएं प्रदान करने वाले प्राधिकृत टिकट एजेंट के रूप में कम से कम 5 वर्ष काम किया हो .

(ii) आवेदक के पास आयकर प्राधिकारियों द्वारा जारी पर्मानेंट अकाउंट नम्बर (पैन) होना चाहिए और उनका पिछले तीन वर्षों के दौरान आयकर रिटर्न दायर किया होना चाहिए.

(iii) आवेदक के पास रेलवे स्टेशन के परिसर से बाहर एक कार्यालय और परिसर होना चाहिए, जो पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं से सज्जित होना चाहिए. आवेदक द्वारा उपयुक्त स्थानीय प्राधिकारियों से उस परिसर के बारे में सभी जरूरी और अनिवार्य स्वीकृतियाँ प्राप्त की गई होनी चाहिए. ऐसे परिसरों का समुचित रख-रखाव किया जाना आवश्यक है, जिसके समीप पर्याप्त सुख-सुविधाएं होनी चाहिए ताकि वहाँ पर्याप्त संख्या में ग्राहकों के आने पर उन्हें समायोजित किया जा सके; लाइसेंसधारी रेलवे प्रशासन की बिना पूर्वानुमति के इन सुविधाओं को कम नहीं करेगा अथवा इस कार्यालय को किसी अन्य स्थान पर नहीं ले जाएगा.

(iv) आवेदक, किसी ऐसे आपराधिक मामले में दोषी सिद्ध नहीं हुआ होना चाहिए, जिसमें नैतिक भ्रष्टता अंतर्ग्रस्त हो,.

(v) भारतीय रेलवे की टिकट प्रणाली में एक एजेन्ट के रूप में कार्य करते हुए आवेदक का लाइसेंस विगत में अनियमितताओं अथवा करार के उल्लंघन अथवा भारतीय रेलवे के किसी नियम (नियमों) के उल्लंघन के कारण निरस्त नहीं किया गया होना चाहिए.

2.1 भारतीय रेलवे की टिकट सेवाओं के प्राधिकृत एजेंटों से प्राप्त ऐसे सभी आवेदन पत्रों की निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति के लिए जांच की जाएगी और कनिष्ठ वेतनमान ग्रेड के अधिकारियों की तीन सदस्यीय समिति द्वारा| जिसमें वाणिज्य तथा वित्त का एक-एक सदस्य शामिल होगा, उन्हें छांटा जाएगा.

..2/-

3. वाईटीएसके को स्थापित करने की शर्तें :

3.1 प्रत्येक चयनित लाइसेंसधारी को चार टर्मिनलों तक की परिचालन की सुविधा प्रदान की जाएगी. बहरहाल, भारतीय रेलवे द्वारा यदि आवश्यक पाया जाए तो किसी लाइसेंसधारी को दिए जाने वाले काउंटरों की संख्या की सीमा को बढ़ाया जा सकता है.

3.2 ऐसे आरक्षण केन्द्रों की स्थापना, परिचालन, अनुरक्षण तथा उनमें अपेक्षित हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का आवधिक तंत्र उन्नयन की लागत, लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी. किसी प्रकार की चूक/अपालना की स्थिति में पीआरएस/यूटीएस सिस्टम के साथ अभिगम्यता अस्थाई तौर पर लंबित की जा सकती है अथवा लाइसेंस को समाप्त भी किया जा सकता है, यदि लाइसेंसधारी आवश्यक अपग्रेडेशन करने से मना करे.

3.2.1 टर्मिनलों, पीसी, टिकट प्रिन्टरों, मॉडमों तथा मल्टीप्लेक्सरों की व्यवस्था रेलवे द्वारा किसी प्राधिकृत एजेंसी के माध्यम से की जा सकती है अथवा इन्हें लाइसेंसधारियों द्वारा खरीदा एवं उनका अनुरक्षण किया जा सकता है. यदि लाइसेंसधारियों द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार इनमें से किसी मद को स्वयं खरीदा जाता है तो रेलवे के नामित अधिकारियों द्वारा प्रमाणन के लिए हार्डवेयर का निरीक्षण किया जाएगा. यदि इनमें से किसी मद को रेलवे द्वारा सप्लाई एवं अनुरक्षण किया जाता है तो रेलवे द्वारा यथा निर्धारित लागत का वहन लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा. इस स्थिति में लाइसेंसधारी, रेलवे के प्राधिकृत अनुरक्षण एजेंसी को इस करार में निर्धारित किए गए अनुसार उपकरणों के अनुरक्षण के लिए अपने परिसर में आने-जाने की अनुमति प्रदान करेगा. रेलवे द्वारा अनुरक्षण प्रभार के निर्धारण के संबंध में किया गया निर्णय अन्तिम होगा और लाइसेंसधारी इस संबंध में कोई विवाद नहीं करेगा. लाइसेंसधारी अपने निजी इंजीनियरों के माध्यम से भी हार्डवेयर का अनुरक्षण कर सकता है. बहरहाल, लाइसेंसधारी द्वारा खरीदे गए उपकरणों का अनुरक्षण लाइसेंसधारी द्वारा ही कराया जाएगा.

3.3 लाइसेंसधारी, अपने स्थल और रेलवे के निकटतम कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली केन्द्र के बीच 2 संख्या डाटा/कम्यूनिकेशन चैनलों को किराए पर लेगा तथा वह उनका अनुरक्षण करेगा.

3.4 लाइसेंसधारी भारतीय रेलों के कम्प्यूटरीकृत पीआरएस केन्द्रों के प्रतिरूप तथा समान मानक के अनुसार एक कार्यालय और काउंटर बनाएगा. इस परिसर की लागत तथा किराया (यदि कोई हो) केवल लाइसेंसधारी द्वारा ही वहन किया जाएगा.

3.5 लाइसेंसधारी प्रति टर्मिनल प्रतिवर्ष, 1.06 लाख रुपए के सिस्टम अभिगम्यता प्रभार का भुगतान करेगा. भारतीय रेलवे द्वारा समय-समय पर सिस्टम अभिगम्यता प्रभार में संशोधन किया जा सकता है.

3.6 लाइसेंसधारी ऐसे टिकट केन्द्र (केन्द्रों) के संचालन के लिए अपनी लागत पर अपने कर्मचारियों की तैनाती करेगा.

3.7 रेलवे, समुचित लेखा-जोखा रखने के बाद, अलग-अलग रंग के पीआरएस टिकट रोल ही निःशुल्क सप्लाई करेगी. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी मॉडल करार के अनुसार पीआरएस टिकट-रोलों को जारी करने तथा उसका लेखा-जोखा रखने के लिए विस्तृत प्रक्रिया आदेश जारी किए जाएंगे. बहरहाल, लाइसेंसधारी गैर-टिकट स्टेशनरी की लागत को वहन करेगा.

3.8 लाइसेंसधारी पीआरएस टिकट रोलों/टिकटों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करेगा. पीआरएस टिकट रोलों/टिकटों के खो जाने/उनका दुरुपयोग किए जाने की स्थिति में रेलवे को हुई आर्थिक हानि की वसूली के लिए रेल प्रशासन द्वारा यथा निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा.

3.8.1 विद्यमान नियमों के अनुसार पीआरएस टिकट रोलों/टिकटों के खो जाने के मामले में प्रत्येक खोए गए टिकट के लिए 6 वयस्क यात्रियों के लिए गाड़ी के उच्चतम श्रेणी के सबसे ज्यादा दूरी के किराए के

..3/-

बराबर राशि को डेबिट किया जाएगा. यूटीएस टिकटों के खो जाने/उनके दुरुपयोग किए जाने के मामले में सिस्टम में सबसे ज्यादा दूरी के लिए चार वयस्क यात्रियों के दूसरी श्रेणी के मेल/एक्सप्रेस गाड़ी के किराए के बराबर दर पर डेबिट किया जाएगा.

3.9 इन लाइसेंसधारियों द्वारा यात्रियों को पूछताछ सेवाएं नि:शुल्क मुहैया कराई जाएंगी.

3.10 रेलवे प्रशासन, जनहित और/अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण किसी खास श्रेणी, गाड़ी अथवा मार्ग के लिए लाइसेंसधारी की अभिगम्यता को नियंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

4. <u>परिचालन का समय</u> :

- लाइसेंसधारियों के परिसरों में सामान्य आरक्षण के लिए टर्मिनलों के परिचालन का समय सामान्य पीआरएस तथा यूटीएस टिकटों की बुकिंग के लिए सप्ताह के दिनों में 0900 बजे से 2200 बजे तक और रविवार को 0900 बजे से 2000 बजे तक होगा.
- इन केन्द्रों पर तत्काल टिकटों के लिए बुकिंग 11.00 बजे से अथवा रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट समय के अनुसार प्रारंभ होगी.
- लाइसेंसधारी द्वारा टर्मिनलों के परिचालन के घंटे कम किए जा सकते हैं ताकि उपरोक्त इंगित समय से पूर्व इसे बन्द किया जा सके. बहरहाल, लाइसेंसधारी द्वारा ऐसा, रेलवे प्रशासन के पूर्व सूचना के पश्चात् ही किया जाना चाहिए. लाइसेंसधारी, वाईटीएसके के टिकट क्षेत्र में टिकट से संबंधित सेवा के कार्य के घंटों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा.

5. <u>अग्रिम निक्षेप, बैंक गारंटी, प्रतिभूति निक्षेप तथा लाइसेंस शुल्क</u>:

5.1 <u>रजिस्ट्रेशन शुल्क</u> - लाइसेंसधारी, लाइसेंस का आबंटन होने पर 5 लाख रुपए का एकबारगी गैर-वापसी रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करेगा.

5.2 <u>अग्रिम निक्षेप</u> : लाइसेंसधारी को रेलवे के पास प्रति काउंटर कम से कम 5 लाख रुपए की राशि अग्रिम में जमा करना अपेक्षित होगा और उसे प्रति काउंटर 4.5 लाख रुपए तक के टिकट ही जारी करने की अनुमति होगी; लाइसेंसधारी रेलवे के पास उपलब्ध जमा राशि से प्रति काउंटर 0.50 लाख रुपए कम के टिकट जारी कर सकता है. जब उसके द्वारा जारी टिकटों की राशि प्रति काउंटर 4.50 लाख रुपए हो जाएगी तो टिकटों का जारी होना स्वत: बन्द हो जाएगा. यह विशेषता सॉफ्टवेयर में स्वनिर्मित होगी. लाइसेंसधारी इस प्रयोजन के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपए जमा करा सकता है.

5.3 <u>प्रतिभूति निक्षेप/बैंक गारंटी</u> : लाइसेंसधारी को रेलवे के पास प्रति पोर्ट 2 लाख रुपए की प्रतिभूति निक्षेप, जो अधिकतम 5 लाख रुपए होगी, जमा कराना अपेक्षित होगा. यह प्रतिभूति निक्षेप किसी अनुसूचित बैंक द्वारा बैंक गारंटी अथवा रेलवे के पास नकद जमा/चैक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हो सकती है. करार के किसी खण्ड का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में इस प्रतिभूति निक्षेप को जब्त किया जा सकता है.

--4/-

6. <u>राजस्व में भागीदारी</u> : लाइसेंसधारी, राजस्व के हिस्से का अंशभागी करेगा जो अनिवार्यतः टिकटों की बुकिंग/रद्दकरण के लिए ग्राहक पर लगाए जाने वाला सेवा प्रभार है. लाइसेंसधारी, आरक्षित टिकटों की बुकिंग/रद्दकरण के लिए ग्राहकों पर लगाए गए सेवा प्रभार का 25% अंशभागी करेगा.

(i) आरक्षित टिकटों की बुकिंग/रद्दकरण के समय लाइसेंसधारी द्वारा यात्री से वसूल किए जाने वाले सेवा प्रभार की 25% राशि रेलवे के खाते में जमा की जाएगी.

(ii) लाइसेंसधारी, ग्राहक द्वारा अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए सेवा प्रभार के रूप में प्रति यात्री एक रुपया वसूल करेगा, जो जेटीबीएस द्वारा वसूल किए जाने वाले प्रभार के समान है. अनारक्षित टिकट प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले टिकटों के मामले में राजस्व की भागीदारी की कोई व्यवस्था नहीं होगी.

(iii) अनारक्षित यूटीएस टिकटों की बिक्री पर लाइसेंसधारी द्वारा इस प्रकार वसूल किया गया समस्त सेवा प्रभार लाइसेंसधारी द्वारा रखा जाएगा.

(iv) राजस्व की भागीदारी का यह मॉडल एक वर्ष के लिए लागू होगा. एक वर्ष की अवधि के बाद भारतीय रेलवे, इस स्कीम के रुझान और इस योजना के तहत सृजित बिजनेस की मात्रा के आधार पर राजस्व की भागीदारी के फार्मूले की समीक्षा करेगी.

(v) लेखा और वाणिज्यिक विभागों द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक तिमाही में राजस्व भागीदारी प्रणाली की कुशलता की समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेलों को यथोचित राजस्व प्राप्त हो.

7. <u>लाइसेंस की समयावधि</u> : प्रारंभ में लाइसेंस की समयावधि 3 वर्ष की होगी. लाइसेंसधारी, भारतीय रेल को प्रति वर्ष, प्रति काउंटर 5,000/-रुपए की दर पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा. लाइसेंस की मौजूदा समयावधि की समाप्ति के बाद लाइसेंस का एक बार में एक वर्ष के लिए नवीकरण किया जा सकता है. परन्तु इसके लिए सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट होना चाहिए और ऐसा नवीकरण की अवधि के दौरान विद्यमान नीति के अनुसार किया जाएगा.

8. <u>सेवा प्रभार (कमीशन)</u> : भारतीय रेलों द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित कमीशन/सेवा प्रभार लगाया जाएगा. प्रारंभ में 2एस और स्लीपर श्रेणी के लिए सेवा प्रभार 30/- रुपए प्रति यात्री और अन्य श्रेणियों के लिए 40/-रुपए प्रति यात्री होगा. कमीशन/सेवा प्रभार टिकट (टिकटों) पर मुद्रित किया जाएगा.

8.1 टिकट रद्द करने के लिए सेवा प्रभार, बुकिंग के लिए निर्धारित प्रभार का 50% होगा.

8.2 लाइसेंसधारी, वाईटीएसके के खुलने तथा बन्द होने के समय की सूचना और यात्रियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सेवा प्रभार की दर को स्पष्टतः दृष्टिगोचर स्थल पर द्विभाषी रूप में प्रदर्शित करेगा.

9. <u>कदाचार के विरुद्ध सुरक्षा</u> :

9.1 सिस्टम में, सिस्टम की सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधान स्वनिर्मित होंगे ताकि वायरस/अप्राधिकृत एक्सेस आदि से इसमें खराबी आने की संभावना को बाधित किया जा सके.

..5/-

9.2 अनाचार से सुरक्षा के लिए ब्लॉक बुकिंग, आशोधन करने, नाम, आयु तथा लिंग में परिवर्तन करने की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी. बहरहाल, टिकट के स्थगन या उसे पहले के लिए किए जाने की सुविधा उपलब्ध होगी.

9.3 लाइसेंसधारी को केवल वाईटीएसके लाइसेंसधारी द्वारा जारी टिकटों को ही रद्द करने की अनुमति दी जाएगी. बहरहाल, वाईटीएसके टिकटों को पीआरएस केंद्रों में भी रद्द किया जा सकता है.

9.4 रद्दकरण प्रभार रेलवे को क्रेडिट किया जाएगा परन्तु लाइसेंसधारी को पैरा 8 के अनुसार यात्रियों से रेलवे द्वारा निर्धारित दर पर रद्दकरण के लिए कमीशन प्रभारित करने की अनुमति होगी.

9.5 ये लाइसेंसधारी किसी भी प्रकार के रियायती वाउचरों, आदि को डील नहीं करेंगे.

9.6 इन लाइसेंसधारियों को अलग कोड नम्बर आवंटित किया जाएगा और कोड नम्बर टिकट पर मुद्रित होगा. इसके दो पासवर्ड होंगे, एक पर्यवेक्षकीय पासवर्ड, जिसे रेलवे द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और दूसरा आपरेटर पासवर्ड होगा, जिसे लाइसेंसी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा.

9.7 लाइसेंसधारियों को जारी किए गए टिकट रोलों का रंग भिन्न होगा.

9.8 किराया मूल्य, सेवा प्रभार आदि टिकट पर दिखाई देंगे ताकि लाइसेंसधारी द्वारा अधिक प्रभार न लगाया जाए. रद्दकरण के मामले में भारतीय रेलवे को देय रद्दकरण प्रभार और लाइसेंसधारी को देय रद्दकरण कमीशन का उल्लेख निरस्त टिकट पर किया जाएगा.

9.9 लाइसेंसधारी द्वारा करार के प्रावधानों अथवा भारतीय रेलवे के नियमों के उल्लंघन के किसी भी मामले में लाइसेंसधारी पर जुर्माने के रूप में निवारक दण्ड लगाया जाएगा, जिसमें समुचित नोटिस के बाद लाइसेंस को रद्द किया जाना शामिल है.

10. रजिस्टरों को रखना, विवरणियाँ प्रस्तुत करना तथा लेखा और वाणिज्यिक अधिकारियों द्वारा जांच करना आदि.

10.1 रेल प्रशासन, लाइसेंसधारियों द्वारा रेलवे को प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणों/विवरणियाँ निर्धारित करेगा. इन विवरणियों का ब्यौरा, इन रिपोर्टों/विवरणियों की अवधि, रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले मॉडल करार में विनिर्दिष्ट की जाएगी.

10.2 लाइसेंसधारी, इस स्कीम के अंतर्गत यथा-अपेक्षित रजिस्टर/बहियाँ और विवरणियाँ रखेगा. इसके अतिरिक्त, उसे ऐसे कागज़ात/रजिस्टर रखने के लिए भी कहा जाएगा, जिन्हें रेलवे प्रशासन द्वारा सत्यापन के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझा जाए.

10.3 उपर्युक्त टर्मिनलों के लिए रिफंड (निरस्त किए गए) टिकटों और जारी न किए गए टिकटों का विवरण, अगले कार्य दिवस तक यातायात लेखा कार्यालय में अनिवार्यतः पहुंच जाना चाहिए.

10.4 निजी स्वामित्व वाले टर्मिनलों का तुलन पत्र तथा यात्री वर्गीकरण में प्राधिकृत लाइसेंसधारी और उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता(हस्ताक्षरकर्त्ताओं) द्वारा अवश्य हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जिनके हस्ताक्षर यातायात लेखा कार्यालय में अवश्य उपलब्ध होने चाहिए. इन्हें संबंधित जोनल रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय में नियमित तौर पर अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

10.5 रेल प्रशासन के पास लाइसेंसधारी के कार्यालय का कार्य घंटों के दौरान किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा और इस प्रयोजन के लिए रेल प्रशासन किसी व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, तैनात कर सकता है. ऐसे जालसाज तत्वों, जिनकी प्रवृत्ति इन केन्द्रों पर अनाचार में संलिप्त होने की हो, पर नज़र रखने के लिए लाइसेंसधारी वाईटीएसके में सीसीटीवी/आईपीटीवी का प्रावधान करेगा. सीसीटीवी/आईपीटीवी के फुटेज को कम से कम एक माह तक सुरक्षित रखा जाएगा और मांग किए जाने पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी (अधिकारियों) को ऐसे डाटा की अभिगम्यता उपलब्ध कराई जाएगी.

10.6 लाइसेंसधारी द्वारा दी जाने वाली सेवा-निष्पादन की समीक्षा सर्वे करा कर और वाणिज्यिक तथा लेखा विभाग के अधिकारियों के जाने एवं निरीक्षण आदि के द्वारा की जाएगी. बहरहाल, सीएमआई/टीआईए, जिनके नाम रेलवे द्वारा पहले सूचित किए जाएंगे, द्वारा निर्धारित समयावधि में नियमित तौर पर निरीक्षण किए जायेंगे.

10.7 लाइसेंसधारी का रेलवे पीआरएस टर्मिनलों के लिए किए जाने वाले सभी पर्यवेक्षकीय जांच अथवा इंटरनेट सिस्टम के लिए मुहैया किए जाने वाले किसी भी प्रकार का पर्यवेक्षण किया जा सकता है.

10.8 किसी खास लाइसेंसधारी द्वारा टिकट जारी किए जाने का कोई असामान्य प्रतिरूप तो नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए लाइसेंसधारियों द्वारा जारी किए गए टिकटों के पाक्षिक विवरण का रेलवे द्वारा विश्लेषण किया जाएगा.

10.9 यदि वाईटीएसके योजना को वापस ले लिया जाता है तो लाइसेंसधारी भारतीय रेलवे पर टिकट जारी करने की किसी भी विद्यमान स्कीम के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा, बशर्ते कि वह पात्र हो.

10.10 लाइसेंस ट्रांसफर करना : वैध समयावधि के दौरान लाइसेंसधारी की मृत्यु हो जाने पर लाइसेंस, उसके कानूनी वारिस को लाइसेंस की शेष समयावधि के लिए ही ट्रांसफर किया जाएगा.

10.11 इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए, सक्षम प्राधिकारी तथा चुने गए टिकट एजेंट के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.

****

GOVERNMENT OF INDIA(भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

****

No.2014/TG-I/23/PRS Terminal New Delhi, dated 01 .09.2014

General Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 35 OF 2014)

Sub: **Introduction of scheme for establishment and operation of Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK)**

Ref: **Commercial Circular No. 33/2014 dated 8.8.2014**

Western Railway, vide letter No. C 550/17/0/YTSK has sought certain clarifications regarding the YTSK Scheme circulated vide CC No. 33/2014. The issues raised by WR along with clarifications are as under:-

S.No.	Item	Remarks
1	Whether all IRCTC e-ticketing agents, RTSAs who have opted to become e-ticketing agents, RTSAs who have opted not to become e-ticketing agents, JTBS can apply under the scheme.	The scheme is open for all kinds of railway ticketing agents with minimum five years of experience, including JTBS, RTSA, RTA and agents appointed by IRCTC
2	In reference to para 5.1 of the scheme, the mode of payment i.e. cash, DD, FDR or TDR, to be taken as non-refundable registration fee of Rs 5 lakh, may be specified.	The registration fee may be in form of a Demand Draft or cash
3	Who shall be the accepting authority for accepting the recommendations of the JAG level screening committee?	The CCM(PM)/CCM(PS) of the concerned Zonal Railway shall be the accepting authority.
4	Whether the Traffic Accounts office as mentioned in para 10.3 of the circular is the office of Dy CAO(TA) or the station TIA?	The refund statement should be submitted to the office of Dy. CAO(TA)
5	In terms of para 3.7 of the circular, whether UTS rolls are also to be provide free of cost?	Yes, UTS rolls are also to be provided free of cost.
6	Who shall be the competent authority to issue character certificate to YTSK agents (para 2(iv) of the scheme	No character certificate is required since all the YTSK Licensees are already authorised ticketing agents.

7	In case the YTSK licensee prefers to purchase the hardware equipment directly, CRIS may share the specifications with railways so that the same can be passed on to the YTSKL.	CRIS has been advised in this regard.
8	The minimum dimension area for office set up and queuing space may be specified in terms of para 3.4 of the scheme.	Ministry of Railways has framed broad guidelines of the scheme. Working instructions for implementing the same can be finalised by Zonal Railways with the approval of the concerned department.
9	Standard agreement can be circulated so that the JPO can be finalised at the earliest.	The issue is under process. This is a part of the standard agreement.
10	The penalty amount per case may be defined in reference to para 9.9 of the scheme.	The minimum amount of penalty will be Rs 500/- per violation. In case of repeated violation, the competent authority can examine the feasibility of terminating the license.
11	Necessary guidelines about termination and Arbitration clause for the scheme may be provided.	The issue is under process. This is a part of the standard agreement.

2. This issues with the concurrence of Finance & Accounts Directorates of Ministry of Railways.

(Dr. S.K. Ahirwar)
DTC(G)/Railway Board

No.2014/TG-I/23/PRS Terminal **New Delhi, dated [illegible].2014**

Copy to :

FA&CAO, all Zonal Railways
Director (Audit), All Zonal Railways

For, Financial Commissioner, Railways

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/टीजी-I/23/पीआरएस टर्मिनल **नई दिल्ली, दिनांक 01.09.2014**

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें

(2014 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 35)

विषय : यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) स्थापित करने और परिचालित करने की योजना आरंभ करना।

संदर्भ : दिनांक 8.8.2014 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33/2014

पश्चिम रेलवे ने पत्र सं. सी550/17/0/वाईटीएसके के माध्यम से वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33/2014 के तहत परिपत्रित वाईटीएसके योजना के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। पश्चिम रेलवे द्वारा उठाए गए मुद्दे एवं उनके स्पष्टीकरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	मद	टिप्पणी
1	क्या सभी आईआरसीटीसी ई-टिकटिंग एजेंट्स, आरटीएसए, जिन्होंने ई-टिकटिंग एजेंट बनने का विकल्प दिया है, आरटीएसए, जिन्होंने ई-टिकटिंग एजेंट नहीं बनने का विकल्प दिया है, जेटीबीएस इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।	यह योजना जेटीबीएस, आरटीएसए, आरटीए और आईआरसीटीसी द्वारा नियुक्त एजेंटों सहित उन सभी प्रकार के रेल टिकटिंग एजेंटों के लिए खुली है, जिनके पास न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव हो।
2.	इस योजना के पैरा 5.1 के अनुसार, 5 लाख रुपए के नॉन-रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क के रूप में लिए जाने वाले भुगतान की विधि अर्थात् नगद, डीडी, एफडीआर या टीडीआर को विनिर्दिष्ट किया जाए।	पंजीकरण शुल्क डिमांड ड्राफ्ट या नगद के रूप में हो सकता है।
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर की स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए स्वीकारकर्ता प्राधिकारी कौन होगा?	संबंधित क्षेत्रीय रेलों के सीसीएम(पीएम)/सीसीएम(पीएस) स्वीकारकर्ता प्राधिकारी होंगे।
4.	क्या परिपत्र के पैरा 10.3 में यथा उल्लिखित यातायात लेखा कार्यालय डिप्टी सीएओ(टीए) या स्टेशन टीआईए का कार्यालय है।	रिफंड विवरण डिप्टी सीएओ(टीए) के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
5.	परिपत्र के पैरा 3.7 के अनुसार, क्या यूटीएस रॉल भी नि:शुल्क मुहैया कराए जाने हैं।	हां, यूटीएस रॉल भी नि:शुल्क मुहैया कराए जाने हैं।
6.	इस योजना के वाईटीएसके एजेंटों (पैरा 2(iv)) को चरित्र प्रमाणपत्र जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी कौन होगा।	किसी चरित्र प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी वाईटीएसके लाइसेंसधारी पहले से ही अधिकृत

		टिकटिंग एजेंट हैं।
7.	यदि वाईटीएसके लाइसेंसधारी हार्डवेयर उपकरण सीधे खरीदना चाहते हैं तो क्रिस विशिष्टियों का आदान-प्रदान रेलों से कर सकता है ताकि उसे वाईटीएसकेएल को दिया जा सके।	इस संबंध में क्रिस को सूचित कर दिया गया है।
8.	इस योजना के पैरा 3.4 के अनुसार, ऑफिस सेटअप और कतार बनाने के लिए न्यूनतम परिमाप क्षेत्र निर्धारित किया जा सकता है।	रेल मंत्रालय ने इस योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। क्षेत्रीय रेलें इसे कार्यान्वित करने के लिए कार्यप्रणाली से संबंधित अनुदेश संबंधित विभाग के अनुमोदन से जारी कर सकती हैं।
9.	मानक करार परिपत्रित किया जा सकता है ताकि जेपीओ को शीघ्र अंतिम रूप दिया जा सके।	मामला प्रक्रियाधीन है। यह मानक करार का एक हिस्सा है।
10.	इस योजना के पैरा 9.9 के संदर्भ में प्रत्येक मामले के जुर्माने की राशि परिभाषित की जा सकती है।	उल्लंघन करने पर प्रत्येक बार 500/- रुपए की न्यूनतम जुर्माना राशि होगी, बार-बार उल्लंघन करने पर, सक्षम प्राधिकारी लाइसेंस समाप्त करने की संभावना की जांच कर सकते हैं।
11.	इस योजना की समाप्ति और मध्यस्थता खण्ड के बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश मुहैया कराए जा सकते हैं।	यह मामला प्रक्रियाधीन है। यह मानक करार का एक भाग है।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त एवं लेखा निदेशालयों की सहमति से जारी किया जाता है।

(डॉ. एस. के. अहिरवार)
निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)/रेलवे बोर्ड
नई दिल्ली, दिनांक 01.09.2014

सं. 2014/टीजी-I/23/पीआरएस टर्मिनल

प्रतिलिपि प्रेषित :

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें
निदेशक (लेखा परीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें

मनोज दुबे

कृते वित्त आयुक्त, रेलें

GOVERNMENT OF INDIA(भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

****

No.2014/TG-I/23/PRS Terminal **New Delhi, dated 11.09.2014**

General Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 37 OF 2014)

Sub: Introduction of scheme for establishment and operation of Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK)

In reference to item No. 7 of Commercial Circular No. 35/2014 dt 01.9.2014 on the above subject, specifications of the following equipments, as advised by CRIS are enclosed herewith.

1. UTS cum PRS thin client.
2. Dumb Terminal version of Thin Client.
3. Dot Matrix ticket printer for UTS.
4. Dot Matrix printer for PRS.
5. Modem.
6. RS 232 converter.

11/9/14
(Sanjay Manocha)
DDTC/G-II
Railway Board

DA: 13 pages

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

*****

सं. 2014/टीजी-I/23/पीआरएस टर्मिनल **नई दिल्ली, दिनांक 11.09.2014**

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें

(2014 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 37)

विषय : यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) स्थापित करने और चालू करने की योजना आरंभ करना।

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 01.09.2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 35/2014 की मद सं. 7 के संदर्भ में क्रिस द्वारा सूचित किए गए अनुसार निम्नलिखित उपकरणों की विशिष्टियां इसके साथ संलग्न है:

1. यूटीएस एवं पीआरएस थिन क्लाइंट
2. थिन क्लाइंट का डम्ब टर्मिनल वर्ज़न
3. यूटीएस के लिए डॉट मैट्रिक्स टिकट प्रिंटर
4. पीआरएस के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर
5. मॉडम
6. आरएस 232 कन्वर्टर

(संजय मनोचा)
उप निदेशक यातायात वाणिज्य/सा.-II
रेलवे बोर्ड

pl issue ...

S.No-50

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
****

No. 2014/TG-I/23/PRS/Terminal **New Delhi, dated 18.09.2014**

General Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 39 OF 2014)

Sub: Introduction of scheme for establishment and operation of Yatri ticket Suvidha Kendra (YTSK)

Please refer to this office letter of even number dated 08.08.2014 & 01.09.2014 (Commercial Circular no. 33 of 2014 & 35 of 2014) on the subject quoted above and find enclosed a copy of standard agreement to be executed between Zonal Railways and the YTSK licensee for information and necessary action.

2. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

(Dr. S.K. Ahirwar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

No. 2014/TG-I/23/PRS/Terminal **New Delhi, dated 18.09.2014**

Copy to:

FA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.

For Financial Commissioner/Railways

रेल मंत्रालय
Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड/Railway Board

Dell/B/my documents/letter_2014

Copy to:

1) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2) ADG/PR, EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
3) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
4) General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
7) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
8) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
11) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

****

DRAFT AGREEMENT

This agreement made at _______________ on this day ________________ between President of India acting through the Chief Commercial Manager/Chief Commercial Manager (Passenger Services)/Chief Commercial Manager (Passenger Marketing) of the Zonal Railways (which expression include his successors and assigns in office) herein called the Railways of the One part

AND

the Messers ___________________ having registered office at _______________________, (which expression shall include their successors and assigns in office), herein called the Licensee of the Second part.

INTRODUCTION

Whereas the licensee has been permitted to establish and operate Yatri Ticket Suvidha Kendra on Public Private Partnership (PPP) basis (here onwards known as YTSK) for the sale of railway tickets through computerised Passenger Reservation System (PRS) cum Unreserved Ticketing System (UTS) terminals. Such of the licensees who have been authorised to operate YTSK on PPP basis shall be known as Yatri Ticket Suvidha Kendra Licensee (here onwards known as YTSKL). It is now hereby agreed by and between the YTSKL and the Government as follows:

1. The Government hereby authorises the YTSKL to establish and operate YTSK for sale of railway tickets through computerised PRS cum UTS terminals as per the terms and conditions contained herein and the schedules hereto which shall form part of this agreement. The licensee undertakes to issue the tickets in accordance with the conditions and rules specified therein and further subject to the rules relating to them from time to time in the Indian Railway Conference Association Coaching Tariff and the publications or instructions of the railway.

2. TERMS & CONDITIONS OF OPERATION

The licensee shall be given facility of operating upto four terminals. However, the limit on number of counters to be given to a licensee can be increased by Indian Railways if found necessary.

i. The cost of establishing, operating, maintaining and periodic system upgradation of hardware/software required at such reservation centres shall be borne by the

licensee. Any default/non compliance may invite temporary suspension of access to the PRS/UTS system or even termination of the licence if the licensee refuses to undertake necessary upgradation.

ii. The terminals, Computers, ticket printers, modems and multiplexers etc., may be provided and maintained by the railways through an authorised agency or may be purchased and maintained by the licensees.

iii. In case if any of these items as per prescribed specifications are procured by the licensees themselves, the officers of Railways will inspect the Hardware for certification.

iv. In case any of these items are supplied and maintained by the railways, the cost as fixed by the Railways will be borne by the licensees. In this case the licensee will give access to their premises for the railway's authorised maintenance agency to maintain equipments as prescribed for in this agreement.

v. The decision on maintenance charges fixed by the Railways will be final and licensee will not dispute the same.

vi. The licensee can also undertake maintenance of hardware through their own Engineers. However, equipments purchased by the licensee will be maintained by the licensee only.

3 The licensee will hire and maintain two numbers of data/communication channels between his location and the nearest computerised PRS centre of the Railways.

4 The licensee will set up an office and set up counters on the pattern and standard at par with computerized PRS centres of Indian Railways. The cost and rental of premises (if any) will be borne by the licensee only.

5. The licensee shall pay system access charges of Rs.1.6 lakhs per terminal per annum. These shall be paid by the licensee in advance. The system access charges will be revised by Indian Railways from time to time. The licensee will engage his/her own staff at his/her own cost for running YTSK.

6. The Railway will supply, free of cost, only PRS/UTS tickets rolls of different colour after due accountal. However, the licensee will bear the cost of non-ticketing stationery.

--3/--

7 The licensee will ensure safe custody of PRS/UTS ticket rolls/tickets. Loss/misuse of PRS/UTS ticket rolls/tickets will invite penalty as fixed by the Railway administration for recovery of pecuniary loss suffered by the Railways.

7.1 As per extant Rules, for loss of PRS ticket rolls/tickets, debit equivalent to fare of the farthest distance by highest class of train for six adult passengers per ticket lost shall be raised. In case of loss/misuse of UTS tickets, the debit will be raised at the rate equivalent to 2^{nd} class Mail/Express fare of four adult passengers for farthest destination in the system.

8. SERVICE CHARGES (COMMISSION)

The licensee shall have the right to levy service charges at the rate of ₹30/- per passenger for 2S and Sleeper classes and ₹40/- per passenger for other classes or at a rate notified by Railways from time to time.

8.1 The commission/service charges shall be printed on the ticket(s).

8.2 The rate of service charges for cancellation shall be equivalent to 50% of the charges prescribed for booking of tickets of that particular class.

8.3 The licensee shall display the information regarding the rate of service charges for different class of passengers at prominent locations in English, Hindi and regional language.

9. WORKING INSTRUCTIONS

i. Detailed procedure order for issue and accountal of PRS/UTS ticket rolls or any other money value document will be prepared by the Zonal Railways and will be binding on the licensee as per guidelines provided in the scheme as well as this agreement.

ii. Indenting of such tickets will be done by the licensee according to the procedure prescribed by the Zonal Railway from time to time. In this procedure, the nominated commercial officer of Zonal Railway preferably CCM(PM) will make an assessment of average sale of tickets by the travel agents and ticket rolls equivalent of monthly sale will be supplied under clear signatures. The ticket roll number and any other identification will be recorded in a register with CCM(PM)/CCM(PS) and the signatures of the licensee will be obtained.

iii. Any manipulation in ticket rolls will be considered to be a serious default for which licence is liable to be terminated.

iv. Licensee will ensure that the staff engaged for manning the ticketing terminal(s) possess such qualification as prescribed by the Railways for Enquiry Cum

Reservation Clerk (ECRC). Railway Administration shall impart training to Terminal Operators of the Licensee at Railway's own cost and the licensee will ensure that only such trained staff mans the counters.

v. Licensee will ensure that the reservations are done strictly in accordance with the instructions issued by the Railway Administration from time to time.

vi. The licensee is permitted to issue and cancel only those tickets issued by him or other YTSK up to the time of preparation of reservation chart and within the working hours indicated in this agreement and as restricted from time to time. The Railway, however, can cancel and grant refund on any ticket issued by a YTSK. In case of unreserved tickets, cancellation is not permitted at YTSK. Cancellation of unreserved tickets issued by YTSK and the refund (if any) is to be done by the serving station as per refund rules in force, after verifying the genuineness of such ticket.

vii. Licensee will not be permitted to book tickets against Defence Department quota and Foreign Tourist quota. No emergency quota will be released on the tickets booked from the licensee.

viii. The facility of block booking, modification, change of name, age, sex, special cancellation etc., will not be permitted. However, preponement and postponement of date, train, class will be permitted.

ix. Non-issued tickets and tickets cancelled prior to preparation of reservation charts must be handed over along with summary of transaction in PRS office, by next working day as per the procedure order to be finalised by zonal railway concerned based on the scheme as well as draft agreement. Failure to deposit these tickets by YTSKL will result in stoppage of facility of issue of tickets by YTSKL and further action as provided in para 22 below.

x. Requisition slips - Date and Terminal wise shall be handed over at the nominated PRS centre along with summary by the next working day as per the procedure order to be finalised by zonal railway concerned based on the scheme as well as draft agreement.

xi. No group booking will be permitted on YTSKL terminals.

xii. Refund on tickets issued from YTSKL terminal after the preparation of chart will be admissible only from railway terminals as per extant rules.

xiii. The facility of making the ticket as 'non-issued' shall not be made available to YTSKL. In case of any mistake, the said tickets should be forwarded by the YTSKL

--5/--

to the concerned serving station where its transactions are controlled and cancelled, duly paying the cancellation charges by the YTSKL.

xiv. Tickets issued from YTSKL terminals will have identification mark on the reservation chart.

xv. Only fully paid tickets in Indian currency will be issued from YTSKL terminals and such terminals will not issue tickets on any type of concession vouchers, High Official Requisition (HOR) forms, Identity Cards issued to Member of Parliaments, rail travel coupons issued to Members of Legislative Assemblies of various states, freedom fighter card, free passes, indrail pass, etc.

xvi. No reservation will be permissible on pre-bought tickets

xvii. Enquiry services to passengers shall be provided by these licensees free of cost.

xviii. The licensee(s) shall maintain for himself/themselves or his/their duly approved manager and his/their staff an Attendance Register wherein shall be marked the daily attendance of each individual member of the staff by name (including himself/ themselves or the duly approved Manager). The register shall be available for inspection by the Nominated Officer and any other officer of the Railway Administration.

xix. The licensee(s) shall not in any capacity employ any persons of bad character or any persons whose antecedents have not been investigated by the Police Authorities and shall issue an appointment certificate which shall contain photograph of the employee specifying the employee's name, father's name, address and the place at which employed, with his/her left/right hand rolled thumb impression affixed thereon in printer's ink which he/she will carry with him/her while on duty. The expenses for such verification to be borne by the licensee(s).

10 Railway administration reserves the right to regulate the access of the licensee to the system for a particular class, train or route in public interest.

11. TIMINGS OF OPERATION:

i. The timing of operations of terminals in the premises of licensees for general reservation shall be from 0900 hours to 2200 hours on week days and from 0900 hours to 2000 hours on Sundays for booking general PRS and UTS tickets.

--6/--

ii. The booking hours for Tatkal tickets will start from 11:00 hours at the centres or as per timings specified by Ministry of Railways from time to time.

iii. The operating hours of the terminals may be reduced by the licensee to enable closure before the timings indicated above. However, this should be done only with prior information by the licensee to railway administration.

iv. The licensee will display prominently the working hours of ticketing related services in the ticketing area of the YTSK.

v. In case of shut down for maintenance or otherwise, the Railway Administration shall give intimation in advance as far as possible. No liability of any kind will accrue to Railway on this account.

12. **SHIFTING OF PREMISES: The licensee** shall not reduce the facilities or shift this office to any other location without the prior written approval of the CCM/CCM(PM) /CCM(PS) of concerned Zonal Railway

13. FINANCIALS - ADVANCE DEPOSIT, BANK GUARANTEE, SECURITY DEPOSIT AND LICENCE FEE

13.1 Registration Fee: Licensee shall pay a one time non-refundable registration fee of ₹ 5 lakh upon allotment of licence. The licensee(s) shall not be entitled to any refund of license fees in case of termination of license for unsatisfactory service.

13.2 <u>Security Deposit/Bank Guarantee</u>

i. The licensee would keep an interest free security deposit of ₹ 2 lakh per portal subject to a maximum of ₹ 5 lakh with the Railways. Such security deposit can be in the form of a bank guarantee by a scheduled bank or in the form of a cash deposit/demand draft with the railways. This security deposit shall be liable to be forfeited in the event of breach of any of the clauses of the Agreement.

ii. The security deposit is liable to be adjusted or realized towards payment of any amount due to Government by the licensee including penalties and where this is done, the licensee may, at the discretion of the Government, be allowed to commence sales only after the licensee has provided further security deposit equal to the entire amount of security deposit as prescribed. The Government shall not be liable to pay interest on the security deposit.

iii. The security deposit shall on expiry of this agreement be refunded after realizing therefrom all amounts due by the licensee to the Government either as sale proceeds

--7/--

of tickets, penalties or otherwise whatsoever and accounts adjusted. The decision of the Government as to the amount due to the Government by the licensee on this account shall be final and binding on the licensee. Security Deposit shall stand forfeited in case of breach of contract and or termination of the licence due to unsatisfactory service.

13.3 **Advance Deposit.** The licensee would deposit a minimum amount of ₹5 lakh per counter with the Railways in advance and shall be allowed to issue tickets only up to ₹4.5 lakh per counter, i.e., the licensee can issue the tickets up to an amount which is ₹ 0.50 lakh per counter short of the deposit available with the Railways. The issue of ticket shall automatically stop as and when the amount of the tickets issued by him reaches ₹4.50 lakh per counter. This feature shall be in-built in the software. The licensee shall replenish the deposit by next working day from the day on which the advance is reduced to the minimum limit. The licensee can replenish the consumed amount up to a maximum value of ₹1 crore.

13.4 Procedure for collection/updation of deposits made by YTSKL

i. The Railway administration will nominate a Chief Booking Supervisor (CBS) to collect cash/demand draft from YTSKL and a Chief Reservation Supervisor (CRS) for updating the account of YTSKL on PRS system.

ii. YTSKL will deposit ₹ 5 lakhs per terminal with cash office/station of the concerned Zonal Railway for commencing sale of tickets.

iii. YTSKL will produce money receipt issued by cash office/station to CRS nominated for the purpose, who after verification of the same, will authorise commencement of issue of tickets in the system.

iv. A separate captive menu account to login the system will be given to nominated CRS who will update the deposit account for YTSKL after collecting and verifying correctness and genuineness of amount and Money Receipt. The station foil and other records will be maintained by the CRS. A separate Money Receipt register will be maintained by CRS to that effect for each YTSKL.

v. Assistant Commercial Manager (Reservation) will monitor on daily basis the amount accounted for in the system with the money receipt of YTSKL for its correctness and should certify that the amount has been reconciled and found correct. TIAs Cell will also carry out a regular check on this aspect.

13.5 Deposit of Day-to-Day earnings by YTSKL

i. At the end of each shift every day, the YTSKL will print out a summary of the transactions for each terminal showing details of tickets issued, cancelled, amount earned, refunded and net amount. The total amount (less share of YTSKL in the service charge) will be added together while depositing the cash/demand draft to CBS by each YTSKL of each day's earnings in cash by the nominated time.

ii. The summary so generated by YTSKL shall give details of booking done, booking amount, cancellation, refund, YTSKL service charge and net amount payable to Railways (excluding YTSKL's portion of service charge).

iii. The YTSKLs will deposit the earnings in cash/demand draft along with transaction summary with Chief Booking Superintendent (CBS), as per timings prescribed by the Railway administration, irrespective of holidays/Sundays etc.

iv. CBS in turn will issue a Money Receipt (MR) for the amount realized by denoting YTSKL name and code. The MR book for YTSKL will be in four foils viz.

1. Accounts foil (original),
2. Customer (YTSKL) foil,
3. CRS foil, and
4. Record foil.

v. The CRS foil will be handed over to CRS by CBS directly and YTSKL foil will be handed over to the YTSKL.

vi. At those locations where cash deposited is being accounted for through Unreserved Ticketing System(UTS) terminals, two copies of money receipts will be taken out from UTS by CBS, one of which will be given to CRS and the second copy will be given to YTSKL.

vii. YTSKL will deposit with CRS, the Money Receipt (MR) (manual or that taken out through UTS), the summary of the transactions as mentioned in para (ii) above along with refunded tickets and requisition slips of that shift. CRS will verify the summary by putting in stamp and signature with distinct name. In case there is any discrepancy, the same will be sorted out by CRS and the account of YTSKL will be updated by CRS with the amount deposited by CBS as indicated in the receipt.

13.6 Daily Cash and its Accountal (Shift-wise)

i. The CBS will maintain a manuscript register, in which he will enter the Money Receipt (MR) books number received from the office of the concerned DRM.

ii. The CBS will maintain a separate Money Receipt book only for YTSKLs so that Accounts can cross-verify the same periodically. The amount deposited by each YTSKL will be deposited to Railway's account along with other station cash on daily basis by CBS. CBS will daily submit date wise & YTSK terminal-wise details of money deposited by each YTSKL with Money Receipt details to Traffic Accounts along with Accounts foil. The code number given to the individual YTSKLs will be mentioned on the Money Receipt.

iii. The CBS will issue the money receipt to the YTSKL for the amount remitted by the YTSKL as per DTC summary. CBS will sign & stamp the summary which will be produced by YTSKL to CRS and will preserve it for 5 years. The preservation period of DTC summaries so retained will be subject to review by the competent authority.

iv. If the cash/demand draft is not deposited in time, the operation of all the terminals of that YTSKL will be suspended, temporarily till the amount is deposited along with cancelled/non-issue tickets and requisition slips, by CCM(PM) without further notice. A log book will be maintained and this aspect should be noted by TIA during his regular and periodical checks.

v. All the amounts collected from YTSKL will be accounted for by CBS under the head YTSKL deposits on day to day basis and all the collections from each YTSKL are to be maintained separately day wise.

14. COMMISSION & REVENUE SHARING:

The licensee shall share the revenue which is essentially the service charges levied on the customer for the booking or cancellation of tickets. The licensee shall share 25% of the service charges levied on the customer for booking/cancellation of reserved tickets with concerned Zonal Railways.

i. 25% of the service charges collected by the licensee from the passengers shall be credited to Railways account at the time of booking/cancellation of reserved tickets.

ii. Licensees shall levy one rupee per passenger as service charges on booking of unreserved tickets by the customers which is at par with the charges levied by JTBS. There shall be no revenue sharing arrangement in case of tickets sold through unreserved ticketing system.

iii. The service charges so collected by the licensee on account of selling unreserved UTS tickets shall be entirely retained by the licensee.

--10/-

iv. This revenue sharing model shall be applicable for one year. After the period of one year, the Indian Railways shall review the revenue sharing formula based on the response to the scheme and the volume of business generated under the scheme.

v. The efficacy of the system of revenue sharing should be reviewed every quarter jointly by Accounts and Commercial Departments to ensure that due revenue share accrues to Railways.

vi. The licensee shall display the information regarding the opening times of the counters and the rate of service charges for different class of passengers at prominent locations bilingually.

15. TENURE OF THE LICENCE: The tenure of the licence shall be for a period of 3 years. The licensee shall pay licence fee @ Rs. 5,000/- per counter per annum to Indian Railways. The licence can be renewed after expiry of its existing tenure subject to the satisfaction of the competent authority and as per the extant policy prevalent during the period of renewal.

16. GUARD AGAINST MALPRACTICES

i. Adequate system security provisions shall be in-built in the system to preclude the possibility of disruption by virus/unauthorised access.

ii. In order to guard against malpractices, the facility of block booking, modification, change of name, age, sex, etc. will not be permitted. However, the facility of postponement/advancing of ticket will be available.

iii. The licensee will be allowed to cancel only the tickets issued by the YTSK licensee. However, the YTSK tickets can be cancelled at PRS centres also.

iv. The cancellation charges will be credited to the Railways but the licensee will be allowed to charge commission for cancellation from the passengers at the rate fixed by the licensee in terms of para 8

v. These licensees will not deal with any type of concession vouchers, etc. viz. Student concession, Pass, PTO etc.

vi. A separate code number will be allotted to these licensees and the code number will appear on the ticket itself. There will be two passwords, one supervisory password which will be controlled by the Railways and the other, operator password, which will be controlled by the licensee.

vii. The colour of ticket roll issued to licensees will be distinct.

viii. The fare value, the service charges, etc. realised will appear on the ticket to avoid over-charging by the licensee. In case of cancellation, the cancellation charges payable to Indian Railways and cancellation commission payable to the licensee shall be indicated on the cancellation ticket.

17. MAINTENANCE OF REGISTERS, SUBMISSION OF RETURNS AND CHECKS BY ACCOUNTS & COMMERCIAL OFFICERS, ETC.

i. For the purpose of the adjustment of accounts, the licensee shall submit to Traffic Accounts office of the Zonal Railways within five working days after the close of the each 10 days period, account showing particulars of tickets issued during the period and also similar statement will be produced by PRS CUM UTS system with code of the licensee and sent to FA&CAO(T). Discrepancies and items in dispute shall be adjusted after the two statements have been cross checked. If there is no traffic during any 10 days period, a nil statement showing the closing number of tickets on hand will be sent to the FA&CAO(T) of the Zonal Railway. A detailed Joint Accounts & Commercial Departments Procedure Order for accountal and issue of tickets will be issued separately and modified from time to time by the Railway Administration (Zonal Railway) for strict compliance by Railway staff and the YTSKL, as per guidelines provided in the scheme as well as this agreement. The licensee shall have to abide by the modified terms.

ii. Offices of the licensee are liable to be inspected by the representatives of the Account/Commercial Department and the statutory audit or such other representative of the Government at such intervals as the Government may decide. The licensee shall permit full access to all relevant records and render all necessary assistance for their checks and inspection as may be required by such representatives.

iii. Railway Administration will prescribe the formats for statements/returns to be submitted by the licensees to the Railways. The details of these returns, periodicity of these reports/returns will also be finalized by the Railways in consultation with FA&CAO/Zonal Railways.

iv. If the licensee fails to submit the accounts and statement as envisaged in para above showing particulars of tickets issued and the stock on the due dates and deposit the non issued and cancelled tickets etc., to Railways or commits a breach of any of the terms and conditions of the agreement or of the schedules hereto annexed, the Government shall without prejudice to any other rights but in addition thereto, be

entitled to stop the sale of any ticket etc hereunder and to seize after making an inventory, the stock of tickets etc. lying with the licensee. The Government shall also be entitled to terminate the agreement forthwith. On termination the entire amount that may be payable by the licensee to the Government shall become payable forthwith and the licensee shall forthwith pay such amount. The decision of the Government or its authorized officer of Railways as to whether the licensee has committed any breach or not shall be final and binding on the licensee.

v. Licensee shall maintain all the registers/books and returns as required under the scheme. In addition, he shall also be asked to maintain such documents/registers as are considered necessary by the Railway Administration for verification purpose.

vi. Statements of Refund (Cancelled) tickets and non-issued ticket for above terminals must reach the Traffic Accounts office next working day without fail.

vii. The balance sheet and passenger classification for the privately owned terminals must be signed by the authorised licensee and his authorised signatory(ies) whose signatures must be available in the Traffic Accounts office. These must be submitted regularly in Traffic Accounts office as per time schedule stipulated by CCM in consultation with FA & CAO.

viii. Railway Administration shall have the right to inspect the office of the licensee at any time during the business hours and for this purpose, Railway Administration may depute any person as deemed fit. In order to maintain vigil on any spurious elements tending to indulge in malpractices at these centres the Licensee shall make provision of CCTV/IPTV at the YTSK (s). The footages of CCTV/IPTV shall be preserved for at least one month and access to such data shall be provided to inspection official(s) on demand.

ix. Performance of service being rendered by the licensee shall be reviewed from time to time by conducting surveys and by visits and inspection of Commercial and Accounts officers, etc.

x. The licensee shall be subjected to all the supervisory checks carried out for Railway PRS terminals or any other supervision required for internet system.

xi. Fortnightly statements of tickets issued by the licensees would be analysed by the Railways with a view to ascertain if any unusual pattern of issue of ticket by the particular licensee is indicated.

-- 13 /

18. **TRANSFER OF LICENCE:**

The license shall be non-transferable, provided that in case of death of an agent, the license may be transferred to his/her legal heir on a request made in writing for the unexpired period only of the license by the competent authority and the legal heir shall be eligible to apply for renewal of the said licence in accordance with the provisions of rules, as applicable at the time of renewal.

19. **INDEMNITY CLAUSE**

The licensee shall be entirely and wholly responsible for all losses or damages that may be suffered by the Government by any act of omission or commission of the licensee or his servants or agents and shall indemnify and keep indemnified and harmless the Government against or in respect of all such losses or damages or costs, if any, incurred by the Government in regard thereto. The licensees shall give an Indemnity Bond to this effect.

20. **PRESERVATION OF RECORDS**

The licensee shall preserve all records connected for the railway booking for a period not less than 5 years. Where, however, the records are required in connection with court case or for any reason whatsoever, the licensee shall preserve them for such period as is required by the Government to be kept for a long period by the Government.

21. **PENALTIES**

i. Without prejudice to any other rights and remedies of the Government under this agreement or in law, the government shall have the right to impose at its sole discretion liquidated damages to the licensee in following irregularities/defaults-

(a) Pecuniary losses to the Government due to licensee's fault(s).

(b) Delays and/ or irregularities leading to loss of the Government revenue.

(c) Malpractices causing loss to the railways or to the customers/passengers.

(d) Levy of service charges beyond the ceiling limit stipulated by the Railway administration and service charges decided and displayed at the YTSK by the YTSKL.

(e) Any other substantiated case of irregularity/malpractice.

(f) Non compliance of any of the terms of the agreement.

22. **TERMINATION**

i. Any case of violation of provisions of the agreement or the rules of Indian Railways by the licensee would invite deterrent punishment by way of penalties equivalent to minimum of Rs 50,000/- which may include termination of licence.

ii. The agreement shall, subject to the provisions herein contained remain in force for ________ w.e.f. __________ and expire on ____________ provided that either/other party shall be at liberty to terminate the same earlier by giving one month's notice in writing to the other without assigning any reason where from the accounts shall be adjusted.

iii. In the event of unsatisfactory service or any failure at any time on the part of the licensee(s) to carry out the terms and provisions of this Agreement to the satisfaction of the Railway Administration (who shall be the sole judge and whose decision shall be final) it shall be optional to the Railway Administration to forthwith terminate this Agreement without any previous notice to the licensee(s) and in case of such termination the security deposit mentioned in Clause 13.2 shall be forfeited to the Railway Administration and the licensee(s) shall have not claim whatsoever against the Railway Administration or any of its officials in consequence of such termination of this agreement.

iv. The Railway Administration shall be entitled at any time forthwith to terminate this agreement without notice in any of the following events, that is to say (a) in the event of Licensee(s) being an individual or if a firm any partner in the Licensee(s)' firm shall at any time be adjudged insolvent or shall have a receiving order or order for administration of his estate made against him or shall take any proceedings for liquidation or composition under any insolvency Act for the time being in force or make any conveyance or assignment of his effect or enter into any arrangement or composition with his creditors or suspend payment, or if the firm be dissolved under the Partnership Act, or in the event of Licensees being a company if the company shall pass any resolution or be wound up, either compulsorily or voluntarily.

v. This agreement may also be terminated by either party giving to each other not less than one month's notice in writing without assigning any reasons.

vi. The expenses of preparing, stamping under stamp duty act and executing this Agreement shall be borne solely by the licensee(s) and be payable to the Railway Administration, immediately on demand being made therefore.

--15/-

vii. Except hereby otherwise provided, any verbal or written arrangement abandoning, varying or supplementing this Agreement or any of the terms hereof shall not be binding on the Railway Administration unless and until the same is endorsed on this agreement or incorporated in a formal instrument and signed by the licensee(s) and duly executed on behalf of the President of India in accordance with the provisions of Article 299 (1) of the Constitution.

viii. Any notice to be served on the licensee(s) shall be deemed to be sufficiently served if delivered at or sent by registered post addressed to the licensee(s) at his/their registered office or last known place of business at ____________________Any notice to be served by the Licensee (s) on the Railway Administration shall be deemed to be sufficiently served if left at the office of or sent by registered post addressed to the ________________of_____________ Railway.

ix. All questions, disputes and/ or differences arising under or in connection with this agreement or in any way touching or relating to or concerning the construction, meaning or effect of these presents (except as to matters the decision whereof is otherwise herein before expressly provided for) shall be governed by Arbitration & Conciliation Act 1996 and shall be referred to a sole arbitrator to be appointed by General Manager for the time being of the ____________ Railway. There will be no objection to any such appointment of the arbitrator so appointed is a Government servant and that he has to deal with the matters to which this agreement relates and that in the course of his duties as such Government servant he has expressed view on all or any of the matters in dispute or difference. The award of the arbitrator so appointed shall be final and binding on the parties hereto.

x. Subject as otherwise provided in this contract all notices to be given on behalf of the Railway Administration and all other action to be taken on behalf of the Railway Administration may be given or taken __________Railway or any officer for the time being entrusted with the functions, duties and powers of the said ___________. The sole liability of complying with all statutory norms prescribed guidelines and regulations by the competent authorities is of the licensee concerned. No claims whatsoever on any account shall be raised against the Railways for non-compliance of any statutory provisions including labour laws.

--16/-

xi. There shall be a clause in the appointment letter of the employees of Licensee tha they shall not claim to be employees of Railway. The employees shall be of the licensee, and the said licensee shall be only responsible to the employees for all his acts.

23. LIABILITY OF RAILWAYS.

In any contingency, if the Railway Administration is required to pay such amounts, the same will be adjusted from the security deposit of the agents.

24. FORCE MAJEURE

Neither Railway nor the licensee shall be liable to each other for any failure to comply, or in any delay in complying with any obligation under or pursuant to this Agreement to the extent that such failure or delay has been caused directly by any event of Force Majeure.

In witness whereof Shri ______________________________ of ____________________ Railway for and on behalf of the President and Shri ____________________ of the said ____________ have hereunto set their hands the day and year above written.

For and on behalf of the President of India
Witness to the
Signature of the
Chief Commercial Manager
Signature & Designation

____

______________________ Railway ______________________

Witness to the signatures of the licensee

Signature of the licensee

S.No-51

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/टीजी-I/23/पीआरएस/टर्मिनल

नई दिल्ली, दिनांक 18.09.2014

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें

(2014 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39)

विषय : यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) स्थापित करने और चालू करने की योजना आरंभ करना।

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 08.08.2014 और 01.09.2014 के समसंख्यक पत्र (2014 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33 और 2014 का 35) का अवलोकन करें और क्षेत्रीय रेलों और वाईटीएसके लाईसेंसधारी के बीच निष्पादित होने वाले मानक करार की एक प्रति सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए इसके साथ संलग्न है।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(डॉ. एस. के. अहिरवार)
निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/टीजी-I/23/पीआरएस/टर्मिनल

नई दिल्ली, दिनांक 18.09.2014

प्रतिलिपि:

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें,
निदेशक (लेखा), सभी क्षेत्रीय रेलें

मनोज दुबे

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

करार

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जो जोनल रेलों के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (यात्री सेवाएं)/मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (यात्री विपणन) के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, जिन्हें इसमें आगे रेलवे कहा गया है और (इसके अंतर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी शामिल है)

और

दूसरे पक्षकार के रूप में मैसर्स -------------------------- जिनका --------------------- स्थान पर पंजीकृत कार्यालय है, जिसे इसमें लाइसेंसधारी कहा गया है, और (इसके अंतर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख ----------- को --------- स्थान पर किया गया है।

प्रस्तावना

लाइसेंसधारी को कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली सह अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली टर्मिनलों के माध्यम से रेल टिकटों की बिक्री के लिए पब्लिक प्राइवेट भागीदारी (पीपीपी) आधार पर यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (जिन्हें इसमें आगे वाईटीएसके के रूप में जाना जाएगा) स्थापित और परिचालित करने की अनुमति दी गई है। ऐसे लाइसेंसधारी, जो पीपीपी आधार पर वाईटीएसके परिचालित करने के लिए प्राधिकृत किए गए है, यात्री टिकट सुविधा केन्द्र लाइसेंसधारी (जिन्हें इसमें आगे वाईटीएसकेएल के रूप में जाना जाएगा) के रूप में जाने जाएंगे। अब वाईटीएसकेएल और सरकार द्वारा और उनके बीच एतददारा नीचे दिए गए यह अनुसार सहमति दी गई है कि:

1. सरकार एतद्वारा इसमें अंतर्विष्ट निबंधन और शर्तों और इसके साथ दी गई अनुसूची, जो इस करार का भाग होगी, के अनुसार कंप्यूटरीकृत पीआरएस सह यूटीएस टर्मिनलों के माध्यम से रेल टिकटों की बिक्री के लिए वाईटीएसके स्थापित और परिचालित करने के लिए वाईटीएसकेएल को प्राधिकृत करती है। लाइसेंसधारी इसमें विर्निर्दिष्ट

शर्तों और नियमों के अनुसार तथा भारतीय रेल सम्मेलन की कोचिंग टैरिफ और प्रकाशनों में समय-समय पर उनसे संबंधित नियमों अथवा रेलवे के अनुदेशों के अध्यधीन टिकटें जारी करने का वचन देता है।

2. **परिचालन के निबंधन एवं शर्तें:**

लाइसेंसधारी को चार टर्मिनलों तक परिचालित करने की सुविधा दी जाएगी। बहरहाल, लाइसेंसधारी को दिए जाने वाले काउंटरों की संख्या की सीमा भारतीय रेलवे द्वारा बढ़ाई जा सकती है, यदि ऐसा आवश्यक समझा जाता है।

i. ऐसे आरक्षण केन्द्रों पर अपेक्षित हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर स्थापित, परिचालित, अनुरक्षित करने और आवधिक सिस्टम के अपग्रेडेशन की लागत लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी। किसी प्रकार की चूक/अनुपालन न किए जाने पर पीआरएस/यूटीएस सिस्टम की एक्सैस को अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है अथवा यदि लाइसेंसधारी आवश्यक अपग्रेडेशन करने से मना करता है तो लाइसेंस को समाप्त भी किया जा सकता है।

ii. टर्मिनल, कंप्यूटर, टिकट प्रिंटर, मोडेम्स और मल्टीफ्लैक्सर्स आदि एक प्राधिकृत एंजेसी के माध्यम से रेलवे द्वारा मुहैया करवाए जाएंगे और अनुरक्षित करवाए जाएंगे अथवा लाइसेंसधारी द्वारा खरीदे और अनुरक्षित किए जा सकते हैं।

iii. यदि निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार इन मदों में से कोई मद लाइसेंसधारी द्वारा स्वयं खरीदी जाती है तो रेलवे के अधिकारी प्रमाणन के लिए हार्डवेयर का निरीक्षण करेंगे।

iv. यदि इनमें से कोई मद रेलवे द्वारा सप्लाई और अनुरक्षित की जाती है तो रेलवे द्वारा यथा निर्धारित लागत लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी। ऐसी स्थिति में लाइसेंसधारी इस करार में यथा निर्धारित उपस्करों को अनुरक्षित करने के लिए रेलवे की प्राधिकृत अनुरक्षण एंजेंसी को अपने परिसरों में आने की अनुमति देगा।

v. रेलवे द्वारा निर्धारित अनुरक्षण प्रभारों संबंधी निर्णय अंतिम होगा और लाइसेंसधारी इसके लिए विवाद नहीं करेगा।

vi. लाइसेंसधारी अपने स्वयं के इंजीनियरों द्वारा हार्डवेयर का अनुरक्षण भी कर सकता है। बहरहाल, लाइसेंसधारी द्वारा खरीदे गए उपस्करों का रख-रखाव केवल लाइसेंसधारी द्वारा ही किया जाएगा।

3. लाइसेंसधारी अपने स्थान और रेलवे के नजदीकी कंप्यूटरीकृत पीआरएस केन्द्र के बीच दो डाटा/कम्यूनिकेशन चैनल किराये पर लेगा और उनका अनुरक्षण करेगा।

4. लाइसेंसधारी भारतीय रेल के कंप्यूटरीकृत पीआरएस केन्द्रों के समान पैटर्न और स्तर पर कार्यालय और काउंटर स्थापित करेगा। परिसरों की लागत और किराया (यदि कोई हो) केवल लाइसेंसधारी द्वारा ही वहन किया जाएगा।

5. लाइसेंसधारी प्रति वर्ष प्रति टर्मिनल 1.6 लाख रु. के सिस्टम एक्सेस प्रभारों का भुगतान करेगा। इनका संदाय लाइसेंसधारी द्वारा अग्रिम रूप से किया जाएगा। सिस्टम एक्सेस प्रभारों को भारतीय रेल द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाएगा। लाइसेंसधारी वाईटीएसके चलाने के लिए अपनी स्वयं की लागत पर अपने कर्मचारी नियुक्त करेगा/करेगी।

6. रेलवे पर्याप्त लेखा-जोखा रखने के बाद विभिन्न रंगों के केवल पीआरएस/यूटीएस टिकटों के रोल नि:शुल्क सप्लाई करेगा। बहरहाल, लाइसेंसधारी नॉन टिकटिंग स्टेशनरी की लागत वहन करेगा।

7. लाइसेंसधारी पीआरएस/यूटीएस टिकट रोल/टिकटों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करेगा। पीआरएस/यूटीएस टिकट रोल/टिकटों के गुम होने/दुरूपयोग होने पर रेलवे को हुए धन संबंधी नुकसान की भरपाई के लिए रेल प्रशासन द्वारा यथा निर्धारित जुर्माना लिया जाएगा।

7.1 मौजूदा नियमों के अनुसार, पीआरएस टिकट रोल/टिकटें गुम होने पर, गुम हुए प्रत्येक टिकट के लिए छ: व्यस्क यात्रियों के लिए गाड़ी की उच्चतम श्रेणी के सबसे अधिक दूरी वाले किराये के बराबर डेबिट वसूल किया जाएगा। यूटिएस टिकटों के गुम/दुरूपयोग होने पर, सिस्टम में सबसे अधिक दूरी के गंत्वय के लिए चार व्यस्क यात्रियों के दूसरे श्रेणी के मेल/एक्सप्रैस किराये के बराबर दर पर डेबिट वसूल किया जाएगा।

8. **<u>सेवा प्रभार (कमीशन)</u>**

लाइसेंसधारी को 2एस और स्लीपर श्रेणी के लिए प्रति यात्री 30रु. और अन्य श्रेणियों के लिए प्रति यात्री 40रु. की दर पर अथवा समय समय पर रेलवे द्वारा अधिसूचित दर पर सेवा प्रभार उदगृहित करने का अधिकार होगा।

8.1 कमीशन/सेवा प्रभार टिकट (टिकटों) पर मुद्रित होगा।

8.2 रद्दकरण के लिए सेवा प्रभारों की दर उस श्रेणी विशेष की टिकटों की बुकिंग के लिए निर्धारित प्रभारों के 50 प्रतिशत के बराबर होगी।

8.3 लाइसेंसधारी यात्रियों की विभिन्न श्रेणी के लिए सेवा प्रभारों की दर संबंधी सूचना को प्रमुख स्थानों पर अंग्रेजी, हिंदी और प्रादेशिक भाषा में प्रदर्शित् करेगा।

9. **कार्य संचालन संबंधी अनुदेश**

i. पीआरएस/यूटीएस टिकट रोल अथवा कोई अन्य धन के संबंधी प्रलेख जारी करने और उनका लेखा जोखा रखने के लिए विस्तृत प्रक्रिया ओदश जोनल रेलों द्वारा तैयार किया जाएगा और यह योजना तथा इस करार में दिए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार लाइसेंसधारी पर बाध्यकर होगा।

ii. ऐसी टिकटों के मांगपत्र संबंधी कार्रवाई लाइसेंसधारी द्वारा जोनल रेलों द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। इस प्रक्रिया में जोनल रेलवे का नामित वाणिज्य अधिकारी अधिमान्यत: मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (यात्री विपणन) ट्रेवल एंजेंट द्वारा टिकटों की औसत बिक्री का मूल्यांकन करेगा और मासिक बिक्री के बराबर टिकट रोल स्पष्ट हस्ताक्षर करवाकर सप्लाई किए जाएंगे। टिकट रोल संख्या और कोई अन्य पहचान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (यात्री विपणन)/मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (पीएस) के पास रखे रजिस्टर में दर्ज की जाएगी और लाइसेंसधारी के हस्ताक्षर लिए जाएंगे।

iii. टिकट रोल में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को गंभीर चूक माना जाएगा जिसके लिए लाइसेंस को समाप्त भी किया जा सकता है।

iv. लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि टिकटिंग टर्मिनल (टर्मिनलों) की देख रेख के लिए नियुक्त कर्मचारी वैसी ही अर्हता रखते हों जैसी रेलवे द्वारा पूछताछ एवं आरक्षण लिपिक (ईसीआरसी) के लिए निर्धारित की गई है। रेल

प्रशासन लाइसेंसधारी के टर्मिनल ऑपरेटरों को रेलवे की स्वयं की लागत पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा और लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि केवल ऐसे प्रशिक्षित कर्मचारी ही काउंटरों पर नियुक्त हों।

v. लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि आरक्षण रेल प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार ही किए जाते हैं।

vi. लाइसेंसधारी को आरक्षण चार्ट तैयार किए जाने के समय तक और इस करार में उल्लिखित कार्य घंटों के भीतर अथवा समय समय पर यथा प्रतिबंधित उसके द्वारा अथवा अन्य वाईटीएसके द्वारा जारी टिकटों को ही जारी करने/रद्द करने की अनुमति दी जाती है। बहरहाल, रेलवे वाईटीएसके द्वारा जारी किसी भी टिकट को रद्द कर सकती है और धन वापसी कर सकती है। अनारक्षित टिकटों के मामले में, वाईटीएसके पर रद्दकरण की अनुमति नहीं है। वाईटीएसके द्वारा जारी अनारक्षित टिकटों का रद्दकरण और रिफंड (यदि कोई हो) ऐसे टिकट की सत्यता का सत्यापन करने के बाद लागू रिफंड नियमों के अनुसार सेवित स्टेशन द्वारा किया जाना है।

vii. लाइसेंसधारी को रक्षा विभाग कोटा और विदेशी पर्यटक कोटा के अंतर्गत टिकटें बुक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लाइसेंसधारी से बुक किए गए टिकटों पर कोई आपातकालीन कोटा रिलीज नहीं किया जाएगा।

viii. ब्लॉक बुकिंग, आशोधन, नाम, आयु, लिंग में परिवर्तन, विशेष रद्दकरण आदि की सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहरहाल, तारीख, गाड़ी, श्रेणी के पूर्वन और स्थगन की अनुमति होगी।

ix. जारी न किए गए टिकट और आरक्षण चार्ट तैयार करने से पूर्व रद्द किए गए टिकट इस योजना तथा करार के आधार पर संबंधित जोनल रेलवे द्वारा अंतिम रूप दिए जाने वाले प्रक्रिया आदेश के अनुसार अगले कार्य-दिवस तक पीआरएस कार्यालय में संव्यवहार के सारांश के साथ अवश्य सौंपे जाएं। वाईटीएसकेएल द्वारा ऐसी टिकटों को जमा न कराये जाने पर वाईटीएसकेएल द्वारा टिकटों को जारी करने की सुविधा पर रोक लगा दी जाएगी और इसके अलावा नीचे पैरा 22 में यथा उपबंधित कार्रवाई की जाएगी।

x. मांग पर्चियां - तारीख और टर्मिनल वार इस योजना तथा करार के आधार पर संबंधित जोनल रेलवे द्वारा अंतिम रूप दिए जाने वाले प्रक्रिया आदेश के अनुसार अगले कार्यदिवस तक सारांश के साथ नामित पीआरएस सेंटर पर सौंपी जाएंगी।

xi. वाईटीएसकेएल टर्मिनलों पर किसी ग्रुप बुकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

xii. चार्ट तैयार होने के बाद वाईटीएसकेएल टर्मिनल से जारी टिकटों की धन वापसी मौजूदा नियमों के अनुसार केवल रेलवे टर्मिनलों से ही स्वीकार्य होगी।

xiii. टिकट को 'नॉन इश्यूड' के रूप में बनाने की सुविधा वाईटीएसकेएल को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। कोई गलती होने पर उक्त टिकटों को वाईटीएसकेएल द्वारा संबंधित सेवित स्टेशन को अग्रेषित कर दिया जाए जहां इसके लेन-देन को नियंत्रित किया जाता है और वाईटीएसकेएल द्वारा रद्दकरण प्रभारों का विधिवत भुगतान करने के बाद उन्हें रद्द कर दिया जाएगा।

xiv. वाईटीएसकेएल टर्मिनलों से जारी टिकटों के संबंध में आरक्षण चार्ट में पहचान चिन्ह होगा।

xv. वाईटीएसकेएल टर्मिनलों से भारतीय करेंसी में पूर्णतया भुगतान की हुई टिकटें ही जारी की जाएंगी और इस प्रकार के टर्मिनलों से किसी प्रकार के रियायती वाउचर, उच्चाधिकारी मांगपत्र (एचओआर) फॉर्म, संसद सदस्यों को जारी की हुई पहचान पत्र, विभिन्न राज्यों के विधान सभा सदस्यों को जारी किए गए रेल यात्रा कूपन, स्वतंत्रता सेनानी कार्ड, मुफ्त पास, इंडरेल पास इत्यादि पर टिकट जारी नहीं की जाएंगी।

xvi. पहले से खरीदे गए टिकटों (प्री-बोट टिकट) पर किसी प्रकार के आरक्षण की अनुमति नहीं होगी।

xvii. यात्रियों को पूछ-ताछ सेवाएं इन लाइसेंसधारियों द्वारा निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी।

xviii. लाइसेंसधारी स्वयं या अपने विधिवत अनुमोदित प्रबंधक या अपने कर्मचारी के लिए एक उपस्थिति रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की नाम से (स्वयं या विधिवत अनुमोदित प्रबंधक सहित) दैनिक उपस्थिति मार्क की जाएगी।

रजिस्टर रेल प्रशासन के नामित अधिकारी और किसी अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।

xix. लाइसेंसधारी (लाइसेंसधारियों) दुष्चरित्र वाले किसी व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति जिसके पूर्व-वृत्त की पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जांच नहीं की गई है को किसी भी पद पर नियोजित नहीं करेगा और नियुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करेगा जिसमें कर्मचारी का नाम, पिता का नाम, पता तथा स्थान जहां वह नियोजित है, का उल्लेख करते हुए कर्मचारी का फोटोग्राफ लगा होगा, जिस पर प्रिंटर्स इंक से उसके बांए/दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान उस पर लगाया गया हो जिसे वह ड्यूटी के दौरान अपने पास रखेगा। इस प्रकार के सत्यापन के लिए खर्च लाइसेंसधारी (लाइसेंसधारियों) द्वारा वहन किया जाएगा।

10. रेल प्रशासन जनहित में विशिष्ट श्रेणी, रेलगाड़ी या मार्ग के लिए प्रणाली में लाइसेंसधारी की पहुँच को विनियमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

11. **परिचालन का समय:**

i. सामान्य आरक्षण के लिए लाइसेंसधारियों के परिसरों में टर्मिनलों के परिचालन का समय साप्ताहिक दिनों में 09.00 बजे से 22.00 बजे तक होगा और सामान्य पीआरएस तथा यूटीएस टिकटों की बुकिंग के लिए रविवार को 09.00 बजे से 20.00 बजे तक होगा।

ii. तत्काल टिकटों के लिए बुकिंग का समय इन केन्द्रों पर 11.00 बजे से या समय-समय पर रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय के अनुसार शुरू होगा।

iii. लाइसेंसधारी द्वारा टर्मिनलों का परिचालन समय कम किया जा सकता है ताकि उपर्युक्त समय से पहले उन्हें बंद किया जा सके। बहरहाल, यह लाइसेंसधारी द्वारा रेल प्रशासन को पूर्व सूचना देकर ही किया जाना चाहिए।

iv. लाइसेंसधारी वाईटीएसके के टिकटिंग क्षेत्र में टिकटिंग संबंधित सेवाओं के कार्य के घंटे प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करेगा।

v. अनुरक्षण या अन्य कार्य के लिए शट डाउन के मामले में, रेल प्रशासन जहां तक संभव होगा, अग्रिम सूचना देगा। इस संबंध में रेलवे को किसी प्रकार की कोई दायिता प्रोद्भूत नहीं होगी।

12. **परिसरों को शिफ्ट करना:** लाइसेंसधारी संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के सीसीएम(पीएम)/सीसीएम(पीएस) के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना सुविधाओं में कमी नहीं करेगा या इस कार्यालय को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट नहीं करेगा।

13. **वित्तीय - अग्रिम जमा, बैंक गारंटी, प्रतिभूति निक्षेप और लाइसेंस शुल्क।**

13.1 **रजिस्ट्रेशन शुल्क:** लाइसेंसधारक लाइसेंस का आवंटन होने पर 5 लाख रु. के एक बारगी नॉन-रिफन्डेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करेगा।

13.2 <u>प्रतिभूति निक्षेप/बैंक गारंटी</u>

i. लाइसेंसधारी रेलवे के पास प्रति पोर्टल 2 लाख रु. का ब्याज रहित प्रतिभूति निक्षेप जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रू. होगी, रखेगा। रेलवे के पास इस प्रकार का प्रतिभूति निक्षेप अधिसूचित बैंक द्वारा बैंक गारंटी के रूप में या नगद जमा/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हो सकता है। यह प्रतिभूति निक्षेप करार की किसी भी धारा के भंग होने की दशा में जब्त कर लिया जाएगा।

ii. प्रतिभूति निक्षेप को लाइसेंसधारी द्वारा जुर्माने सहित सरकार को देय किसी राशि के भुगतान के लिए समायोजित अथवा वसूल किया जा सकता है और जहां यह किया जाता है, लाइसेंसधारी को यथा निर्धारित प्रतिभूति निक्षेप की पूरी राशि के बराबर पुन: प्रतिभूति निक्षेप जमा करवाने के बाद ही सरकार के स्वविवेक पर बिक्री शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। सरकार प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी नहीं होगी।

iii. यह प्रतिभूति निक्षेप इस करार की समाप्ति के बाद लाइसेंसधारी द्वारा सरकार को देय टिकटों की बिक्री, जुर्माने अथवा अन्य किसी भी प्रकार की सभी रकमों को वसूल करने के बाद वापिस कर दिया जाएगा और लेखों को समायोजित कर दिया जाएगा। इस संबंध में लाइसेंसधारी द्वारा सरकार को देय रकम के बारे में सरकार का निर्णय अंतिम होगा और लाइसेंसधारी पर बाध्यकारी होगा। करार भंग अथवा असंतोषप्रद सेवा के कारण लाइसेंस समाप्ति की दशा में प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत किया जा सकता है।

13.3 <u>**अग्रिम जमा**</u> - लाइसेंसधारी रेलवे के पास अग्रिम में प्रति काउंटर 5 लाख रु. की

न्यूनतम राशि जमा करेगा और प्रति काउंटर 4.5 लाख रु. तक की ही टिकटें जारी करने की अनुमति दी जाएगी अर्थात लाइसेंसधारी उस राशि तक टिकट जारी कर सकता है जो रेलवे के पास उपलब्ध जमा से प्रति काउंटर 0.50 लाख रु. कम है। टिकट का जारी होना स्वत: रूक जाएगा जैसे ही उनके द्वारा जारी की गई टिकटों की राशि प्रति काउंटर 4.50 लाख रु. पहुँच जाती है। यह विशेषता सॉफ्टवेयर में इन बिल्ट होगी। लाइसेंसधारी अग्रिम जमा की न्यूनतम स्तर में होने की तारीख से अगले कार्य दिवस तक जमा राशि को पूरा करेगा। लाइसेंसधारी उपयोग की गई राशि को 1 करोड़ रु. के अधिकतम मूल्य तक पूरा कर सकता है।

13.4 वाईटीएसकेएल द्वारा की गई जमा राशि को एकत्र/अद्यतन करने की प्रक्रिया

i. रेल प्रशासन वाईटीएसकेएल से नगद/डिमांड ड्राफ्ट एकत्र करने के लिए मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक (सीबीएस) को और पीआरएस प्रणाली पर वाईटीएसकेएल के लेखा को अद्यतन करने के लिए मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक को नामित करेगा।

ii. वाईटीएसकेएल टिकटों की बिक्री शुरू करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय रेल के कैश ऑफिस/स्टेशन में प्रति टर्मिनल 5 लाख रु. जमा करेगा।

iii. वाईटीएसकेएल इस उद्देश्य के लिए नामित सीआरएस को कैश ऑफिस/स्टेशन द्वारा जारी की गई नगद रसीद प्रस्तुत करेगा, जो इसके सत्यापन के बाद प्रणाली में टिकट जारी करना शुरू करना प्राधिकृत करेगा।

iv. नामित सीआरएस को प्रणाली लॉग-इन करने के लिए एक पृथक कैपटिव मैन्यू एकाउंट दिया जाएगा जो राशि एकत्र करने और उसकी सत्यता और प्रमाणिकता तथा धन रसीद के सत्यापन के बाद वाईटीएसकेएल के लिए डिपोजिट एकाउंट को अद्यतन करेगा। स्टेशन फॉयल और अन्य दस्तावेज सीआरएस द्वारा रखे जाएंगे। प्रत्येक वाईटीएसकेएल के लिए इस संबंध में सीआरएस द्वारा एक पृथक धन रसीद रजिस्टर रखा जाएगा।

v. सहायक वाणिज्य प्रबंधक (आरक्षण) इस मद की दैनिक आधार पर जांच करेगा कि सिस्टम में प्रदर्शित राशि और वाईटीएसकेएल की धन रसीद की राशि सही है या नहीं। साथ ही वह यह भी प्रमाणित करेगा कि राशि को मिलाकर लिया गया है और इसे सही पाया गया है। टीआईए सेल भी इस

संबंध में नियमित जांच करेगा।

13.5 वाईटीएसकेएल द्वारा दिन प्रतिदिन की आमदनी को जमा कराना

i. प्रत्येक दिन हर शिफ्ट के अंत में, वाईटीएसकेएल जारी की गई, रद्द की गई टिकटों, अर्जित धनराशि, वापस की गई और शुद्ध धनराशि के ब्यौरे दर्शाते हुए प्रत्येक टर्मिनल के लिए लेन देन के सार का प्रिंट आउट लेगा। प्रत्येक वाईटीएसकेएल द्वारा प्रत्येक दिन की आमदनी को नकद रूप में नामित समय पर सीबीएस को नकद/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करते समय कुल राशि (सेवा प्रभार में वाईटीएसकेएल के हिस्से को निकालकर) को एक साथ जोड दिया जाएगा।

ii. वाईटीएसकेएल द्वारा इस प्रकार जेनरेट किए गए सार में की गई बुकिंग, बुकिंग राशि, रद्दकरण, धनवापसी, वाईटीएसकेएल का सेवा प्रभार और रेलवे को देय शुद्ध राशि (वाईटीएसकेएल का सेवा प्रभार का हिस्सा निकालकर) के ब्यौरे होंगे।

iii. वाईटीएसकेएल रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित समय के अनुसार, अवकाश/रविवार आदि पर ध्यान दिये बिना, लेन-देन सार के साथ नकद/डिमांड ड्राफ्ट में आमदनी मुख्य बुकिंग अधीक्षक (सीबीएस) के पास जमा करेगा।

iv. सीबीएस वाईटीएसकेएल का नाम और कोड दर्शाते हुए वसूल की गई राशि के लिए एक धन रसीद (एमआर) जारी करेगा। वाईटीएसकेएल के लिए एमआर बुक चार फॉयल आदि में होगी। यथा:

1. लेखा फॉयल (मूल)
2. ग्राहक (वाईटीएसकेएल) फॉयल,
3. सीआरएस फॉयल, और
4. रिकॉर्ड फॉयल

v. सीआरएस फॉयल सीबीएस द्वारा सीधे सीआरएस को सौंपी जाएगी और वाईटीएसकेएल फॉयल वाईटीएसकेएल को सौंपी जाएगी।

vi. उन स्थानों पर जहां जमा किए गए नकद का लेखा-जोखा अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली (यूटीएस) टर्मिनलों के माध्यम से रखा जा रहा है, सीबीएस द्वारा

यूटीएस से धन रसीद की दो प्रतियां ली जाएंगी, जिनमें से एक प्रति सीआरएस को दी जाएगी और दूसरी प्रति वाईटीएसकेएल को दी जाएगी।

vii. वाईटीएसकेएल धन रसीद (एमआर) (मैन्यूअल अथवा यूटीएस से ली गई), उस शिफ्ट की रिफंड की गई टिकटों और मांग पर्चियों के साथ उक्त पैरा (ii) में उल्लिखित लेनदेन का सार सीआरएस के पास जमा करेगा। सीआरएस स्टैम्प लगाकर और नाम विशेष के साथ हस्ताक्षर करके सार को सत्यापित करेगा। किसी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में, इसे सीआरएस द्वारा हल किया जाएगा और वाईटीएसकेएल के लेखे को सीआरएस द्वारा रसीद में यथा उल्लिखित सीबीएस द्वारा जमा की गई राशि के साथ अद्यतन किया जाएगा।

13.6 दैनिक नकद और उसका लेखा जोखा (शिफ्ट वार)

i. सीबीएस एक हस्तलिखित रजिस्टर रखेगा जिसमें वह संबंधित मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालय से प्राप्त धन रसीद (एमआर) बुक संख्या दर्ज करेगा।

ii. सीबीएस केवल वाईटीएसकेएल के लिए एक अलग से धन रसीद बुक रखेगा ताकि लेखा विभाग उन्हें समय-समय पर प्रति-सत्यापित कर सके। प्रत्येक वाईटीएसकेएल द्वारा जमा कराई गई राशि को सीबीएस द्वारा दैनिक आधार पर अन्य स्टेशन की नकदी के साथ रेलवे के लेखे में जमा कराया जाएगा। सीबीएस तारीख वार और प्रत्येक वाईटीएसकेएल द्वारा जमा धन के वाईटीएसके टर्मिनल वार ब्यौरे लेखा फॉयल के साथ यातायात लेखा को धन रसीद के ब्यौरों के साथ प्रतिदिन प्रस्तुत करेगा। धन रसीद पर प्रत्येक वाईटीएसकेएल को दिए गए कोड नं. का उल्लेख किया जाएगा।

iii. सीबीएस डीटीसी सार के अनुसार वाईटीएसकेएल द्वारा जमा कराई गई राशि के लिए वाईटीएसकेएल को धन रसीद जारी करेगा। सीबीएस वाईटीएसकेएल द्वारा सीआरएस को प्रस्तुत सार पर हस्ताक्षर करेगा और स्टाम्प लगाएगा और इसे पांच वर्षों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। इस प्रकार रखे गए डीटीसी के सार को सुरक्षित रखने की अवधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षा के अध्यधीन होगी।

iv. यदि नकद राशि/डिमांड ड्राफ्ट समय से नहीं जमा कराया जाता तो उस

वाईटीएसकेएल के सभी टर्मिनलों का परिचालन मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (यात्री विपणन) द्वारा कोई नोटिस दिए बिना उस समय तक अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा जब तक कि रद्द की गई/जारी न की गई टिकटों और मांग पर्चियों के साथ राशि को जमा नहीं करवा दिया जाता। एक लॉग बुक रखी जाएगी तथा इस पहलू को टीआईए द्वारा उसकी नियमित और आवधिक जाचों के दौरान नोट किया जाए।

v. वाईटीएसकेएल से एकत्र की गई सभी धन राशियों का लेखा जोखा सीबीएस द्वारा दिन प्रतिदिन आधार पर वाईटीएसकेएल के जमा शीर्ष के अंतर्गत रखा जाएगा और प्रत्येक वाईटीएसकेएल से एकत्रित सभी राशि को दिन वार अलग से रखा जाए।

14. कमीशन और राजस्व में हिस्सेदारी

लाइसेंसधारी राजस्व, जो अनिवार्य रूप से टिकटों की बुकिंग अथवा रद्दकरण के लिए ग्राहक पर उदगृहित सेवा प्रभार है, में हिस्सा देगा। लाइसेंसधारी टिकटों की बुकिंग अथवा रद्दकरण के लिए ग्राहक पर उदगृहित सेवा प्रभारों का 25 प्रतिशत हिस्सा संबंधित जोनल रेलवे को देगा।

i. लाइसेंसधारी द्वारा आरक्षित टिकटों की बुकिंग/रद्दकरण के समय यात्रियों से वसूल किए गए 25 प्रतिशत सेवा प्रभारों को रेलवे के लेखे में जमा कराया जाएगा।

ii. लाइसेंसधारी ग्राहकों द्वारा अनारक्षित टिकटों की बुकिंग पर सेवा प्रभारों के रूप में प्रति यात्री एक रुपया वसूल करेगा जो जेटीबीएस द्वारा उदगृहित प्रभारों के बराबर है। अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली के माध्यम से बेचे गए टिकटों के मामले में राजस्व में हिस्सेदारी की व्यवस्था नहीं होगी।

iii. अनारक्षित यूटीएस टिकटों को बेचने पर लाइसेंसधारी द्वारा इस प्रकार एकत्र किए गए सेवा प्रभारों को समग्र रूप से लाइसेंसधारी द्वारा ही रखा ज़ाएगा।

iv. राजस्व शेयरिंग मॉडल एक वर्ष के लिए लागू होगा। एक वर्ष की अवधि के बाद भारतीय रेल योजना की प्रतिक्रिया और इस योजना के अंतर्गत जेनरेट कारोबार की मात्रा के आधार पर राजस्व शेयरिंग फॉर्मूला की समीक्षा करेगी।

v. लेखा और वाणिज्य विभागों द्वारा संयुक्त रूप से राजस्व शेयरिंग प्रणाली की प्रत्येक तिमाही में यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा की जाए कि राजस्व का पर्याप्त शेयर रेलवे को प्रोद्भूत हुआ है।

vi. लाइसेंसधारी काउंटरों के खुलने के समय और यात्रियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सेवा प्रभारों की दर संबंधी सूचना प्रमुख स्थानों पर द्विभाषी रूप में प्रदर्शित करेगा।

15. **लाइसेंस की अवधि** - लाइसेंस की अवधि तीन वर्ष की होगी। लाइसेंसधारी प्रतिवर्ष प्रति काउंटर 5,000 रू. की दर से भारतीय रेलवे को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा। लाइसेंस का इसकी मौजूदा समयावधि के समाप्त होने के बाद सक्षम प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर और नवीकरण की अवधि के दौरान प्रचलित मौजूदा नीति के अनुसार नवीकरण किया जा सकता है।

16. **कदाचारों से सुरक्षा**

i. वाइरस/अप्राधिकृत एक्सेस की संभावना से बचने के लिए सिस्टम में पर्याप्त सिस्टम सुरक्षा प्रावधान इन-बिल्ट होंगे।

ii. कदाचारों से सुरक्षा के लिए ब्लॉक बुकिंग, आशोधन, नाम, आयु, लिंग आदि में बदलाव करने की सुविधा नहीं दी जाएगी। बहरहाल, टिकटों के स्थगन/अग्रिम में बुक करवाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

iii. लाइसेंसधारी को वाईटीएसके लाइसेंसधारी द्वारा जारी टिकटों को ही रद्द करने की अनुमति होगी। बहरहाल, वाईटीएसके टिकटें पीआरएस केन्द्रों पर भी रद्द करवाई जा सकती हैं।

iv. रद्दकरण प्रभार रेलवे को क्रेडिट किए जाएंगे परन्तु लाइसेंसधारी को पैरा 8 के अनुसार लाइसेंसधारी द्वारा नियत दर पर यात्रियों से रद्दकरण के लिए कमीशन प्रभारित करने की अनुमति होगी।

v. ये लाइसेंसधारी किसी किस्म के रियायती वाउचर आदि यथा विद्यार्थी रियायत, पास, पीटीओ आदि पर कोई संव्यवहार नहीं करेगा।

vi. इन लाइसेंसधारी को एक अलग से कोड नं. आवंटित किया जाएगा और यह कोड नं. स्वत: टिकट पर भी दर्शाया जाएगा। दो पासवर्ड होंगे, एक पर्यवेक्षी

पासवर्ड, जिसे रेलवे द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और अन्य ऑपरेटर पासवर्ड, जिसे लाइसेंसधारी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

vii. लाइसेंसधारी को जारी टिकट रोल का रंग भिन्न होगा।

viii. वसूल किए गए किराये का मूल्य, सेवा प्रभार आदि टिकट पर दिए जाएंगे ताकि लाइसेंसधारी द्वारा अधिप्रभार से बचा जा सके। रद्दकरण के मामले में भारतीय रेल को देय रद्दकरण प्रभार और लाइसेंसधारी को देय रद्दकरण कमीशन का रद्द किए जाने वाले टिकट पर उल्लेख किया जाएगा।

17. रजिस्टरों का रख-रखाव, रिटर्न प्रस्तुत करना और लेखा और वाणिज्य अधिकारियों द्वारा जांच आदि

i. लेखों के समायोजन के प्रयोजन से, लाइसेंसधारी जोनल रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय को प्रत्येक दस दिन की अवधि के समाप्त होने के बाद पांच कार्य दिवसों के भीतर उस अवधि के दौरान जारी टिकटों के ब्यौरे दर्शाने वाला लेखा प्रस्तुत करेगा और ऐसा ही विवरण भी पीआरएस सह यूटीएस प्रणाली द्वारा लाइसेंसधारी के कोड के साथ प्रस्तुत किया जाएगा और वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी (टी) को भेजा जाएगा। विवादित विसंगतियों और मदों को दो विवरणों की प्रति-जांच करने के बाद समायोजित किया जाएगा। यदि किन्हीं दस दिनों की अवधि के दौरान कोई यातायात नहीं होता तो हाथ में टिकटों की क्लोजिंग नं. दर्शाने वाला कुछ नहीं विवरण जोनल रेलवे के वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी (टी) को भेजा जाएगा। टिकटों के लेखे जोखे और जारी करने संबंधी एक विस्तृत संयुक्त लेखा और वाणिज्य विभाग प्रक्रिया आदेश इस योजना तथा इस करार में दिए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार रेल कर्मचारियों और वाईटीएसकेएल द्वारा कडाई से अनुपालन किये जाने के लिए रेल प्रशासन (जोनल रेलवे द्वारा) अलग से जारी किया जाएगा तथा समय समय पर आशोधित किया जाएगा। लाइसेंसधारी को आशोधित शर्तों का पालन करना होगा।

ii. लाइसेंसधारी के कार्यालयों का लेखा/वाणिज्य विभाग और सांविधिक लेखा

परीक्षा के प्रतिनिधियों अथवा सरकार के ऐसे अन्य प्रतिनिधि द्वारा ऐसे अंतरालों जिसका निर्णय सरकार करेगी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। लाइसेंसधारी ऐसे प्रतिनिधियों की जांचों और निरीक्षण के लिए सभी संगत रिकार्ड पूरी तरह से देखने की अनुमति देगा और उन्हें अपेक्षित सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

iii. रेल प्रशासन लाइसेंसधारी द्वारा रेलवे को प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणों और रिटर्न के फार्मेट निर्धारित करेगा। इन रिटर्नों के ब्यौरे इन रिपोर्टों /रिटर्न की अवधि को भी रेलवे द्वारा जोनल रेलों के विसमुलेधि के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा।

iv. यदि लाइसेंसधारी लेखों और जारी किये गए टिकटों और देय तारीखों पर स्टॉक के ब्यौरे दर्शाने वाला उक्त पैरा में यथा वर्णित विवरण और जारी न की गई और रद्द की गई टिकटों को रेलों को जमा कराने में असफल रहता है अथवा करार और उसके साथ संलग्न अनुसूची के किसी निबंधन एवं शर्त को भंग करता है तो सरकार किसी अन्य अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसके अंतर्गत किसी टिकट की बिक्री को बंद करने और सूची तैयार करके लाइसेंसधारी के पास रखे हुए टिकटों के स्टॉक को जब्त करने की हकदार होगी। सरकार आगे से इस करार को समाप्त करने की भी हकदार होगी। करार की समाप्ति होने पर सरकार को लाइसेंसधारी द्वारा संदेय पूरी राशि का तत्काल भुगतान करना होगा और लाइसेंसधारी ऐसी राशि का तत्काल भुगतान करेगा। सरकार या रेलवे के इसके प्राधिकृत अधिकारी का यह निर्णय कि लाइसेंसधारी ने करार का किसी प्रकार का उल्लंघन किया है कि नहीं, अंतिम होगा और लाइसेंसधारी पर बाध्यकारी होगा।

v. लाइसेंसधारी योजना के तहत यथा अपेक्षित सभी रजिस्टर/किताबें और रिटर्न रखेगा। इसके अतिरिक्त उससे ऐसे दस्तावेजों/रजिस्टरों को रखने के लिए भी कहा जाएगा जिन्हें रेल प्रशासन द्वारा सत्यापन के प्रयोजन से आवश्यक समझा जाता है।

vi. रिफंड (रद्द) टिकटों और नॉन इश्यूड टिकट्स का विवरण यातायात लेखा कार्यालय के पास अगले कार्य दिवस को बिना किसी चूक के अवश्य पहुँचना

चाहिए।

vii. निजी स्वामित्व वाले टर्मिनलों के लिए बैलेंस शीट और यात्री वर्गीकरण प्राधिकृत लाइसेंसधारी और उनके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) जिनके हस्ताक्षर यातायात लेखा कार्यालय में अवश्य उपलब्ध हो, द्वारा अवश्य हस्ताक्षरित होना चाहिए। इन्हें सीसीएम द्वारा विस एवं मुलेधि के परामर्श से निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार यातायात लेखा कार्यालय में नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाए।

viii. रेलवे प्रशासन के पास लाइसेंसधारी के कार्यालय को व्यवसायिक घंटों के दौरान किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा और इस उद्देश्य के लिए रेल प्रशासन जिसे उपयुक्त समझे, उसे प्रतिनियुक्त कर सकता है। इन केन्द्रों पर कदाचार की प्रवृत्ति वाले किसी अवांछित तत्व पर निगरानी करने के उद्देश्य से, लाइसेंसधारी वाईटीएसकेएल पर सीसीटीवी/आईपीटीवी का प्रावधान करेगा। सीसीटीवी/आईपीटीवी के फुटेज को कम से कम एक महीने के लिए सुरक्षित रखा जाएगा और ऐसे डाटा को निरीक्षण कर्मियों की मांग पर मुहैया कराया जाएगा।

ix. लाइसेंसधारी द्वारा दी जा रही सेवाओं के निष्पादन की समीक्षा समय-समय पर सर्वेक्षण करके और दौरा करके और वाणिज्यिक तथा लेखा अधिकारियों इत्यादि के निरीक्षण के माध्यम से की जाएगी।

x. लाइसेंसधारी रेलवे पीआरएस टर्मिनलों के लिए किए गए पर्यवेक्षण जांच या इंटरनेट प्रणाली के लिए अपेक्षित किसी अन्य पर्यवेक्षण के अधीन होगा।

xi. लाइसेंसधारी द्वारा जारी की गई टिकटों की 15 दिनों के विवरण की जांच रेलवे द्वारा की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी लाइसेंसधारी विशेष ने टिकटें जारी करने का कोई असामान्य तरीका तो नहीं अपनाया है।

18. लाइसेंस का अंतरण:

लाइसेंस नॉन-ट्रांसफरेबल होगा, बशर्ते कि एजेंट की मृत्यु के मामले में, लाइसेंस उनके कानूनी उत्तराधिकारी को लिखित में अनुरोध करने पर लाइसेंस की बची हुई अवधि के

लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा ट्रांसफर किया जा सकता है और कानूनी उत्तराधिकारी नवीनीकरण के समय यथा लागू नियमों के प्रावधान के अनुसार उक्त लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।

19. **क्षतिपूर्ति खंड**

लाइसेंसधारी या उसके सेवक या एजेंट की भूल-चूक के किसी कृत्य द्वारा सरकार को हुई किसी हानि या क्षति के लिए लाइसेंसधारी पूर्णतया जिम्मेवार होगा और इस संबंध में सरकार को हुई ऐसी हानि या क्षति या लागत, यदि कोई हो, के लिए या के विषय में क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करके और हानि से बचा के रखेगा। लाइसेंसधारी इस विषय में एक क्षति-पूर्ति बॉन्ड देगा।

20. **रिकॉर्डों का संरक्षण**

लाइसेंसधारी रेलवे बुकिंग से संबंधित सभी रिकॉर्डों को कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित रखेगा। बहरहाल, जहां रिकार्ड कोर्ट केस या कोई अन्य कार्य जो भी हो, के लिए अपेक्षित है, लाइसेंसधारक रिकॉर्ड को उस अवधि के लिए संरक्षित रखेगा जैसा सरकार द्वारा लंबी अवधि तक के लिए रखे जाने के लिए अपेक्षित है।

21. **जुर्माना**

इस करार या कानून के तहत सरकार के कोई अन्य अधिकार और उपचार के बिना पूर्वाग्रह के, सरकार के पास निम्नलिखित अनियमितताएं/चूक होने पर लाइसेंसधारी पर परिनिर्धारित नुकसानियों को अपने स्वंय के विवेकाधिकार पर आरोपित करने का अधिकार होगा।

क) लाइसेंसधारी की चूक (चूकों) के कारण सरकार को हुई आर्थिक क्षति

ख) विलंब या अनियमितताओं के कारण सरकारी राजस्व का नुकसान

ग) रेलवे या ग्राहकों/यात्रियों को कदाचार के कारण हुई हानि

घ) रेलवे प्रशासन द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक सेवा प्रभार और वाईटीएसकेएल द्वारा वाईटीएसके पर प्रदर्शित सेवा प्रभारों की उगाही।

ङ) अनियमितता/कदाचार का अन्य कोई सिद्ध किया हुआ मामला

च) करार की किसी शर्त का अनुपालन न होना।

22. **समापन**

i) लाइसेंसधारी द्वारा इस करार या भारतीय रेल के नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन किए जाने के किसी मामले में न्यूनतम 50,000रु. के बराबर जुर्माने के तौर पर निवारक सजा के तौर पर लगाए जाएंगे जिसमें लाइसेंस निरस्तीकरण शामिल हो सकता है।

ii) करार, जो इसमें शामिल प्रावधानों के अध्यधीन होगा, दिनांक ------------ से -------------- के लिए लागू रहेगा और दिनांक ---------- को समाप्त होगा बशर्ते कि पहले ही दोनों में से कोई/अन्य पार्टी लिखित में एक महीने का नोटिस देते हुए दूसरे को बिना किसी कारण बताए हुए कि कहाँ से लेखा का समायोजन किया जाए? इसे समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

iii) लाइसेंसधारी (लाइसेंसधारियों) की ओर से असमाधानप्रद सेवा अथवा इस करार के निबंधनों और उपबंधों को, रेल प्रशासन को (जो एकमात्र निर्णायक होगा और जिसका विनिश्चय अंतिम होगा) समाधानप्रद रूप में करने में असफलता की दशा में रेल प्रशासन को यह विकल्प होगा कि वह लाइसेंसधारी (लाइसेंसधारियों) को पूर्व में कोई नोटिस दिए बिना तत्काल इस करार को समाप्त कर सकता है और करार के इस प्रकार समाप्त होने पर खंड 13.2 में उल्लिखित प्रतिभूति निक्षेप रेल प्रशासन को समपहृत हो जाएगा और करार के इस प्रकार समाप्त कर दिए जाने पर लाइसेंसधारी (लाइसेंसधारियों) का रेल प्रशासन या उसके किसी पदधारी के विरूद्ध कोई दावा नहीं होगा।

iv) इस करार को निम्नलिखित दशाओं में से किसी भी दशा में, कोई सूचना दिए बिना किसी भी समय, तत्काल समाप्त करने का हकदार होगा, अर्थात: यदि लाइसेंसधारी व्यष्टि है/हैं तो उसे या यदि वह फर्म है तो ऐसी फर्म के किसी भागीदार को किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णित कर दिया जाता है, या उसके विरुद्ध रिसीवर की नियुक्ति का आदेश या उसकी संपदा प्रशासन का आदेश कर दिया जाता है, या तत्समय प्रवृत्त किसी दिवाला विषयक अधिनियम के अधीन परिसमापन या प्रशमन के लिए वह कोई

कार्यवाही कराता है, या अपनी चीजबस्त का हस्तान्तरण या समनुदेशन करता है, या संदाय निलंबित करने के लिए अपने लेनदारों के साथ कोई ठहराव या समझौता करता है या संदाय निलंबित कर देता है, या भागीदार अधिनियम के अधीन फर्म विघटित कर दी जाती है, या यदि लाइसेंसधारी कंपनी है तो, कंपनी द्वारा संकल्प पारित कर दिया जाता है, और कंपनी का अनिवार्यत: या स्वेच्छया परिसमापन हो जाता है।

v) यह करार दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार द्वारा एक दूसरे पक्षकार को, कोई कारण बताए बिना, कम से कम एक कैलेंडर मास की लिखित सूचना देकर भी समाप्त किया जा सकेगा।

vi) इस करार को तैयार और निष्पादित करने तथा स्टांप शुल्क अधिनियम के अंतर्गत स्टांप शुल्क का खर्च पूर्णत: लाइसेंसधारी द्वारा वहन किया जाएगा और वह, मांग किए जाने पर, रेल प्रशासन को तुरंत संदेय होगा।

vii) इसमें जैसा अन्यथा उपबंध है उसको छोड़कर, इस करार या इसके किसी निबंधन का परित्याग करने, उसमें परिवर्तन करने या उसे अनुपूरित करने वाला कोई मौखिक या लिखित ठहराव रेल प्रशासन पर तब तक आबद्धकर नहीं होगा जब तक कि उसे इस करार पर पृष्ठांकित नहीं कर दिया जाता या किस प्ररूपिक लिखत में सम्मिलित नहीं कर दिया जाता और उस पर लाइसेंसधारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं कर दिए जाते और उसे भारत के राष्ट्रपति की ओर से संविधान के अनुच्छेद 299(i) के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से निष्पादित नहीं कर दिया जाता।

viii) यदि लाइसेंसधारी पर तामील की जाने वाली कोई सूचना ------------------ में लाइसेंसधारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या अंतिम ज्ञात कारबार स्थान पर उसके पते पर परिदत्त कर दी जाती है या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज दी जाती है तो यह समझा जाएगा कि उसकी लाइसेंसधारी पर पर्याप्त रूप से तामील हो गई है। यदि लाइसेंसधारी द्वारा रेल प्रशासन पर तामील की जाने वाली कोई ------------------ रेल -------------------- के कार्यालय में छोड़ दी जाती है या उसके पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज दी जाती

है तो यह समझा जाएगा कि उसकी रेल प्रशासन पर पर्याप्त रूप से तामील हो गई है।

ix) इस करार के अधीन या इसके संबंध में अथवा किसी भी रूप में इस विलेख के अर्थान्वयन, अर्थ या प्रभाव के विषय में, या उससे संबंधित या उसके बारे में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों, विवादों और या मतभेदों को (उन विषयों के बारे में प्रश्नों, विवादों और या मतभेदों को छोड़कर जिनके विनिश्चय के लिए इसमें इसके पूर्व अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंध किया गया है) माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा शासित किया जाएगा और -------------- रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को भेज दिया जाएगा। ऐसी किसी नियुक्ति के विषय में यह आपत्ति नहीं की जा सकेगी कि इस प्रकार नियुक्त किया गया मध्यस्थ सरकारी सेवक है, कि उसे इस करार से संबंधित विषयों की बाबत कार्यवाही करनी पड़ी है और कि ऐसे सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में उसने विवादग्रस्त या मतभेद वाले सभी विषयों या किसी विषय पर अपना मत व्यक्त किया है। इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ का अधिनिर्णय अंतिम और इस करार के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

x) इस करार में जैसा अन्यथा उपबंध है उसके अधीन रहते हुए, रेल प्रशासन की ओर से दी जाने वाली सभी सूचनाएं और उनकी ओर से की जाने वाली सभी अन्य कार्रवाइयां उनकी ओर से ----------------- रेलवे द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा दी या की जा सकेंगी जिसे तत्समय उक्त मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक के कृत्य, कर्तव्य और शक्तियां सौंपी गई हों। सभी सांविधिक मानकों, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मार्ग-निर्देशों और विनियमों के अनुपालन की एकमात्र दायिता संबंधित लाइसेंसधारी की है। श्रम कानून सहित किसी भी सांविधिक प्रावधान का अनुपालन न किए जाने पर रेलवे के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं किया जाएगा।

xi) लाइसेंसधारी के कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र में यह खंड होगा कि वे रेलवे के कर्मचारी होने का दावा नहीं करेंगे। कर्मचारी लाइसेंसधारी के होगें और

उक्त लाइसेंसधारी कर्मचारियों के सभी कार्यों के लिए जिम्मेवार होगा।

23. **रेलवे की दायिता:**

किसी आपात स्थिति में यदि रेलवे द्वारा इस प्रकार की राशि का भुगतान करना अपेक्षित है, इसे एजेंट के प्रतिभूति निक्षेप से समायोजित कर लिया जाएगा।

24. **अपरिहार्य घटना:**

इस करार के तहत या इसके अनुसरण में अनुपालन में किसी प्रकार की विफलता, या किसी बाध्यता के अनुपालन में किसी प्रकार के विलंब के लिए न तो रेलवे न लाइसेंसधारी एक दूसरे के लिए दायी होंगे जो उस सीमा तक हो कि ऐसी विफलता अथवा विलंब किसी अपरिहार्य घटना द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हुआ हो।

इसके साक्ष्य स्वरूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से --------------- रेलवे के श्री -------------------- ने और उक्त --------------------- के श्री --------------- ने ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से
मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के हस्ताक्षर के साक्षी

हस्ताक्षर और पदनाम

------------------------ रेलवे

लाइसेंसधारी के हस्ताक्षर के साक्षी

लाइसेंसधारी के हस्ताक्षर

GOVERNMENT OF INDIA(भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)
****

No.2014/TG-I/23/PRS Terminal **New Delhi, dated 25.09.2014**

General Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 50 OF 2014)

Sub: Introduction of scheme for establishment and operation of Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK).
Ref: Commercial Circular No. 33/2014 and 35/2014

Central Railway & Southern Railway have sought certain clarifications on the YTSK Scheme. The matter has been examined in consultation with Stores Directorate of Ministry of Railways (for S.No. 2) and following decisions have been taken:-

S.No.	Item	Remarks
1	To expedite the selection process the JAG level screening committee and another committee of inspectors be nominated at Divisional Level, who will then send the minutes to the accepting authority i.e CCM/PM or CCM/PS (ref S.No. 3 of CC 35/2014)	Ministry of Railways has framed broad guidelines of the scheme. Working instructions for implementing the same can be finalised by Zonal Railways.
2	The art work on ticket roll and colour scheme to be clarified so as to maintain uniformity on IR. Alternatively, will the rolls be supplied by a Central Agency? (ref: para 9.7 of CC No. 33/2014)	**YTSK tickets to be Red in colour, in the same format as PRS ticket. Procurement/ printing of YTSK tickets to be done by Zonal Railways.**
3	How will Railways consider the cases of those ticketing agents who are working only with IRCTC as e-ticketing agents? (ref: S.No. 1 of CC No. 35/2014)	Zonal Railways may co-ordinate with IRCTC to verify the details of such agents at the time of consideration of their applications.
4	There is a question of overlapping of jurisdiction in suburban areas like Mumbai (Western & Central Railway) w.r.t IRCTC agents.	Ministry of Railways has framed broad guidelines of the scheme. Working instructions for implementing the same can be finalised by Zonal Railways.
5	The office premises should be atleast 150 sq ft in area, easily accessible and properly maintained with adequate convenience and amenities in the locality.	Already clarified vide S.No. 8 of CC 35/2014.

(Dr. S.K. Ahirwar)
DTC(G)/Railway Board

Copy to:

1) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2) ADG/PR, EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board., EDRS(G)
3) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
4) General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
7) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
8) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
11) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/टीजी-I/23/पीआरएस टर्मिनल नई दिल्ली, दिनांक 25.09.2014

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2014 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 40)

विषय : यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) स्थापित करने और परिचालित करने की योजना आरंभ करना।

संदर्भ : वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33/2014 और 35/2014

मध्य रेलवे एवं दक्षिण रेलवे ने वाईटीएसके योजना के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। रेल मंत्रालय के भण्डार निदेशालय से परामर्श करके इस मामले की जांच की गई है (क्रम सं. 2) और निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

क्र. सं.	मद	टिप्पणी
1	चयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मण्डल स्तर पर जेएजी स्तर की छानबीन समिति और निरीक्षकों की एक दूसरी समिति नियुक्त की जाए, जो तत्पश्चात स्वीकारकर्ता प्राधिकारी अर्थात् सीसीएम/पीएम या सीसीएम/पीएस को कार्यवृत्त भेजेंगे। (वाणिज्य परिपत्र 35/2014 की क्र. सं. 3 देखें)	रेल मंत्रालय ने इस योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। क्षेत्रीय रेलें उसे कार्यान्वित करने की प्रक्रिया से संबंधित अनुदेश जारी कर सकती हैं।
2.	टिकट रॉल पर कलात्मक कार्य और रंग व्यवस्था स्पष्ट होनी चाहिए ताकि भारतीय रेल में समानता बनाए रखी जाए। क्या वैकल्पिक रूप से रॉल की आपूर्ति किसी केन्द्रीय एजेंसी द्वारा कराई जाएगी? (वाणिज्य परिपत्र सं. 33/2014 का पैरा 9.7 देखें)	**वाईटीएसके टिकटें पीआरएस टिकटों के समान फॉर्मेट में लाल रंग की होंगी। वाईटीएसके टिकटों की खरीद/छपाई क्षेत्रीय रेलों द्वारा की जाएगी।**
3.	रेलवे उन टिकट एजेंटों के मामले पर किस प्रकार विचार करेगी जो ई-टिकट एजेंट के रूप में केवल आईआरसीटीसी के साथ काम करते हैं। (वाणिज्य परिपत्र सं. 35/2014 की क्रम सं. 1 देखें)	एजेंटों के आवेदनों पर विचार करते समय क्षेत्रीय रेलें ऐसे एजेंटों के विवरणों को सत्यापित करने के लिए आईआरसीटीसी के साथ समन्वय स्थापित कर सकती हैं।
4.	आईआरसीटीसी एजेंटों के संबंध में उपनगरीय क्षेत्रों; जैसे मुंबई (पश्चिम एवं मध्य रेलवे) के क्षेत्राधिकार में ओवरलैपिंग का प्रश्न है।	रेल मंत्रालय ने इस योजना के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। क्षेत्रीय रेलें उसे कार्यान्वित करने की प्रक्रिया से संबंधित अनुदेश जारी कर सकती हैं।
5.	कार्यालय परिसर का क्षेत्रफल कम-से-कम 150 वर्ग फीट, सुगम और उस क्षेत्र में पर्याप्त सुविधाएं एवं साधन वाला होना चाहिए।	वाणिज्य परिपत्र 35/2014 के क्रम सं. 8 में पहले ही स्पष्ट किया गया है।

(डॉ. एस. के. अहिरवार)
निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)/रेलवे बोर्ड

GOVERNMENT OF INDIA(भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

****

No.2014/TG-I/23/PRS Terminal **New Delhi, dated 15 .10.2014**

General Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 45 OF 2014)

Sub: Introduction of scheme for establishment and operation of Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK)

Ref: Commercial Circulars No. 33, 35, 37, 39 & 40 of 2014

CRIS, vide letter No. 2009/CRIS/NDLS-HQ/UTS/IMPLEMENT/ Onlineissue /0085/pt-1 dt 11.9.2014 has sought certain clarifications regarding the YTSK Scheme circulated vide CC No. 33/2014. The issues raised in the letter along with clarifications are as under:-

S.No.	Item	Remarks
1	What will be the procedure to deposit system access charge, registration fee, advance deposit, security deposit, license fee (ref paras 3.5, 5.1, 5.2, 5.3 and 7 respectively)	(i). YTSK licensee will make payment for one time registration fee, system access charges and security deposit/bank guarantee in the name of FA&CAO of the Zonal Railway concerned. In case of advanced deposit as indicated in 5.2, the procedure indicated in the standard agreement will be followed. (ii). The registration fee/advance deposit may be in cash or in for of a bank draft. The security deposit may be in cash/demand draft or in for of bank guarantee by a scheduled bank. (iii) On expiry of the agreement, the Security Deposit shall be refunded to the licensee after realising therefrom all the amounts due by the licensee to the Government either as sale proceeds of tickets, penalties or otherwise whatsoever and accounts adjusted in terms of Para13.2(iii) of Standard Agreement circulated vide Board's letter of even number dated 18.9.2014 (CC No. 39/2014). The refund of security deposit should be processed by Refund Office through Accounts Office after due internal checks.
2	Whether these charges will be deposited at UTS counters through money receipts option or Demand Draft for which option to be provided in the system. If money is deposited at UTS counters when whether to will be included in station earnings and at the time of termination of the contract, refund will be granted through station earnings.	

3	How much deposit and minimum balance will be distributed between UTS and PRS	(i) Out of the advance deposit taken as per para 5.2 of the scheme circulated vide CC 33/2014, 90% of the amount will be allocated for booking tickets through PRS and 10% will be used for booking tickets through UTS. (ii) It may however be ensured by the licensee that facility of booking both type of tickets should be available at the counter and the same should not be held up on account of non-availability of advance deposit in either of the accounts. (iii) As far as minimum balance is concerned, the tickets through PRS will not be issued once the minimum balance touches Rs. 40,000/- and ticket through UTS will not be issued once the minimum balance reaches Rs 10,000/-
4	In para 5.3, it is stated that the licensee would be required to keep an interest free security deposit of Rs 2 lakh per port subject to a maximum of Rs 5 lakh with railways. But he is allowed to take only two numbers of data channels between his location and the nearest PRS centre. So, whether port is related to data channel or terminal?	Port is related to the terminals.
5	What will be the maximum time period for defining of YTSK in the system after depositing of all the charges to the Railways.	30 days.
6	Presently JTBS is only permitted issuance of non-concessional & sr. citizen tickets, renewal of non-concessional season tickets & platform tickets. Other operations like non-issue, cancellation, issuance of other type of tickets are restricted to JTBS. Whether YTSK will be permitted to issue all types of non-concession tickets including non-issue, cancel/ special cancel of tickets, BPT etc?	(i) Only fully paid tickets, senior citizen tickets and platform tickets will be issued from YTSKL terminals and such terminals will not issue tickets on any type of concession vouchers, HOR forms, Identity Cards issued to MPs, rail travel coupons issued to MLAs, freedom fighter card, free passes, indrail pass, etc. (ii) In case of unreserved tickets, the rules applicable to JTBS will also be applicable to YTSK. As such the facility of cancellation of unreserved ticket will not be available to YTSK licensee.

--3/--

		(iii) Cancellation and refund (if any) of unreserved tickets may be done by the serving station as per refund rules in force, after verifying their genuineness. (iv) The facility of making the ticket as 'non-issued' shall also not be made available to YTSKL.
7	A supervisory password (controlled by Railways) and an operator password (controlled by licensee) have been mentioned in the Circular. This is practically not possible since YTSK will be located outside the railway premises and station supervisor cannot endorse for supervisory intervention. Why is the supervisory password required?	7: The supervisory password is required in order to keep a check on the YTSK and to de-activate the terminal(s) if necessary.
8	There will be no separate balance sheet for YTSK as all the transactions will be reflected at depot station which will keep all accounts of YTSK. However, a separate report will be prepared to show the amount deposited and sale of tickets counter wise.	8: Agreed.

2. This issues with the concurrence of Finance & Accounts Directorates of Ministry of Railways.

(Dr. S.K. Ahirwar)
DTC(G)/Railway Board

No.2014/TG-I/23/PRS Terminal **New Delhi, dated 15 .10.2014**

Copy to :

FA&CAO, all Zonal Railways
Director (Audit), All Zonal Railways

(M.K. Dubey)
For, Financial Commissioner, Railways

Copy to:

1) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2) ADG/PR, EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
3) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
4) General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
7) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
8) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
11) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/टीजी-I/23/पीआरएस टर्मिनल | नई दिल्ली, दिनांक 15.10.2014

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2014 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 45)

विषय : यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) स्थापित करने और परिचालित करने की योजना आरंभ करना।

संदर्भ : 2014 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33, 35, 37, 39 और 40.

क्रिस ने दिनांक 11.9.2014 के अपने पत्र सं. 2009/क्रिस/एनडीएलएस-एचक्यू/यूटीएस/इम्प्लीमेंट/ऑनलाइनइश्यू/0085/पार्ट-1 के तहत वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33/2014 के तहत परिपत्रित वाईटीएसके योजना के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। इस स्पष्टीकरण के साथ-साथ इस पत्र में उठाए गए मुद्दे निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	मद	टिप्पणी
1	सिस्टम उपयोग करने का प्रभार, पंजीकरण शुल्क, अग्रिम जमा, प्रतिभूति जमा, लाइसेंस शुल्क जमा करने की प्रक्रिया क्या होगी? (क्रमश: पैरा 3.5, 5.1, 5.2, 5.3 और 7 देखें)	(i) वाईटीएसके लाइसेंसधारी एक बारगी पंजीकरण शुल्क, सिस्टम उपयोग करने का प्रभार और प्रतिभूति जमा/बैंक गारंटी का भुगतान संबंधित क्षेत्रीय रेल के वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के नाम करेंगे। 5.2 में यथा उल्लिखित अग्रिम जमा के मामले में मानक करार में दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। (ii) पंजीकरण शुल्क/अग्रिम जमा नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में हो सकता है। प्रतिभूति जमा नगद/डिमांड ड्राफ्ट या किसी अनुसूचित बैंक के बैंक गारंटी के रूप में हो सकता है। (iii) करार समाप्त होने पर सरकार द्वारा लाइसेंसधारी से सभी बकाया राशि जैसे टिकटों की बिक्री से प्राप्त आय, जुर्माना या कोई अन्य किसी प्रकार की वसूली करने और बोर्ड कार्यालय के दिनांक 18.9.2014 के समसंख्यक पत्र (वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39/2014) के तहत परिपत्रित मानक करार के पैरा 13.2(iii) के अनुसार समायोजित की गई राशि वसूल करने के बाद लाइसेंसधारी को प्रतिभूति जमा का रिफन्ड किया जाएगा। प्रतिभूति जमा की रिफन्ड की प्रक्रिया उपयुक्त आंतरिक जांच के बाद लेखा कार्यालय के माध्यम से रिफंड कार्यालय
2.	क्या इन प्रभारों को धन प्राप्ति विकल्प या डिमांड ड्राफ्ट जिसके लिए सिस्टम में विकल्प दिए जाने हैं, के माध्यम से यूटीएस काउन्टरों पर जमा किया जाएगा। यदि धन यूटीएस काउन्टरों पर धन जमा किया जाएगा तो क्या उसे स्टेशन की आमदनी में शामिल किया जाएगा और ठेका समाप्त होने के समय स्टेशन आमदनी से रिफन्ड दिया जाएगा?	

		द्वारा आरंभ की जाएगी।
3.	यूटीएस और पीआरएस के बीच कितनी जमा एवं न्यूनतम शेष राशि का वितरण किया जाएगा।	(i) वाणिज्य परिपत्र 33/2014 के तहत परिपत्रित योजना के पैरा 5.2 के अनुसार, लिए गए अग्रिम जमा में से 90% राशि पीआरएस के माध्यम से टिकटें बुक करने के लिए आबंटित की जाएगी और 10% राशि यूटीएस के माध्यम से टिकटें बुक करने के लिए उपयोग में लायी जाएगी। (ii) बहरहाल, लाइसेंसधारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए है कि दोनों प्रकार के टिकटों को बुक करने की सुविधा काउंटर पर उपलब्ध होनी चाहिए और वह दोनों में से किसी एक में भी अग्रिम जमा उपलब्ध नहीं होने के कारण बुकिंग बाधित नहीं होनी चाहिए। (iii) जहां तक न्यूनतम शेष राशि का संबंध है, जब न्यूनतम शेष राशि 40,000/- रुपए तक पहुँच जाए तो पीआरएस के माध्यम से टिकटें जारी नहीं की जाएंगी और जब न्यूनतम शेष राशि 10,000/- रुपए तक पहुँच जाए तो यूटीएस के माध्यम से टिकटें जारी नहीं की जाएंगी।
4.	पैरा 5.3 में यह उल्लिखित है कि लाइसेंसधारी को रेलवे के पास प्रति पोर्ट 2 लाख रुपए की ब्याजरहित प्रतिभूति जमा रखनी होगी परन्तु यह राशि वह 5 लाख रुपए से अधिक न हो। परन्तु उसे अपने कार्यस्थल और निकटतम पीआरएस केन्द्र के बीच डाटा चैनलों के केवल दो नम्बर रखने की अनुमति है। अत: पोर्ट, डाटा चैनल अथवा टर्मिनल में से किससे संबंधित है?	पोर्ट टर्मिनल से संबंधित है।
5.	रेलों को सभी प्रभार जमा करने के बाद सिस्टम में वाईटीएसके निर्धारित करने की अधिकतम समयावधि क्या होगी?	30 दिन।
6.	वर्तमान में जेटीबीएस को केवल गैर-रियायती और वरिष्ठ नागरिकों की टिकटें जारी करने, गैर-रियायती सीजन टिकटों का नवीकरण करने और प्लेटफॉर्म टिकटों को जारी करने की अनुमति है। अन्य कार्य जैसे नॉन इश्यू, रद्द करने, अन्य प्रकार के टिकट जारी करने का कार्य जेटीबीएस के लिए प्रतिबंधित है। क्या वाईटीएसके को नॉन-इश्यू (टिकटों को रद्द करने, विशेष रूप से रद्द करने बीपीटी आदि सहित सभी प्रकार के गैर-रियायती टिकटों को जारी करने की अनुमति है।)	(i) केवल पूर्ण भुगतान वाली टिकटें, वरिष्ठ नागरिकों की टिकटें, और प्लेटफॉर्म टिकटें वाईटीएसकेएल टर्मिनलों से जारी किए जाएंगे और इस प्रकार के टर्मिनलों से किसी भी प्रकार की रियायती वाउचर, एचओआर फॉर्म, संसद सदस्यों को जारी किए जाने वाले पहचान पत्र, विधायकों को जारी किए जाने वाले रेल यात्रा कूपन, स्वतंत्रता सेनानी कार्ड,

		नि:शुल्क पास, इंडरेल पासों आदि पर टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। (ii) अनारक्षित टिकटों के मामले में, जेटीबीएस के लिए लागू नियम वाईटीएसके के लिए भी लागू होंगे।अत: अनारक्षित टिकटों को रद्द करने की सुविधा वाईटीएसके लाइसेंसधारियों के पास नहीं होगी। (iii) अनारक्षित टिकटों का रद्दकरण और रिफन्ड (यदि कोई हो) उनकी यर्थार्थता का सत्यापन करने के बाद लागू नियमों के अनुसार सर्विंग स्टेशन द्वारा किया जाएगा। (iv) टिकट की "नॉन इश्यूड" की सुविधा भी वाईटीएसकेएल के पास उपलब्ध नहीं होगी।
7.	परिपत्र में एक पर्यवेक्षी पासवर्ड (रेलों के नियंत्रणाधीन) और एक ऑपरेटर पासवर्ड (लाइसेंसधारी के नियंत्रणाधीन) का उल्लेख किया गया है। यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है क्योंकि वाईटीएसके रेल परिसरों से बाहर स्थित होंगे और स्टेशन पर्यवेक्षक पर्यवेक्षण कार्य की पुष्टि नहीं कर सकता है। पर्यवेक्षी पासवर्ड की क्या आवश्यकता है?	7. पर्यवेक्षी पासवर्ड की आवश्यकता वाईटीएसके पर नियंत्रण रखने और यदि आवश्यक हो तो टर्मिनल (लों) को डिऐक्टिवेट करने के लिए होगी।
8.	वाईटीएसके के लिए अलग बैलेंस शीट नहीं होगी क्योंकि सभी लेन-देन डिपो स्टेशन जिसमें वाईटीएसके के सभी प्रकार के लेखाजोखा मौजूद रहेंगे, पर प्रतिबिम्बित होगी। बहरहाल, प्रत्येक काउन्टर पर जमा की गई राशि एवं टिकटों की बिक्री दर्शाने के लिए अलग से रिपोर्ट तैयार की जाएगी।	8. इस बात से सहमत हैं।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त एवं लेखा निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है

(डॉ. एस. के. अहिरवार)
निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)/रेलवे बोर्ड

सं. 2014/टीजी-I/23/पीआरएस टर्मिनल **नई दिल्ली, दिनांक 15.10.2014**

प्रतिलिपि प्रेषित:

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें
निदेशक (लेखा परीक्षा), सभी भारतीय रेलें

कृते वित्त आयुक्त, रेलें

सं. 2014/टीजी-I/23/पीआरएस टर्मिनल | नई दिल्ली, दिनांक 15.10.2014

<u>प्रतिलिपि प्रेषित :</u>

1) सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2) एडीजी/पीआर, का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक एफ (सी), वि. का. अधिकारी/टी सी, एफ(सी) तथा सतर्कता (एस एस), का. नि. रे. स्टो. (सा.) शाखाएं रेलवे बोर्ड।
3) एम डी/आई आर सी टी सी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
4) महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा ः प्रोफेसर/वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सीनी, पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7) निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक रोड, लखनऊ-226001।
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71

******

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
****

No. 2015/TG-I/23/YTSK/Suggestions **New Delhi, dated 07.04.2015**

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 21 OF 2015)

Sub: Clarification regarding Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK)
Ref: Instructions issued vide CC no. 33, 35, 37, 39, 40 & 45 of 2014.
****

With reference to instructions mentioned above, certain clarifications/ demands were raised by YTSKL which were examined in consultation with Finance & Accounts Directorate of Ministry of Railways and the following has been decided:-

(i) The condition of non-release of berths out of Emergency Quota for tickets issued by YTSKL may be removed. (para 9(vii) of the Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014)

(ii) Para 9(ix) of Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014 may be revised as under:-

"9.(ix) Tickets cancelled prior to preparation of reservation charts must be handed over along with summary of transaction in PRS office, by next working day as per the procedure order to be finalised by zonal railway concerned based on the scheme as well as draft agreement. Failure to deposit these tickets by YTSKL will result in stoppage of facility of issue of tickets by YTSKL and further action as provided in para 22 below."

(iii) In para 9 (xi) of Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014, the intention behind mentioning that no group booking will be permitted on YTSKL terminal is that YTSKL will not accept request for more than six passengers from one party.

(iv) The word 'pre-bought tickets' mentioned in para 9(xvi) of Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014 means zero value ticket i.e. tickets which are issued without realizing any fare and on the authority of tickets already issued. This however, does not restrict the booking of onward journey of the same party by YTSK.

Dell/B/my documents LETTER/letter_2015

--2/--

(v) Para 11 (i) & (ii) of Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014 & para 4 of YTSK Scheme enclosed with CC no. 33 of 2014 will stand amended as under:-

"(i) The timing of operations of terminals in the premises of licensees for general reservation shall be from 0830 hours to 2200 hours on week days and from 0830 hours to 2000 hours on Sundays for booking general PRS and UTS tickets.

(ii) The booking hours for Tatkal tickets will start from 10:30 hours at these centres or as per timings specified by Ministry of Railways from time to time."

(vi) Para 13.2 (iii) of Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014 will be revised as under:-

"13.2 (iii) In case the licence is renewed after the expiry of this agreement, the security deposit shall continue (unless revised). However, in case the licence is not renewed after the expiry of the agreement, the security deposit shall be refunded after realizing therefrom all amounts due by the licensee to the Government either as sale proceeds of tickets, penalties or otherwise whatsoever and accounts adjusted. The decision of the Government as to the amount due to the Government by the licensee on this account shall be final and binding on the licensee. Security Deposit shall stand forfeited in case of breach of contract and or termination of the licence due to unsatisfactory service."

(vii) As regards depositing of requisition slip as indicated in para 13.5 (vii) of Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014, it is clarified that YTSKL are not required to deposit any requisition slip for issuing of unreserved tickets through UTS.

(viii) The word 'Government' indicated in para 17 (ii) of Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014 means any Government Agency.

(ix) The word 'balance sheet' mentioned in para 17 (vii) of Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014 means station balance sheets as prescribed under the codes.

(x) The records to be preserved as mentioned in para 20 of Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014 refers to the office copies of returns/statements sent to Railways.

(xi) Para 22(i) of Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014 will stand revised as under:-

--3|--

Mdm

"(a) Any case of violation of provisions of this agreement or the rules of Indian Railways by the licencee would invite deterrent punishment by way of penalties equivalent to maximum of ₹50,000/- which may include termination of licence.

(b) The penalty up to ₹25,000/- can be decided by Sr. DCM/DCM and penalty above ₹25,000/- & up to ₹50,000/- can be imposed on the recommendation of Sr. DCM/DCM and with the approval of DRM.

(c) Termination can be mooted by Sr. DCM with detailed reasons which should be approved by DRM with prior concurrence of associate finance."

(xii) As regards termination of agreement as mentioned in para 22 (ii) & (iii) of Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014, it is clarified that these are for two different types of circumstances. The licence can be terminated under para 22 (ii) after giving one month's notice in case the Railway decides to terminate the scheme even if there is no irregularity on the part of YTSKL. However, para 22 (iii) applies to the case where YTSKL has committed any irregularity and in that case licence can be terminated without giving any notice.

(xiii) As regards separate indication of service charges being collected by YTSK, CRIS will develop a separate field to capture service charge component separately for YTSKL and Indian Railways. In the meantime, the procedure stipulated in para 13.5 (i) should be followed scrupulously.

2. Necessary instructions may be issued to all concerned.

3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

DA: As above.

(Dr. S.K. Ahirwar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

No. 2015/TG-I/23/YTSK/Suggestions New Delhi, dated 07.04.2015

Copy to :

FA&CAO, all Zonal Railways
Director (Audit), All Zonal Railways

For Financial Commissioner, Railways

Dell/B/my documents LETTER/letter_2015

-- 4 --

Copy to:

1) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2) ADG/PR, EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
3) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
4) General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
7) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
8) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
11) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

*****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं० 2015/टी जी-1/23/वाईटीएसके/सजेशन्स नई दिल्ली, दिनांक: 07.04.2015

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें

(2015 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 21)

विषय: यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) के संबंध में स्पष्टीकरण।
संदर्भ: 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33, 35, 37, 39, 40 और 45 के तहत जारी अनुदेश।

*****

ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के संदर्भ में वाईटीएसकेएल द्वारा कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे/कुछ मांग की गई थी, जिनकी जांच रेल मंत्रालय के वित्त और लेखा निदेशालय के साथ परामर्श करके की गई और इस संबंध में निम्नलिखित विनिश्चय किया गया है:

(i) वाईटीएसकेएल द्वारा जारी टिकटों के लिए आपात कोटे में से बर्थ रिलीज न करने की शर्त को हटा दिया जाए। (2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के मसौदे का पैरा 9 (vii)।

(ii) 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के मसौदे के पैरा 9 (ix) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए:

"9.(ix) पीआरएस कार्यालय के लेन-देन के सार के साथ आरक्षण चार्टों को तैयार करने से पूर्व रद्द की गई टिकटों को संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा इस स्कीम और करार के मसौदे के आधार पर अंतिम रूप दिए जाने वाले प्रक्रिया आदेश के अनुसार अगले कार्य दिवस तक अवश्य सौंप दिया जाए। वाईटीएसकेएल द्वारा इन टिकटों को जमा न कर पाने पर वाईटीएसकेएल द्वारा टिकटों को जारी करने की सुविधा बन्द कर दी जाएगी और आगे की कार्रवाई नीचे पैरा 22 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार की जाएगी।"

(iii) 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के मसौदे के पैरा 9 (xi) में वाईटीएसकेएल टर्मिनल पर कोई ग्रुप बुकिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यह उल्लेख करने के पीछे मंशा यह है कि वाईटीएसकेएल, एक पार्टी से 6 से अधिक यात्रियों का अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा।

(iv) 2014 के वाणज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के मसौदे के पैरा 9 (xvi) में उल्लिखित 'पहले खरीदी गई टिकटें' शब्दों का आशय है कि शून्य मूल्य की टिकट अर्थात् वे टिकटें, जिन्हें कोई किराया वसूल किए बिना और पहले जारी की गई टिकटों के प्राधिकार पर जारी किया जाता है। बहरहाल, इससे वाईटीएसके द्वारा उसी पार्टी के लिए आगे की यात्रा की बुकिंग पर प्रतिबन्ध नहीं लगता है।

--2/--

(v) 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के मसौदे के पैरा 11 (i) और (ii) और 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33 के साथ संलग्न वाईटीएसके स्कीम के पैरा 4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाएगा:

"(i) सामान्य आरक्षण के लिए लाइसेंसधारियों के परिसरों में लगाए गए टर्मिनलों की कार्यावधि जनरल पीआरएस और यूटीएस टिकटों की बुकिंग के लिए सप्ताह के दिनों में 08:30 बजे से 22:00 बजे तक और रविवार को 08:30 बजे से 20:00 बजे तक होगी।

(ii) इन केन्द्रों पर तत्काल टिकटों के लिए बुकिंग समय 10:30 बजे अथवा समय-समय पर रेल मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए समय क्रम के अनुसार शुरू होगा।

(vi) 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के मसौदे के पैरा 13.2(iii) को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:

"13.2(iii) इस करार की समाप्ति के बाद लाइसेंस का नवीकरण किए जाने की स्थिति में प्रतिभूति निक्षेप जारी रहेगा (संशोधित न किया गया हो तो)। बहरहाल, करार की समाप्ति के बाद लाइसेंस का नवीकरण न किए जाने की स्थिति में प्रतिभूति निक्षेप में से लाइसेंसधारी द्वारा सरकार को टिकटों की बिक्री राशि, जुर्माने अथवा अन्यथा जो भी हो, देय सभी राशि वसूल करके और लेखा समायोजित करके शेष राशि वापस कर दी जाएगी। इस संबंध में लाइसेंसधारी द्वारा सरकार को देय राशि के बारे में सरकार का निर्णय अंतिम होगा और उसे लाइसेंसधारी को मानना अनिवार्य होगा। संविदा का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में अथवा असंतोषजनक सेवा होने की स्थिति में लाइसेंस समाप्त किये जाने पर प्रतिभूति निक्षेप को जब्त कर दिया जाएगा।"

(vii) 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के प्रारूप के पैरा 13.5 (vii) में यथा उल्लिखित मांग पर्ची को जमा करने का संबंध है, इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वाईटीएसकेएल को यूटीएस के माध्यम से अनारक्षित टिकटों को जारी करने के लिए कोई मांग पर्ची जमा करना अपेक्षित नहीं है।

(viii) 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के मसौदे के पैरा 17 (ii) में यथा उल्लिखित 'सरकार' शब्द का आशय किसी सरकारी एजेंसी से है।

(ix) 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के मसौदे के पैरा 17 (vii) में यथा उल्लिखित 'तुलना पत्र' शब्द का आशय संहिताओं में निर्धारित स्टेशन के तुलना पत्रों से है।

(x) 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के मसौदे के पैरा 20 में यथा उल्लिखित संरक्षित किए जाने वाले रिकार्ड का आशय रेलों को भेजे जाने वाली विवरणियों/विवरणों की कार्यालय प्रतियों से है।

(xi) 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के मसौदे के पैरा 22 (i) में निम्नानुसार संशोधन किया जाएगा:

--3/-

"(क) लाइसेंसधारी द्वारा इस करार के किन्हीं प्रावधानों अथवा भारतीय रेलवे के नियमों का उल्लंघन किए जाने के किसी भी मामले में निवारक दण्ड लगाया जा सकता है जिसमें 50,000 रूपए का अधिकतम जुर्माना लगाना और लाइसेंस को समाप्त करना शामिल है।

(ख) 25,000 रूपए तक के जुर्मानों का निर्णय सीनियर डीसीएम/डीसीएम द्वारा लिया जा सकता है और 25,000 रूपए से अधिक और 50,000 रूपए तक का जुर्माना सीनियर डीसीएम/डीसीएम की सिफारिश और मण्डल रेल प्रबन्धक के अनुमोदन से लगाया जा सकता है।

(ग) सीनियर डीसीएम द्वारा विस्तृत कारणों का उल्लेख कर मण्डल रेल प्रबन्धक के अनुमोदन से लाइसेंस समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए सह वित्त की पूर्व सहमति अपेक्षित है।

(xii) 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के मसौदे के पैरा 22 (ii) और (iii) में यथा उल्लिखित करार को समाप्त करने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा दो किस्म की परिस्थितियों में किया जा सकता है। यदि रेलवे इस योजना को समाप्त करने का निर्णय लेती है तो वाईटीएसकेएल की ओर से कोई अनियमितता न किए जाने की स्थिति में भी लाइसेंस को पैरा 22 (ii) के तहत एक माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। बहरहाल, पैरा 22 (iii) उन मामलों में लागू होता है जिनमें वाईटीएसकेएल ने कोई अनियमितता की हो और उस मामले में बिना कोई कारण बताए लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

(xiii) जहां तक वाईटीएसके द्वारा वसूल किए जा रहे सेवा प्रभार को अलग से दर्शाने का सवाल है। क्रिस, वाईटीएसकेएल और भारतीय रेलवे के लिए अलग-अलग सेवा प्रभार के घटक को दर्शाने के लिए एक अलग फील्ड विकसित करेगा। इस बीच यह उल्लेखनीय है कि पैरा 13.5 (i) में निर्दिष्ट प्रक्रिया का भलीभांति पालन किया जाना चाहिए।

2. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

संलग्न: यथोक्त

(डॉ. एस. के. अहिरवार)
निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)
रेलवे बोर्ड

सं० 2015/टी जी-1/23/वाईटीएसके/सजेशन

नई दिल्ली, दिनांक: 07.04.2015

प्रतिलिपि प्रेषित:
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें
निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें

नरेश
कृते वित्त आयुक्त, रेलवे

1. सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. एडीजी/पीआर, कार्यपालक निदेशक सतर्कता(टी), कार्यपालक निदेशक वित्त (सी), निदेशक वित्त (सी), विशेष कार्यधिकारी/टीसी, वित्त (सी) एवं सतर्कता (एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
3. प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी,, बैंक ऑफ बडौदा, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली।
4. महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सीनी, पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-2260011
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256-डी ,रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71

GOVERNEMNT OF INDIA (भारत सरकार)

MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)

RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

****

2015/TG1/10/P/UTS **New Delhi, dated 10 .06.2015**

The Chief Commercial Managers
All Zonal Railways

Commercial Circular No.35 of 2015

Sub: Issue of unreserved tickets of higher classes through UTS, JTBS and YTSK.

In the UTS, apart from unreserved second class tickets, there is a provision for issuance of unreserved tickets for higher classes. UTS machines have also been provided to JTBS and YTSK licensees and in terms of paras 4(iii) to 4 (v) of Commercial Circular No. 12 of 2014 and S. No. 6 of Commercial Circular no. 45 of 2014, they have been authorized to issue following types of tickets:-

(i) all tickets which can be issued through UTS except higher class and concessional tickets.

(ii) unreserved concessional tickets to senior citizens.

(iii) renew season tickets.

(iv) platform tickets.

2. Tickets for higher classes are generally issued on authorisation by the concerned officer. However, there are no specific instructions in this regard.

3. With a view to maintain uniformity as also to streamline the procedure, it has been decided that for issuing of unreserved tickets through UTS by booking clerks of Indian Railways, JTBS & YTSK, following course of action should be adopted:-

(i) Booking clerks of Indian Railways working at UTS counters are allowed to issue unreserved 2S class tickets only. However, they can issue unreserved tickets for higher classes also if specifically authorised by Chief Booking Supervisor or any other officer, as decided by Zonal Railways.

(ii) To meet the local requirements e.g. where reserved coaches have been declared as unreserved, etc., Zonal Railways can also notify specific sections for issuance of unreserved tickets of higher class.

(iii) JTBS and YTSK are presently allowed to issue unreserved Second class tickets, platform tickets and renew season tickets. However, if Railways so

desire, JTBS and YTSK licensees can also be authorised to issue unreserved Sleeper class tickets to meet the demand of specific sections.

4. This issues with the concurrence of Finance and Accounts Directorates of Ministry of Railways.

5. Necessary instructions may be issued to all concerned

(Sanjay Manocha)
Dy. Director Traffic Commercial(G) -II
Railway Board

2015/TG1/10/P/UTS **New Delhi, dated 10.06.2015**

Copy to :

FA&CAO, all Zonal Railways
Director (Audit), All Zonal Railways

(M.K. Dubey)
For, Financial Commissioner, Railways

Copy to:

1) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2) ADG/PR, EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
3) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
4) General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
7) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
8) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
11) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

*****

Dell/B/my documents/LETTER/letter_2015

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2015/टीजी-I/10/पी/यूटीएस नई दिल्ली, दिनांक 10.06.2015

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2015 का वाणिज्य परिपत्र सं. 35)

विषय : उच्च श्रेणियों की अनारक्षित टिकटें यूटीएस, जेटीबीएस और वाईटीएसके के माध्यम से जारी करना।

यूटीएस में अनारक्षित द्वितीय श्रेणी की टिकटों के अलावा उच्च श्रेणी की अनारक्षित टिकटें भी जारी करने का प्रावधान है। जेटीबीएस और वाईटीएसके लाइसेंसधारियों को भी यूटीएस मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं और 2014 के वाणिज्य परिपत्र सं. 12 के पैरा 4(iii) से 4(v) और 2014 के वाणिज्य परिपत्र सं. 45 के क्र. सं. 6 के अनुसार, उन्हें निम्नलिखित किस्म की टिकटें जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है:-

(i) उच्च श्रेणी और रियायती टिकटों को छोड़कर सभी प्रकार की टिकटें जो कि यूटीएस से जारी की जा सकती हैं।
(ii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनारक्षित रियायती टिकटें।
(iii) सीज़न टिकटों का नवीकरण।
(iv) प्लेटफॉर्म टिकटें।

2. उच्च श्रेणी की टिकटें सामान्यत: संबंधित अधिकारी के अनुमोदन पर जारी की जाती हैं। बहरहाल, इस संबंध में कोई विशिष्ट अनुदेश नहीं है।

3. एकरूपता बनाए रखने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भी यह विनिश्चय किया गया है कि भारतीय रेलवे के बुकिंग क्लर्कों, जेटीबीएस और वाईटीएसके द्वारा यूटीएस से अनारक्षित टिकटें ज़ारी करने के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि अपनाई जाए:-

(i) यूटीएस काउन्टरों पर कार्यरत भारतीय रेलवे के बुकिंग क्लर्कों को केवल अनारक्षित 2एस श्रेणी की टिकटें जारी करने की अनुमति है। बहरहाल, क्षेत्रीय रेलों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार यदि उन्हें मुख्य बुकिंग

--2/--

पर्यवेक्षक या किसी अन्य अधिकारी द्वारा विशिष्ट रूप से अधिकृत किया जाता है तो वे उच्च श्रेणियों के लिए भी अनारक्षित टिकटें जारी कर सकते हैं।

(ii) स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यथा जहां आरक्षित कोचों को अनारक्षित घोषित किया गया हो आदि, क्षेत्रीय रेलें भी उच्च श्रेणी की अनारक्षित टिकटें जारी करने के लिए विशिष्ट खण्डों को अधिसूचित कर सकती हैं।

(iii) जेटीबीएस और वाईटीएसके को वर्तमान में अनारक्षित द्वितीय श्रेणी की टिकटें, प्लेटफॉर्म टिकटें जारी करने और सीज़न टिकटों का नवीकरण करने की अनुमति दी जाती है। बहरहाल, यदि रेलें चाहती हैं तो विशिष्ट खण्डों की मांग को पूरा करने के लिए जेटीबीएस और वाईटीएसके लाइसेंसधारियों को भी अनारक्षित शयनयान श्रेणी की टिकटें जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त एवं लेखा निदेशालयों की सहमति से जारी किया जाता है।

5. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(संजय मनोचा)
उप निदेशक यातायात वाणिज्य(सा.)-II
रेलवे बोर्ड

सं. 2015/टीजी-I/10/पी/यूटीएस **नई दिल्ली, दिनांक 10.06.2015**

<u>प्रतिलिपि:-</u>
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें
निदेशक (लेखा परीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें

मनोज दुबे
कृते वित्त आयुक्त, रेलवे

--3/-

प्रतिलिपि प्रेषित :

1) सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें.
2) एडीजी/पीआर, ईडीवी(टी), ईडीएफसी, डीएफ(सी), ओएसडी/टीसी, एफ(सी) एवं वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड.
3) प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली.
4) महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा.
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सीनी, पश्चिम रेलवे/उदयपुर.
7) निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-2260011.
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली.
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली.
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन (फ्रोआ), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (इरपोफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली
13) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे. एल. नेहरू रोड, कोलकाता-71.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

*****

No. 2015/TG-1/23/YTSK/Suggestions **Date: 13 .10.2015**

Chief Commercial Manager
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 59 OF 2015)

Sub: Clarification regarding Yatri Ticket Suvidha Kendra(YTSK)
Ref: Instructions issued vide CC no. 33, 35, 37, 39, 40 & 45 of 2014

*****

With reference to instructions mentioned above, certain clarifications/demands were raised by YTSKL, which were examined in consultation with Finance & Accounts Directorate of Ministry of Railways and the following has been decided:-

(i) Para 9(iv) of the Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014 may be revised as under:-

"9(iv). Licensee will ensure that the staff engaged for manning the ticketing terminal(s) should not be under 18 years of age and possesses minimum qualification of class 10^{th} with adequate computer knowledge for handling ticketing work efficiently. Railway Administration shall impart training to Terminal Operators of the Licensee at Railway's own cost and the licensee will ensure that only such trained staff is deployed at counters."

(ii) Para 9(vi) of the Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014 may be revised as under:-

"9(vi). The licensee is permitted to issue and cancel all reserved tickets(booked on cash), issued by him/other YTSK or by PRS Centres, upto the time of preparation of reservation chart and within the working hours indicated in this agreement and as restricted from time to time. The Railway, however, can cancel and grant refund on any ticket issued by a YTSK. In case of unreserved tickets, cancellation is not permitted at YTSK. Cancellation of unreserved tickets issued by YTSK and the

refund (if any) is to be done by the serving station as per refund rules in force, after verifying the genuineness of such ticket."

(iii) As regards non issue of tickets mentioned in para 9(ix) and 9(xiii) of the Draft Agreement enclosed with CC no. of 39 of 2014, instructions may be issued to YTSK that in case of printing error on the ticket, the YTSK shall send such ticket to nearest PRS centre where CRS should indicate the missing details on the ticket in ink and stamp the ticket and put his signatures. A record of such transactions shall be kept and if number of such instances are high, the quality of printer should be got checked by the Railway for taking remedial action. However, it is reiterated that the facility of NIT shall not be extended to YTSK.

(iv) As regards deposit of earnings by YTSK mentioned in para 13.5(iii) of the Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014, the YTSKL may also deposit the amount through RTGS/NEFT on daily basis. In this regard a copy of instructions no. 2012/ACII/9/11 dated 08.09.2015 is enclosed. In light of these instructions Zonal Railway may issue procedure order in consultation with Finance and Accounts Department.

(v) As regards inspection of the office of YTSK as indicated in para 17(ii) of Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014, Zonal Railways shall specify the designation of the officer/staff who are authorised to inspect the office of YTSKL.

(vi) As regards penalty imposed in case of violation of rules by YTSK mentioned in para 22(i) of the Draft Agreement enclosed with CC no. 39 of 2014 it is clarified that the minimum penalty will be Rs. 500/- per violation, as clarified in CC no. 35 of 2014.

(vii) Para 22(iii) and para 22(iv) may be revised as under:-

"22(iii). In the event of unsatisfactory service or any failure at any time on the part of the licensee(s) to carry out the terms and provisions of this Agreement to the satisfaction of the Railway Administration (who shall be the sole judge and whose decision shall be final) Seven(07) days show-cause notice may be given to the licensee(s) to explain his position. In the event of unsatisfactory explanation, 48 hours notice may be given before terminating the contract. In case of such termination the security deposit mentioned in Clause 13.2 shall be forfeited to the

Railway Administration and the licensee(s) shall have not claim whatsoever against the Railway Administration or any of its officials in consequence of such termination of this agreement.

22(iv). The Railway Administration shall be entitled at any time forthwith to terminate this agreement after giving seven days show-cause notice in any of the following events, that is to say (a) in the event of Licensee(s) being an individual or if a firm any partner in the Licensee(s)' firm shall at any time be adjudged insolvent or shall have a receiving order or order for administration of his estate made against him or shall take any proceedings for liquidation or composition under any insolvency Act for the time being in force or make any conveyance or assignment of his effect or enter into any arrangement or composition with his creditors or suspend payment, or if the firm be dissolved under the Partnership Act, or in the event of Licensees being a company if the company shall pass any resolution or be wound up, either compulsorily or voluntarily."

2. Necessary instructions may be issued to all concerned.

3. This issues with the concurrence of Finance and Accounts Directorate of Ministry of Railways.

DA/-As above

(Sanjay Manocha)	**(N.C. Jain)**	**(Sanjeev Sharma)**
DDTC(G)II	**DDF(C)**	**JD/Accounts**
Railway Board	**Railway Board**	**Railway Board**

SN-20

भारत सरकार Government of India

रेल मंत्रालय Ministry of Railways

रेलवे बोर्ड (Railway Board)

RBA No. 56/2015

No. 2012/ACII/9/11 New Delhi, dated: 08.09.15.

FA&CAOs

All Zonal Railways /PUs

Sub: Acceptance of Railway dues/receipts through RTGS/NEFT-Procedure regarding transfer of funds by PSUs/ State Government to Railway Account.

*****

The matter regarding acceptance of Railway dues through RTGS/NEFT has been examined in consultation with Controller General of Accounts/ Ministry of Finance. In order to facilitate government receipts through RTGS , RBI has made interim arrangement till RTGS framework for government receipts is finalized. Under interim procedure, originating govt. transactions in RTGS can be done when the receiving bank is in agreement with the sending bank to receive funds using interbank mode R42 for such transfer. For this purpose, the bank originating the transaction must capture complete information of the sender and receiver and other account information in the message format in conformity with Wire Transfer guidelines. The message shall carry additional information, if required, by the receiving bank in field tag7495. However, sending of challan (GAR-7) will continue to be in practice which may be transmitted through Fax/e-mail/speed post as per the procedure till challans are generated through web portal of Railways or any other agency authorized by Railways. Railways have to maintain proper reconciliation of above mentioned electronic fund transfer.

Accordingly, SBI was requested to formulate modalities to implement the system ibid. A copy of SBI's letter dated 16.04.2015 suggesting the Process flow is enclosed . The following points may also be ensured:

(i) On receipt of DMS scrolls with GAR-7 , the amount should be accounted for under Cash Book through cash office by credit to Receipt/Transfer head, debiting RIB.

(ii) The suspense head RIB shall be cleared (-debit) on receipt of Datewise Monthly Statement from SBI, by contra debit to PSB Suspense.

(iii) The suspense head PSB suspense shall be cleared by (-) debit on receipt of clearance Memo from RBI by contra debit to final head 'Deposit with Reserve Bank of India'.

Vijay2 1051

The system may be monitored on regular basis by nominated officers in Railway in association with SBI to ensure efficient functioning of the system and further fine tuning required as may be considered necessary .

The detailed modalities may please be worked out on the above lines through suitable procedure order.

DA: As above

08/09/2015
(Vivek P.Tripathi)
Director Finance(Accounts)
Railway Board

Copy to

1.Controller General of Accounts,Ministry of Finance, Department of Expenditure, Lok Nayak Bhawan,Khan Market,New Delhi.

2.General Manager,State Bank of India,Government Banking Unit, Corporate Centre, 2nd Floor,Main Branch Building,11, Sansad Marg, New Delhi.- It is requested to nominate a coordinating officer from your Bank at nominated Focal Point Branches for each Railway.

Vijay2 1052

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

सरकारी बैंकिंग इकाई कारपोरेट केन्द्र,
दूसरा तल, मुख्य शाखा बिल्डिंग, 11, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Government Banking Unit, Corporate Centre,
2nd Floor, Main Branch Building, 11, Sansad Marg, New Delhi-110 00

Tel. : 011-2340-7271 / 72 / 79, 7419 / 20 | Fax : 011-23345268, 23365389 | E-mail : gbu@sbi.co.in

24

Shri Sanjeev Sharma,
Joint Director(Accounts),
Room No: 564A, Railway Board,
New Delhi-110001.

GBU:CC:JKJ:2015-16:59 16th April, 2015

Dear Sir,

PROCEDURE REGARDING TRANSFER OF FUNDS BY IRCTC (GOVERNMENT PSU) TO RAILWAYS ACCOUNT

Further to our letter No. GBU:CC:JKJ:2014-15:1309 dated 30.03.2015 regarding our proposed solution for "Transfer of funds by Railway PSUs to Railway Account", we furnish hereunder the detailed process flow of the transaction:

- The existing banker of IRCTC viz. HDFC Bank will transfer the funds through RTGS into Railways pooling account at SBI, New Delhi Main Branch (NDMB) by using the interbank mode R42 .
- As per RBI's directions, HDFC bank will required to capture complete information of the sender (IRCTC) and receiver and other account information in the message format in conformity with Wire Transfer guidelines.
- The message will carry additional information like PAO code etc. in field tag 7495.
- On receipt of this message, our NDMB branch will prepare Government Account Receipt (GAR), duly signed by the authorized official of the bank and send e-mail to concerned PAO and the remitter i.e. IRCTC.
- Funds so received in Pooling account will be transferred to Railway account at the close of the day and settled with RBI on the following day on T+1 basis.
- Alternatively, IRCTC may transmit GAR through Fax/e-mail to our NDMB which, in turn, will be submitted to PAO along with e-scroll.

2. Similar procedure may be developed for transfer of funds from other Railway PSU's into Government Account. We seek your patronage for taking this process forward to facilitate faster settlement as well as reconciliation process tremendously of Railways.

Yours faithfully,

(Raj Chatterji)
GENERAL MANAGER
(BUSINESS HEAD)

17/4
Acc

Cashier/Treasury/Bank

SBI A/C No. 30768733055

N.R ……………………………………………………………………Com/T-32/CO-20-A

D Coml. Department

Treasury Remittance Note

To,

The BM/CM/AGM

at……………………………………………………………

Incharge of Govt. Receipt

By Whom Paid	On what account details of transaction with date of realization	Head of Account	Amount in Rs.	Details of Remittance G.C Notes and Coins
Total in Figures				

Signature ……………………………………

Signature of Remitter

Office Stamp

Designation

The ……………………………20

Received Rs. In words……………………………………………

Dated……………20

……………………………………………………………

………………………/Authorised Officer

STATE BANK OF INDIA

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Controller General of Accounts
7th Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110511

Subject: - Implementation of NEFT/RTGS on Railways for receipt of Government.

Ministry of Railways may please refer to their letter No 2010/ACII/45/11 dated 29.12.2014 on the subject cited above.

2. Reserve Bank of India vide their circular DPSS(CO) RTGS 1028/04.04.002/2011-2012 dated 13.12.2011 has informed that message transfer platform has been designed to carry only funds transfer messages. RBI has also informed that they have issued circular facilitating Government receipts through RTGS vide No. DPSS(CO) RTGS 991/04.04.002/2009-2010 dated 17.11.2009.

3. In order to facilitate Government receipts through RTGS, the participants originating Government transactions in RTGS can do so only when the receiving bank is in agreement with sending bank to receive funds. If it is bilaterally decided to undertake such a funds transfer in RTGS, banks have to use the interbank mode R42 for such transfer. The RBI has made the above arrangement as an interim one and would continue till the procedure with RTGS frame work to be followed for Government receipts is fine tuned.

4. The bank originating the transaction must capture complete information of the sender and receiver and other account information in the message box in conformity with Wire Transfer guidelines. The message may also carry additional information, if required, by the receiving bank in field tag 7495.

5. Sending of Challan (GAR-7) will continue to be in practice and the same may be transmitted through Fax/e-mail/Speed Post till challan is generated through the web portal of M/o Railways or any agency as authorized by M/o Railways.

6. Ministry of Railways will maintain proper reconciliation of Government receipts received through NEFT/RTGS.

7. Ministry of Railways may take suitable/necessary action on the above lines.

This has the approval of competent authority.

30.1.15

(Chandan Mishra Dwivedi)
Deputy Controller General of Accounts

Shri Sanjeev Sharma, Jt. Director Accounts, Ralway Board, M/o Railways, Rail Bhawan, New Delhi

CGA's UO No 1(1)/2009/ECS/TA/ 57 Dated 30.01.2015

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
*****

No. 2015/TG-1/23/YTSK/Suggestions   Date: 07.04.2016

Chief Commercial Managers, All Zonal Railways.
FA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.

General Manager/PRS
CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 18 OF 2016)

Sub: Establishment and operation of Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK)
Ref: Instructions issued vide CC no. 33, 35, 37, 39, 40 & 45 of 2014 and 21 & 59 of 2015.

The scheme of YTSK was circulated vide Commercial Circular no. 33 of 2014 & draft agreement was circulated vide Commercial Circular No. 39 of 2014. Thereafter certain modifications were made in the scheme vide instructions mentioned above.

2. Letters from Railways as well as YTSKL Association seeking clarification on service tax on service charges collected by YTSKL from passengers have been received and matter has been examined in consultation with the Accounts and Finance Directorates of Ministry of Railways and the following has been decided:-

(i) Service tax at the rate of 14% along with a 0.5% Swachh Bharat Cess (applicable from 15.11.2015) on the service charges as mentioned in para 8 of draft agreement enclosed with Commercial Circular no. 39 of 2014 shall be collected by YTSKL from the passengers. However, this taxability shall be subject to threshold limit under Notification no. 33/2012-ST dated 20.06.2012 (As amended from time to time). Swachh Bharat Cess is not CENVATABLE against service tax on output service under CCR 2004.

(ii) As per para 68(1) of Service Tax Act, liability to pay service tax on taxable services lies with the service provider. Hence, YTSKL himself/herself shall deposit the service tax collected from the passengers as per service tax rules.

(iii) YTSKL shall deposit service tax on full service charges irrespective of share of concerned Zonal Railway in service charges. They shall pay service tax under the Reverse Charge Mechanism(RCM) as service recipient w.e.f. 01.04.2016 as per General Budget 2016-17.

contd... 2/-

(iv) YTSKL shall submit a report of daily remittances deposited through RTGS/NEFT along with receipt/e-receipt of RTGS/NEFT in line with para 13.5(iii) of draft agreement enclosed with Commercial Circular no. 39 of 2014.

3. CRIS will make necessary modifications in the software and provide the facility of printing of service tax and cess on the ticket issued by YTSK.

4. This issues with the concurrence of Accounts Directorates of Ministry of Railways.

5. Necessary instructions may be issued to all concerned.

(Dr. S.K. Ahirwar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

7-4-16
(T.D.Diwivedi)
Director Finance Accounts
Railway Board

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. ADG/PR, EDV(T), EDFC, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

*****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
*****

सं. 2015/टीजी-I/23/वाईटीएसके/सजेशन्स — नई दिल्ली, दिनांक 07.04.2016

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें।
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें।
निदेशक(लेखा परीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें।

महाप्रबंधक/पीआरएस
क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।

(2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 18)

विषय: यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) की स्थापना और परिचालन करना।
संदर्भ: 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33, 35, 37, 39, 40 एवं 45 और 2015 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 21 एवं 59 के तहत जारी अनुदेश।

2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33 के तहत वाईटीएसके स्कीम को और 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के तहत इसके ड्राफ्ट एग्रीमेंट को परिपत्रित किया गया था। इसके बाद, ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के तहत इस स्कीम में अनेक संशोधन किए गए।

2. रेलों के साथ-साथ वाईटीएसकेएल एसोसिएशन से पत्र प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें यात्रियों से वाईटीएसकेएल द्वारा एकत्रित किए गए सेवा प्रभारों पर सेवा कर के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। रेल मंत्रालय के लेखा एवं वित्त निदेशालयों के परामर्श में इस मामले की जांच की गई और निम्नानुसार विनिश्चय किया गया है:-

(i) 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के साथ संलग्न करार के प्रारूप के पैरा 8 में यथा उल्लिखित सेवा प्रभारों पर वाईटीएसकेएल द्वारा यात्रियों से 14% की दर से सेवा कर और 0.5% स्वच्छ भारत उपकर (15.11.2015 से लागू) वसूल किया जाएगा। बहरहाल, यह कर-देयता, दिनांक 20.06.2012 की अधिसूचना सं. 33/2012-एसटी के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अनुसार होगी(समय-समय पर संशोधित)। सीसीआर 2004 के अंतर्गत आउटपुट सेवा पर स्वच्छ भारत उपकर सेनवैटेबल नहीं है।

(ii) सेवा-कर अधिनियम 68(1) के अनुसार कर-योग्य सेवाओं पर सेवा-कर का भुगतान करने की दायिता सेवा-प्रदाता पर है। अत:, वाईटीएसकेएल, सेवा-कर नियमों के अनुसार यात्रियों से एकत्रित किए गए सेवा-कर को स्वयं जमा कराएगा/कराएगी।

amendment

(iii) वाईटीएसकेएल, सेवा प्रभारों में, संपूर्ण सेवा प्रभारों पर सेवा-कर जमा कराएगा चाहे, संबंधित क्षेत्रीय रेलवे का शेयर कितना भी क्यों न हो। वे जनरल बजट 2016-17 के अनुसार 01.4.2016 से सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म (आरसीएम) के अंतर्गत सेवा-कर का भुगतान करेंगे।

(iv) वाईटीएसकेएल, 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं 39 के साथ संलग्न करार के प्रारूप के पैरा 13.5 (iii) की तर्ज पर आरटीजीएस/एनईएफटी की रसीद/ई-रसीद सहित आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा, प्रतिदिन भेजी गई राशि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

3. क्रिस, साफ्टवेयर में आवश्यक आशोधन करेगा और वाईटीएसके द्वारा जारी की जाने वाली टिकटों पर सेवा कर और उपकर को मुद्रित करने की सुविधा उपलब्ध कराएगा।

4. इसे रेल मंत्रालय के लेखा निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

5. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

Sd/-
(डॉ. एस. के. अहिरवार)
निदेशक यातायात वाणिज्यिक (जी)
रेलवे बोर्ड

Sd/-
(टी. डी. द्विवेदी)
निदेशक वित्त लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1) सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस सभी क्षेत्रीय रेलें।
2) एडीजी/पीआर, का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक एफ (सी), पीपीएस/एफसी, वि का अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) तथा सतर्कता (एस एस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
3) एम डी/आई आर सी टी सी, बी 148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली 110001.
4) महाप्रबंधक/पीआरएस-।, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्यिक रेलवे स्टाफ कॉलेज, वड़ोदरा।
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली-धनबाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7) निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ 226011.

amendment

8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली ।

9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।

10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।

11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।

12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।

13) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.

amendment

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2015/टीजी-1/23/वाईटीएसके/सजेशन्स **नई दिल्ली, दिनांक 02.11.2016**

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें
निदेशक(लेखा परीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें

महाप्रबंधक/पीआरएस
क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.

(2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 54)

विषय: यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) की स्थापना और परिचालन-सेवा कर।

संदर्भ: दिनांक 08.07.2016 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 34 के तहत जारी अनुदेश।

2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33 के तहत वाईटीएसके योजना परिपत्रित की गई थी और 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 के तहत मसौदा करार परिपत्रित किया गया था। उसके बाद, इस योजना में समय-समय पर कुछ परिवर्तन किए गए। 2016 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 34 के तहत स्पष्ट किया गया था कि वाईटीएसके लाइसेंसधारी दिनांक 20.06.2012 की अधिसूचना सं. 33/2012-एसटी के तहत दिए गए 10 लाख रुपए की सीमा तक की छूट के अध्यधीन सेवा प्रभारों के सेवाकर भाग को स्वयं कर प्राधिकारियों को जमा करेंगे।

2. बहरहाल, रेल मंत्रालय के लेखा एवं वित्त निदेशालय के परामर्श से इस मामले की पुन: जांच की गई और वाईटीएसके योजना में निम्नलिखित परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है:

क) सेवाकर अप्रत्यक्ष कर होने के कारण, इसे निर्धारित सेवा प्रभारों, जहां कहीं लागू हों, के अलावा सेवा उपयोगकर्ता (यात्री) से वसूल किया जाएगा बशर्ते कि सेवा प्रदाता (वाईटीएसके) सेवाकर विभाग में पंजीकृत हो।

ख) वाईटीएसके परिचालक बुकिंग काउन्टर पर सेवा प्रभार की दर और सेवा कर अनिवार्य रूप से दर्शाएगा ताकि सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों को वाईटीएसके सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रभारों की जानकारी प्राप्त हो।

ग) टिकट पर सेवा कर मुद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। वाइटीएसके परिचालक सेवा कर प्राप्त करने का एक अलग रसीद देगा जिसपर उसका सेवाकर पंजीकरण नम्बर मुद्रित होगा।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, टिकट पर कर तत्व मुद्रित करने की आवश्यकता नहीं है।
4. इसे रेल मंत्रालय के लेखा एवं वित्त (वाणिज्य) निदेशालयों की सहमति से जारी किया जाता है।

(ए. के. जैन)	**(टी. डी. द्विवेदी)**	**(रवीन्द्र एन. मिश्र)**
निदेशक यातायात वाणिज्य(सा.)	**निदेशक वित्त लेखा**	**निदेशक वित्त (वाणिज्यक)**
रेलवे बोर्ड	**रेलवे बोर्ड**	**रेलवे बोर्ड**

TG-1 P. OFF.

प्रतिलिपि प्रेषित:

सं. 2015/टीजी-1/23/वाईटीएसके/सजेशन्स **नई दिल्ली, दिनांक 02.11.2016**

1) सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें
2) एडीजी/पीआर, का नि सतर्कता(टी), का नि एफ सी, निदेशक एफ (सी), पीपीएस/एफसी, ओएसडी/एफसी, एफसी ओर वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड
3) एम डी/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
4) महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्यिक, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर
7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिच्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ, 2260011
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली
13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.

अभिषेक

(ए. के. जैन)
निदेशक यातायात वाणिज्य(सा.)
रेलवे बोर्ड

******

TG-1 P. OFF..

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
*****

No. 2015/TG-1/23/YTSK/Suggestions **New Delhi Dated 02.11.2016**

Chief Commercial Managers, All Zonal Railways
FA & CAO, All Zonal Railways
Director (Audit), All Zonal Railways

General Manager/PRS
CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 54 OF 2016)

Sub: Establishment and operation of Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK)- Service Tax

Ref: Instructions issued vide Commercial Circular no. 34 of 2016 dated 08.07.2016.

The scheme of YTSK was circulated vide Commercial Circular no. 33 of 2014 & draft agreement was circulated vide Commercial Circular No. 39 of 2014. Thereafter certain modifications were made in the scheme from time to time. Vide Commercial Circular no. 34 of 2016 it was clarified that the YTSK Licensee shall himself/herself remit the service Tax portion from the service charges to the tax authorities subject to threshold exemption of Rs. 10 lakhs provided under Notification no. 33/2012-ST dated 20.06.2012.

2. However, the matter has further been examined in consultation with Accounts & Finance Directorate of Ministry of Railways and following changes in the YTSK scheme have been decided:

a) The service tax being an indirect tax shall be collected from the user of the service (passenger) in addition to prescribed service charges, wherever applicable, provided the service provider (YTSK) is registered with service tax department.
b) YTSK operator shall display the rate of service charge and service tax conspicuously at the booking counter so that the passengers using the service are aware of the charges to be paid for availing YTSK services.
c) The service tax need not be printed in the ticket. The YTSK operator shall give a separate receipt of collection of service tax with his service tax registration number printed on the receipt.

3. In view of the above there is no need to print tax element on the ticket.

4. This issues with the concurrence of Accounts and Finance (Commercial) Directorates of Ministry of Railways.

02/11/16	31.10.16	2/xi/16.
(A.K. Jain)	**(T.D. Diwivedi)**	**(Rabindra N. Mishra)**
Director Traffic Commercial(G)	**Director Finance Accounts**	**Director Finance (Commercial)**
Railway Board	**Railway Board**	**Railway Board**

cont./--

Copy to:

No. 2015/TG-1/23/YTSK/Suggestions **New Delhi Dated 02.11.2016**

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. ADG/PR, EDV(T), EDFC, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

02/11/16

(A.K. Jain)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

*****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
*****

सं. 2016/टीजी-I/23/8/डिजी-पे **नई दिल्ली, दिनांक 26.12.2016**

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2016 का वाणिज्य परिपत्र सं. 78)

विषय: क्षेत्रीय रेलों में वाईटीएसके/जेटीबीएस जैसे रेलवे टिकटों के प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) पर डिज़िटल भुगतान की शुरूआत करना।

रेलों में डिज़िटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि:

1. वाईटीएसके को अनुदेश जारी किए जाएं कि वे पीओएस मशीनें लगवाएं और आरक्षित तथा अनारक्षित दोनों टिकटों को जारी करने के लिए सभी बैंको के डेबिट/क्रेडिट कार्डों के माध्यम से भुगतान स्वीकार करें। उन्हें 'Rupay' कार्डों के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें यूपीआई, यूएसएसडी, ई-वॉलेट, 'आधार' पर आधारित भुगतान प्रणाली जैसे अन्य तरीकों से भी भुगतान स्वीकार करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

2. जेटीबीएस, जो केवल अनारक्षित टिकटें जारी करता है, को यूपीआई, यूएसएसडी, ई-वॉलेट, 'आधार' पर आधारित भुगतान प्रणाली जैसे अन्य तरीकों से भी भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

अमित कुमार जैन

(अमित कुमार जैन)
निदेशक यातायात वाणिज्य (जी)
रेलवे बोर्ड

DIGITAL PAYMENT NEW

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
(RAILWAY BOARD)
****

No.2016/TG-I/23/8/digi-pay **New Delhi, dated 26.12.2016**

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 78 OF 2016)

Sub: Introduction of digital payments at Railway Tickets point of sale (POS) like YTSKs/JTBSs in Zonal Railways

In view of promoting digital payments in Railways it has been decided that:

1. YTSKs may be instructed to get installed POS machines and accept payments through all banks debit/credit cards for issuing both reserved and unreserved tickets. They should be encouraged to accept payments through 'Rupay' cards. They may be allowed to accept payments through other modes also like UPI, USSD, e-wallet, Adhar enabled payments systems.

2. JTBSs which issues only unreserved tickets may be encouraged to accept payments through other modes like UPI, USSD, e-wallet, Adhar enabled payments systems.

26/12/16

(Amit Kumar Jain)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. ADG/PR, EDV(T), EDFC, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

*****

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

No.2016/TG-I/23/YTSK/Suggestions **New Delhi, dated 16 .03.2017**

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO.23 OF 2017)

Sub: Acceptance of railway dues/receipts through RTGS/ NEFT - Procedure regarding transfer of funds by YTSK to railway account.

Please refer to this office letter of even number dated 13.10.2015 (CC No. 59 of 2015) wherein in para (iv) it was informed that YTSKL may also deposit the amount through RTGS/NEFT on daily basis as per instructions issued by Accounts Directorate vide no. 2012/ACII/9/11 dated 08.09.2015. Northern Railway, while referring to these instructions, has informed that Accounts department of their railway has raised an objection that instructions contained in letter dated 08.09.2015 issued by Accounts Directorate of Ministry of Railways is for transferring of funds by PSUs/State Governments to Railway account and not by private parties like YTSKL.

2. The matter has been examined in consultation with Accounts Directorate of Ministry of Railways and it is clarified that as already mentioned in the instructions in Commercial Circular No. 59 of 2015, the guidelines contained in the letter no. 2012/ACII/9/11 dated 08.09.2015 are also applicable to YTSKL.

2.1. YTSKLs may, however, be advised to ensure that at the time of transferring of funds, their banks should fill "**all the columns**" repeat **all the columns** of GAR-7 challan format failing which the amount deposited by them will not get reflected against their name and issuing of tickets by YTSKLs may get hampered.

3. Necessary instructions may be issued accordingly and it may be ensured that all transactions with YTSKL should be done through RTGS/NEFT.

16/03/17 16.3.17

(Amit Kumar Jain)	**(T.D. Diwivedi)**
Director Traffic Commercial (G)	**Director Finance Accounts**
Railway Board	**Railway Board**

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-226001.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

*****

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

*****

सं.2016/टीजी-I/23/वाईटीएसके/सजेशन्स **नई दिल्ली, दिनांक 16.03.2017**

मुख्य वाणिज्यिक प्रबन्धक
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 23)

विषयः- रेलवे की देय राशि/प्राप्तियों को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से स्वीकार करना- वाईटीएसके के द्वारा रेलवे के खाते में निधि को ट्रांसफर कराना।

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 13.10.2015 के समसंख्यक पत्र (2015 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 59) का अवलोकन करें जिसमें पैरा (iv) में यह सूचित किया गया था कि वाईटीएसकेएल भी लेखा निदेशालय के दिनांक 08.09.2015 के पत्र सं. 2012/एसी-II/9/11 के माध्यम से जारी अनुदेशों के अनुसार रकम को दैनिक आधार पर आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भी जमा करा सकते हैं। उत्तर रेलवे ने इन अनुदेशों का हवाला देते हुए सूचित किया है कि उनकी रेलवे के लेखा विभाग ने आपत्ति उठाई है कि रेल मंत्रालय के लेखा विभाग द्वारा जारी किए गए दिनांक 08.09.2015 के पत्र में अन्तर्विष्ट अनुदेशों का संबंध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सरकारों द्वारा निधि को ट्रांसफर करने के विषय में है न कि वाईटीएसकेएल जैसी प्राइवेट पार्टियों द्वारा निधि को ट्रांसफर करने के संबंध में।

2. रेल मंत्रालय के लेखा विभाग के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि जैसा कि 2015 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 59 में दिए गए अनुदेशों में पहले ही उल्लेख किया गया है, 08.09.2015 के पत्र सं. 2012/एसी- II/9/11 में अन्तर्विष्ट मार्गनिर्देश वाईटीएसकेएल पर भी लागू होंगे।

2.1 बहरहाल, वाईटीएसकेएल को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाए कि निधि को ट्रांसफर करते समय उनके बैंक जीएआर-7 चालन फार्मेट के सभी कॉलम भरें। ऐसा न करने पर उनके द्वारा जमा करायी गयी राशि उनके नाम के सामने प्रतिबिम्बित नहीं होगी और वाईटीएसकेएल द्वारा टिकटों को जारी करना बाधित हो सकता है।

3. तद्नुसार, आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि वाईटीएसकेएल के साथ किए जाने वाला सभी प्रकार का लेन-देन आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया जाना चाहिए।

(अमित कुमार जैन)
निदेशक यातायात वाणिज्यिक (जी)
रेलवे बोर्ड

(टी डी द्विवेदी)
निदेशक, वित्त लेखा
रेलवे बोर्ड

subodh

प्रतिलिपि प्रेषित :

1) सीसीएमपीएस/पीएम व सीसीएम/, सभी क्षेत्रीय रेलें.
2) का. नि. सतर्कता(टी), का. नि. एफ(सी), निदेशक(सी), पीपीएस/एफसी, ओएसडी/टीसी, एफ(सी) और वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड.
3(प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001.
4) जनरल मैनेजर/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्यिक, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा.
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर.
7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिच्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड़, मानक नगर, लखनऊ, 2260011.
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली.
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली.
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली.
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली.
13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.

*****

subodh

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2014/TG-I/23/PRS Terminal/Pt.2 Dated: 29.06.2017

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular no. 45 of 2017)

Sub: Implementation of Goods and Services Tax (GST) on Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK).

Please refer to this office letter no. TC-II/2910/2017/GST/2 dated 09.06.2017 wherein approach paper for implementation of Goods and Services Tax on the subject of Traffic Commercial Directorate has been issued to all zonal Railways. Para A.10 of the same deals with YTSK, which stipulates as under:-

YTSKs are authorized private ticket booking agents on Indian Railways. The tickets issued through YTSK are essentially window tickets and GST on fare will be charged as in the case of window tickets. GST will also be applicable on service charge collected by YTSK. As in the case of service tax at present, YTSK shall be responsible for collection and deposition of GST on service charge. The location of supplier will be the place of sale of ticket by YTSK and place of supply will be the place of origin (embarkation) of the customer. The logic of GST will be applicable accordingly. In case of unregistered customers, the ticket will be the tax invoice for fare and YTSK will be required to issue separate invoice for the GST collected on the service charges.

1.1 It is clarified that in case of unregistered customers (G2C), the protocol followed in issuance of ticket would be the same as in case of a normal PRS/UTS ticket.

1.2 Tickets would not be issued by YTSK licensee to G2B (registered user) customers.

2. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.

3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Vikram Singh)
Director Passenger Marketing
Railway Board.

No. 2014/TG-I/23/PRS Terminal/Pt.2 Date: 29.06.2017

Copy forwarded to:

FA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.

29/6/17

for Financial Commissioner, Railways

[redacted]

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

****

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/RAILWAY BOARD

सं. 2014/टीजी-I/23/पीआरएस टर्मिनल/पार्ट.2 दिनांक: 29.06.2017

मुख्य वाणिज्यक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2017 का वाणिज्य परिपत्र सं. 45)

विषय: यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का कार्यान्वयन करना।

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 09.06.2017 के पत्र सं. टीसी-II/2910/2017/जीएसटी/2 का अवलोकन करें जिसमें यातायात वाणिज्य निदेशालय के इस विषय पर माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के लिए सभी क्षेत्रीय रेलों को एक दृष्टिकोण पत्र जारी किया गया है। इस पत्र का पैरा ए. 10 वाईटीएसके से संबंधित है, जिसमें निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

भारतीय रेलों में, वाईटीएसके, प्राधिकृत निजी टिकट बुकिंग एजेंट हैं। वाईटीएसके द्वारा जारी की गई टिकटें अनिवार्यत: विंडो टिकटें हैं और इन पर विंडो टिकटों की भांति ही जीएसटी प्रभार लिया जाएगा। वाईटीएसके द्वारा लिए गए सेवा कर पर भी जीएसटी लागू होगा। वाईटीएसके, सेवा कर पर जीएसटी को एकत्रित करने तथा इसे जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि वर्तमान में सेवा कर के मामले में होता है। वाईटीएसके द्वारा टिकट बेचने का स्थान आपूर्तिकर्ता का स्थान होगा और ग्राहक के उद्‌गम (आरंभ) का स्थान आपूर्ति का स्थान होगा। तदनुसार, जीएसटी का तर्क लागू होगा। अपंजीकृत ग्राहकों के मामले में, टिकट, किराए के लिए कर बीजक होगा और वाईटीएसके को सेवा प्रभारों पर लिए गए जीएसटी के लिए अलग से बीजक जारी करना होगा।

1.1 यह स्पष्ट किया जाता है कि अपंजीकृत ग्राहकों (जी2सी) के मामले में टिकटों को जारी करने के लिए उसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी जैसे सामान्य पीआरएस/यूटीएस टिकट के मामले में की जाती है।

1.2 वाईटीएसके लाइसेंसधारी द्वारा जी2बी (पंजीकृत उपयोगकर्ता) ग्राहकों को टिकटें जारी नहीं की जाएंगी।

GST

तदनुसार सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(विक्रम सिंह)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/टीजी-I/23/पीआरएस टर्मिनल/पार्ट.2 दिनांक: 29.06.2017

<u>प्रतिलिपि अग्रेषित:</u>

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें।
निदेशक (लेखा परीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें।

कृते वित्त आयुक्त/ रेलें

<u>प्रतिलिपि प्रेषित:</u>

1. सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), नि सतर्कता(टी), निदेशक एफ (सी), प्रमुख निजी सचिव/वित्त आयुक्त, वि का अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं रेलवे बोर्ड।
3. जीजीएम/आईटी/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टैट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली -110001.
4. महाप्रबंधक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, बड़ोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली-धनवाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ- 2260011.
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोर्ड, नई दिल्ली।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71
14. प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, बेलापुर भवन, प्लॉट नं. 6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुम्बई-400614.

******

GST

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2014/TG-I/23/PRS Terminal New Delhi dated 17.07.2017

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 55 OF 2017)

Sub: Clarification regarding Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK)

The scheme of YTSK was introduced vide Commercial Circular no. 33 of 2014 and provisions of the scheme have been modified vide CC nos. 35, 37, 39, 40 & 45 of 2014 and 21&59 of 2015.

2. Representations have been received from YTSK associations to make certain modifications in the provision of the scheme. The suggestions received were examined in consultation with Finance, Accounts, Legal and C&IS Directorate of Ministry of Railways and it has been decided as under:-

S. No.	Issue raised	Decision taken
1.	YTSK should be allowed to start booking at 0800 a.m. i.e. without the present restriction of 30 minutes or they may be allowed to book tickets for the trains which have been already opened for booking.	For opening day reservation in case of general as well as Tatkal, the restriction of not allowing booking during the first 30 minutes should continue, however, for the trains which have already become open for booking on the previous day should be allowed to be booked. This should be applicable to both general as well as Tatkal reservation.
2.	Facility of modification of ticket & issuing of circular tour tickets.	YTSKs may be allowed the facility of advancement/ postponement of journey, however, the facility of issuing circular journey ticket may not be extended to YTSKs.
3.	Separation of PRS & UTS counters: There is a facility of selling of the UTS (General ticket) on Yatri Ticket Suvidha Kendra terminals, however due to the connectivity of the same with PRS counters and there is long queue on the PRS counters, hence the fault often took place, thus the counter for the UTS should be separated.	In case YTSKs desire to have separate PRS and UTS terminal, the same may be provided to them. However, the entire cost (for installation as well as recurring cost of its maintenance) shall be borne by the licencee.
4.	Staff ID Card: During the making of the ticket on Yatri Ticket Suvidha Kendra sometimes due to loss of the connectivity, the staff of the YTSK has to go for making linker/modem on and off, but in the absence of the ID Card, the reservation supervisor or RPF staff prevents them from doing the same.	Any fault in S&T equipment has to be set right by Railway staff. Zonal Railways may, however, ensure that such complaints should be attended on priority so that issuing of tickets is not hampered.

-2|-

5.	Facility of reservation through credit card: The corporate clients, government employees and LTC passengers also wanted to make payment through credit card and debit card against the railway ticket, hence permission should be granted for installation of the machine for deducting the payment to be made through credit card and debit card on all YTSK.	Instructions have already been issued vide Commercial Circular no. 78 of 2016 wherein Railways have been advised to instruct YTSKs to get installed POS machines and accept payments through all banks debit/credit cards for issuing both reserved and unreserved tickets. They have also been asked to accept payment through other modes like UPI, USSD, e-wallet, Aadhaar enabled payment systems. However, it is clarified that as per Controller General of Accounts/Ministry of Finance's instructions integration of private e-wallets with the accredited bank for issue of PRS/UTS tickets is not permissible. As such, payment through private e-wallets (e.g. PayTM, Freecharge etc.) shall not be allowed.
6.	Advertisement: YTSK members from the last one year are constantly working, however, the Yatri Ticket Suvidha Kendra carrying on the function on the basis of the co-participation shall be given the liberty for advertisement through newspaper, TV channels and radio channels and licence holder of the YTSK may represent their name and address on the websites.	YTSKs are there to facilitate passengers in getting reserved as well as unreserved tickets. As such, Zonal Railways should give addresses and phone numbers of the YTSKs working on their Railways on Zonal Railway's website.
7.	Granting permission to issue Premium Tatkal and Suvidha Train tickets through YTSK terminals: Currently premium Tatkal tickets can be issued only through IRCTC and Suvidha trains tickets can be issued 48 hours prior to the departure of the train at YTSK centers. If this facility is provided to the YTSKs, it will be an extended facility to the common rail passenger but also over and above the railways will earn through 25% revenue sharing scheme from YTSKs.	On the lines of facility of booking of Tatkal tickets, YTSKs may be allowed to book premium tatkal tickets also with the restriction of not booking these tickets during the first 30 minutes of opening of reservation.
8.	Issuing of onward journey ticket: In commercial circular no. 39 of 2014 in point no. 9 xvi says no	YTSKs will not be allowed to issue any zero value ticket, however, they can issue ticket up to a certain point with reservation up to a point shorter than the

– 3/–

	reservation will be permissible on pre-bought tickets but they cannot deny if any passenger wants to do an onward booking and also the service was started for three days as per commercial circular no. 21 of 2015 and then was discontinued.	destination e.g. they can be allowed to book ticket ex. New Delhi-Chennai with reservation up to Nagpur. However, they will not be allowed to book ticket ex. Nagpur – Chennai on the authority of this pre-bought ticket.
9.	Verification of employees of YTSKL: In commercial circular no. 39 of 2014, point no. 9.xix says the YTSKL have to keep the staff after police verification but in commercial circular no. 35 of 2014, it is clearly mentioned that no verification is required. It is further stated that the whole liability of their staff belongs to them and not Indian Railways then why such harassment is being done on YTSKL.	The condition of police verification of employees of YTSK may be withdrawn. Instead YTSK should do Aadhar based verification of the employees before appointing them.
10.	Competent authority to waive the penalty in case YTSK is proved innocent.	Zonal Railways may nominate an administrative authority to examine the appeal of YTSKs against any penalty imposed on him/her. Such appellate authority should be higher than the authority who has given them licence or who has imposed penalty.
11.	Permission to issue handicapped ticket in accordance with CC no. 18 of 2015.	YTSKs should be allowed the facility to book tickets for such handicapped persons whose details are available in the system. They shall, however, not be allowed to book tickets on those physically handicapped concession certificates whose details are not available in the system.

3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

(Shelly Srivastava)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

No. 2014/TG-I/23/PRS Terminal

Date: 17.07.2017

Copy forwarded to:

FA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.

for Financial Commissioner, Railways

-4/-

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

****

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

सं. 2014/टीजी-I/23/पीआरएस टर्मिनल   नई दिल्ली दिनांक 17.07.2017

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 55)

विषय: यात्री टिकट सुविधा केंद्र (वाईटीएसके) के संबंध में स्पष्टीकरण

वाईटीएसके की स्कीम 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33 के तहत लागू की गई थी और इस स्कीम के प्रावधानों में 2014 के सीसी सं. 35, 37, 39, 40 और 45 और 2015 के 21 एवं 59 के तहत संशोधन किया गया है।

2. इस स्कीम के प्रावधान में कुछ संशोधन करने के लिए वाईटीएसके संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। रेल मंत्रालय के वित्त, लेखा, विधि, और सी एवं आईएस निदेशालय के परामर्श से प्राप्त हुये सुझावों की जांच की गई और निम्नानुसार विनिश्चय किया गया है:-

क्र.सं.	उठाया गया मुद्दा	लिया गया निर्णय
1.	वाईटीएसके को प्रातः 0800 बजे अर्थात् वर्तमान में 30 मिनट के प्रतिबंध के बिना बुकिंग आरंभ करने की अनुमति दी जाए अथवा उन्हें उन गाड़ियों की टिकटें बुक करने की अनुमति दी जाए जिसकी बुकिंग पहले ही आरंभ हो चुकी हो।	सामान्य एवं तत्काल टिकटों के लिए पहले दिन आरक्षण करने के लिए, पहले 30 मिनट में बुकिंग न करने के प्रतिबंध को जारी रखा जाए, बहरहाल, वे गाड़ियाँ जिनकी बुकिंग एक दिन पहले से ही शुरू हो गई हो उनकी बुकिंग करने की अनुमति दी जाए। यह दोनों, सामान्य एवं तत्काल आरक्षण पर लागू होना चाहिए।
2.	टिकट में संशोधन एवं सर्क्युलर टूर टिकटों को जारी करने की सुविधा।	वाईटीएसके को यात्रा पहले करने/स्थगित करने की सुविधा प्रदान की जाए, बहरहाल, सर्क्युलर यात्रा टिकट जारी करने की सुविधा वाईटीएसके को न दी जाए।
3.	पीआरएस एवं यूटीएस काउंटरों का अलग-अलग होना: यात्री टिकट सुविधा केंद्र टर्मिनल पर यूटीएस (सामान्य टिकट) बेचने की सुविधा है, बहरहाल यूटीएस की पीआरएस काउंटरों से कनेक्टिविटी के कारण और पीआरएस काउंटरों पर लंबी कतार होने के कारण अकसर गलतियाँ हो जाती है, अतः यूटीएस के लिए अलग काउंटर होना चाहिए।	यदि वाईटीएसके, पीआरएस और यूटीएस टर्मिनल के लिए अलग से टर्मिनल चाहते है, तो उनको यह सुविधा दी जा सकती है। बहरहाल, समग्र लागत (प्रतिष्ठापन के साथ-साथ उसके रख-रखाव की आवर्ती लागत) लाइसेंसेधारी द्वारा वहन की जाएगी।
4.	कर्मचारी पहचान पत्र: यात्री टिकट सुविधा केंद्र पर टिकट बनाते समय कभी-कभी कनेक्टिविटी न होने के कारण, वाईटीएसके के कर्मचारियों को लिंकर/मॉडेम ऑन और ऑफ करने के लिए जाना पड़ता है, परंतु पहचान पत्र न होने के कारण, आरक्षण पर्यवेक्षक या आरपीएफ कर्मचारी उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं।	एस एवं टी उपकरण में कोई खराबी होने पर इसे रेलवे कर्मचारी द्वारा ठीक किया जाना है। क्षेत्रीय रेलें, बहरहाल, यह सुनिश्चित करें की ऐसी शिकायतों को प्राथमिकता दी जाए ताकि टिकटें जारी करने में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

5.	क्रेडिट कार्ड द्वारा आरक्षण की सुविधा: कॉर्पोरेट क्लाईंट, सरकारी कर्मचारी, और एलटीसी यात्री भी रेलवे टिकट के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड द्वारा भुगतान करना चाहते थे, अतः सभी वाईटीएसके पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के द्वारा भुगतान करने के लिए मशीन लगाने की अनुमति दी जाए।	2016 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 78 के तहत अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं जिसमें रेलों को सुझाव दिया गया है कि वे वाईटीएसके को अनुदेश दे कि वे पीओएस मशीनें लगवाएँ और दोनों, आरक्षित एवं अनारक्षित टिकटें जारी करने के लिए सभी बैंकों के डेबिट/क्रेडिट कार्डों द्वारा भुगतान स्वीकार करें। उन्हें भुगतान के अन्य तरीके जैसे यूपीआई, यूएसएसडी, ई-वॉलेट, 'आधार' आधारित भुगतान प्रणाली से भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कहा गया है। बहरहाल, यह स्पष्ट किया जाता है कि लेखा महानियंत्रक/वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार पीआरएस/यूटीएस टिकटें जारी करने के लिए निजी ई-वॉलेट का मान्यता प्राप्त बैंकों के साथ एकीकरण करने की अनुमति नहीं है। अतः, निजी ई-वॉलेट (जैसे पेटीएम, फ्रीचार्ज आदि) के द्वारा भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6.	विज्ञापन: पिछले एक वर्ष से वाईटीएसके के सदस्य लगातार कार्य कर रहे हैं, बहरहाल, सहभागिता के आधार पर कार्य कर रहे यात्री टिकट सुविधा केन्द्रों को समाचार पत्र, टीवी चैनलों और रेडियो चैनलों द्वारा विज्ञापन देने की स्वतंत्रता होगी और वाईटीएसके के लाइसेंसधारक वेबसाइटों पर अपना नाम और पता दे सकते हैं।	वाईटीएसके, यात्रियों को आरक्षित और अनारक्षित टिकटों की सुविधा प्रदान करने के लिए हैं। अतः, क्षेत्रीय रेलों को क्षेत्रीय रेलों की वेबसाइट पर अपनी रेलों में कार्य कर रहे वाईटीएसके का पता और फोन नंबर देना चाहिए।
7.	वाईटीएसके टर्मिनलों द्वारा प्रीमियम तत्काल और सुविधा गाड़ी टिकटें जारी करने की अनुमति प्रदान करना: वर्तमान में, प्रीमियम तत्काल टिकटें केवल आईआरसीटीसी द्वारा ही जारी की जा सकती हैं और सुविधा गाड़ी टिकटें, गाड़ी के प्रस्थान से 48 घंटे पहले ही वाईटीएसके केन्द्रों द्वारा जारी की जा सकती हैं। यदि यह सुविधा वाईटीएसके को प्रदान की जाती है, तो आम रेल यात्रियों को यह सुविधा दी जाएगी परंतु इसके अतिरिक्त रेलवे, वाईटीएसके से 25% राजस्व साझेदारी स्कीम द्वारा भी अर्जन करेगी।	तत्काल टिकटें बुक करने की सुविधा की तर्ज पर, वाईटीएसके को प्रीमियम तत्काल टिकटें भी बुक करने की अनुमति दी जाती है, जिस पर आरक्षण आरंभ होने के पहले 30 मिनट में इन टिकटों को बुक न करने का प्रतिबंध होगा।
8.	आगे की यात्रा टिकट जारी करना: 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 की मद सं. 9 xvi में उल्लेख है कि पहले खरीदी गयी टिकटों पर आरक्षण नहीं किया जाएगा परंतु यदि कोई यात्री आगे की यात्रा टिकट बुक करना चाहता है तो वे मना नहीं कर सकते और 2015 के वाणिज्यिक	वाईटीएसके को शून्य मूल्य का कोई टिकट जारी करने की अनुमति नहीं होगी, बहरहाल, वे आरक्षण करते हुये किसी खास स्टेशन तक अर्थात् गंतव्य स्टेशन से पहले के स्टेशन तक टिकट जारी कर सकते हैं, उदाहरण उन्हें नागपुर तक आरक्षण करते हुये नई दिल्ली से चेन्नई तक का टिकट

	परिपत्र सं. 21 के अनुसार यह सेवा तीन दिन के लिए शुरू की गयी थी और फिर इसे बंद कर दिया गया।	बुक करने की अनुमति दी जा सकती है। बहरहाल, उन्हें पहले से खरीदे गए इस टिकट के प्राधिकार पर नागपुर से चेन्नई तक का टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी।
9.	वाईटीएसके के कर्मचारियों का सत्यापन: 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39 की मद सं 9.xix में उल्लेख है कि वाईटीएसके अपने कर्मचारियों को पुलिस सत्यापन के बाद ही नियुक्त कर सकता है, किन्तु 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 35 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सत्यापन आवश्यक नहीं है। यह भी उल्लेख है कि उनके कर्मचारियों का पूरा उत्तरदायित्व उनका है और भारतीय रेलवे का नहीं, तो फिर क्यों वाईटीएसके को इस प्रकार की परेशानी दी जा रही है।	वाईटीएसके के कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन की शर्त को वापस लिया जाए। इसके बदले वाईटीएसके को अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने से पूर्व 'आधार' आधारित सत्यापन करना चाहिए।
10.	सक्षम अधिकारी जो वाईटीएसके के निर्दोष साबित होने पर दंड माफ करेगा।	क्षेत्रीय रेलें, वाईटीएसके पर लगे किसी दंड के खिलाफ की गयी अपील की जांच करने के लिए किसी प्रशासनिक अधिकारी को नामित करें। ऐसा अपील प्राधिकारी उस प्राधिकारी, जिसने उन्हें लाइसेंस दिया है या जिसने दंड लगाया है, से उच्च पद पर होना चाहिए।
11.	2015 के सीसी सं. 18 के अनुसार विकलांग टिकटें जारी करने की अनुमति।	वाईटीएसके को ऐसे विकलांग व्यक्तियों की टिकटें बुक करने की अनुमति दी जाए जिनका ब्यौरा सिस्टम में उपलब्ध हो। बहरहाल, उन्हें उन शारीरिक रूप से विकलांग रियायती प्रमाण-पत्रों पर टिकटें बुक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसका ब्यौरा सिस्टम में उपलब्ध न हो।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(शैली श्रीवास्तव)
निदेशक यातायात वाणिज्य (जी)
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/टीजी-I/23/पीआरएस टर्मिनल दिनांक: 17.07.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें
निदेशक (लेखापरीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें

कृते, वित्त आयुक्त, रेलवे

प्रतिलिपि प्रेषित:

1) सीसीएम/पीएम तथा सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2) का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक सतर्कता टी, निदेशक एफ (सी), पीपीएस/एफसी, वि का अधिकारी/टी सी, एफ (सी) तथा सतर्कता (एस एस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
3) जीजीएम/आईटी/आईआरसीटीसी, बी 148, 11 वां तल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
4) प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/ मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7) निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-2260011
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली ।
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71।
14) प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड, बेलापुर भवन, प्लॉट नं.6, सैक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614।

******

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2017/TG-I/23/P/YTSK

Date: 07.12.2017

Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular no. 81 of 2017)

Sub: Clarification on booking of YTSK tickets through telephone.

With a view to expanding the facilities for issuing of tickets (both reserved and unreserved) and allowing public private partnership in establishment and operation of computerized PRS-cum-UTS terminals at centres called Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK), the YTSK scheme was launched vide Commercial Circular no. 33 of 2014. Thereafter, on the basis of feedback received, amendments have been made in the scheme from time to time.

2. A reference has been received from Northern Railway forwarding therewith a request received from YTSK Association, Delhi's to permit YTSKs to book tickets on telephone. In this connection, the Association has referred to the feature of booking reserved ticket telephonically which finds mention in both RTSA Rules, 1985 as well as RTSA Rules, 2014 (under which RTSAs started functioning as e-ticketing agents).

3. The matter has been examined in this office and keeping in view the fact that the provision for booking reserved ticket telephonically figures in RTSA Rules, 1985 as well as RTSA Rules, 2014 and also in Computerised Ticket Service Provider Licencee (CTSPL) scheme which was introduced in the year 2000 allowing provision of PRS terminals to RTSAs, it has been decided that YTSKs may be allowed to book tickets on telephone. However, Zonal Railways are requested to ensure that in case the YTSK licensee acts on a telephone call, a written request shall be obtained by the Licensee from the client before delivering the railway ticket to him.

4. Necessary instructions may be issue to all concerned accordingly.

07/12/17
(Harvinder Singh)
Jt. Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

-2/-

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

****

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2017/टीजी-1/23/वाईटीएसके दिनांक 07.12.2017

प्रधान मुख्य वाणिजियक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 81)

विषय: टेलीफोन के माध्यम से वाईटीएसके टिकटों की बुकिंग के संबंध में स्पष्टीकरण।

*****

टिकटें (आरक्षित तथा अनारक्षित दोनों) जारी करने के लिए सुविधाओं का विस्तार करने तथा संस्थापनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी को अनुमेय करने और केन्द्रों पर कम्प्यूटरीकृत पीआरएस-कम–यूटीएस टर्मिनलों, जिन्हें यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) भी कहा जाता है, के परिचालन को ध्यान में रखते हुए, 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33 के तहत वाईटीएसके योजना आरंभ की गई थी। तत्पश्चात् प्राप्त फीडबैक के आधार पर इस योजना में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं।

2. उत्तर रेलवे से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके साथ वाईटीएसके एसोसिएशन, दिल्ली का पत्र अग्रेषित किया गया है जिसमें टेलीफोन पर टिकटें बुक करने के लिए वाईटीएसके को अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में, एसोसिएशन ने टेलीफोन के माध्यम से आरक्षित टिकट बुक करने की विशेषताओं का हवाला दिया है, जिसके बारे में आरटीएसए नियम, 1985 के साथ-साथ आरटीएसए नियम, 2014 दोनों में उल्लेख किया गया है (जिसके अंतर्गत आरटीएसए ने ई-टिकटिंग एजेंटों के रूप में कार्य करना आरंभ किया है)।

3. इस कार्यालय में इस मामले की जांच की गई है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरटीएसए नियम, 1985 के साथ-साथ आरटीएसए नियम, 2014 में टेलीफोन के माध्यम से आरक्षित टिकटों को बुक करने के प्रावधान का उल्लेख है और इसका उल्लेख कम्प्यूटरीकृत टिकट सेवा प्रदाता लाइसेंस (सीटीएसपीएल) योजना में भी है, जिसे आरटीएसए को पीआरएस टर्मिनलों के प्रावधान की अनुमति प्रदान करने के लिए वर्ष 2000 में आरंभ किया गया था, यह विनिश्चय किया गया है कि वाईटीएसके को टेलीफोन पर टिकटों को बुक करने की अनुमति प्रदान की जाए। बहरहाल, क्षेत्रीय रेलों से अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि यदि वाईटीएसके लाइसेंसधारी टेलीफोन कॉल पर कार्रवाई करता है, तो लाइसेंसधारी, ग्राहक को रेलवे टिकट सौंपने से पूर्व उससे एक लिखित अनुरोध प्राप्त करेगा।

4. तदनुसार, सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

हरविंदर सिंह
19/12/11
(हरविंदर सिंह)
संयुक्त निदेशक यातायात वाणिज्य (जी)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. का नि सतर्कता(टी), का नि एफ(सी), नि सतर्कता(टी), निदेशक,एफ(सी), प्रमुख निजी सचिव/ वित्त आयुक्त,वि का अधिकारी/टीसी, एफ(सी) व सतर्कता (एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
3. जीजीएम/आईटी/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001.
4. प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वड़ोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली/धनबाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-226011.
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मेट्रो रेल, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे. एल. नेहरू रोड, कोलकाता-71.
14. प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, बेलापुर भवन, प्लॉट नं. 6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुम्बई- 400614.

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2014/TG-I/23/PRS Terminal/Pt.2 New Delhi, Dated: 16 .01.2018

Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular no. 05 of 2018)

Sub: Implementation of Goods and Services Tax (GST) on Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK).

Instructions stipulating the methodology for issuance of tickets through YTSK under the current GST regime were issued vide this office letter of even number dated 29.06.2017 (Commercial Circular no. 45 of 2017).

1.1 To further clarify this matter, collection of service charges, payment of tax and issuing of tax invoice under the GST structure have been examined in consultation with Accounts Directorate of the Ministry of Railways. The clarification in this regard is as follows:-

i. *As per Section 31(2) of the Central Goods and Service Tax Act, 2017* ***("The CGST Act")*** *read with Rule 54(4) of the CGST Rules, 2017, tax invoice includes a ticket issued by a supplier of passenger transportation service containing all the details (except the address of the recipient) as required under Rule 46. This implies that "Ticket" issued by Indian Railways through the YTSK Licensee, bearing the GST Identification Number (GSTIN) of IR along with other required details, can be construed as tax invoice of IR.*

ii. *The service charges collected for booking a ticket through the YTSK licensee form an integral part of the value of the transportation service provided by IR to the passengers. The service charge will be subjected to the same tax treatment as applicable to the underlying transportation service for which the ticket is issued.*

iii. *In case of tickets for non-AC classes, no GST is imposed, however, YTKSs are authorised to collect prescribed service charges on non-AC class tickets also. Hence in this case since service charges will become part of the fare, GST shall not be imposed on the service charge component of non-AC class tickets also.*

iv. *IR shares 25% of the service charges collected from both issuance and cancellation of reserved tickets with the YTSK licensee. 100% share of the service charges collected from issuance of unreserved tickets is retained by the licensee. The said share is the consideration for the services provided by the YTSK licensee to IR.*

v. *Those YTSK licensees who are registered with GST, have to issue a GST tax compliant invoice on IR for the service charges due to him/her (75% or 100% as the case may be) out of the service charges collected from the passengers along with applicable GST, which at present is @ 18%. The said GST will be collected and paid to the credit of the Government by the YTSK licensee himself. In case YTSK agent is not registered with GST then no GST shall be charged by him.*

vi. *At present, service charges due to YTSKs collected by the Railways are adjusted in the payments to be made by them. Similarly in case of GST also adjustments can be made. However, a statement on this account shall be issued to YTSK so as to make him aware of the amount of GST to be deposited by him.*

vii. *IR would be eligible to take and utilize the input tax credit (ITC) of such GST paid to the YTSK licensee.*

2. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.

3. This issues with the concurrence of Accounts Directorate of the Ministry of Railways.

(Harvinder Singh)	**(V Prakash)**	**(Pallavi Joshi)**
Jt. Director Traffic Commercial (G)	**Joint Director(Accounts)**	**Director Finance(Commercial)**
Railway Board	**Railway Board**	**Railway Board**

No. 2014/TG-I/23/PRS Terminal/Pt.2 New Delhi, Dated: 16.01.2018

Copy forwarded to:

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

****

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2014/टीजी-1/23/पीआरएस टर्मिनल/पार्ट 2 **नई दिल्ली, दिनांक: 16.01.2018**

प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.05)

विषय: यात्री टिकट सुविधा केंद्र (वाईटीएसके) पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का क्रियान्वयन।

इस कार्यालय के दिनांक 29.06.2017 के समसंख्यक पत्र (2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.45) के तहत मौजूदा जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत वाईटीएसके के जरिए टिकटें जारी करने की पद्धति से संबंधित अनुदेश जारी किए गए थे।

1.1 इस मामले को और स्पष्ट करने के लिए, रेल मंत्रालय के लेखा निदेशालय के परामर्श से जीएसटी की व्यवस्था के अंतर्गत सेवा प्रभारों की वसूली, कर भुगतान और कर बीजक जारी करने की जांच की गई है। इस संबंध में स्पष्टीकरण निम्नानुसार है:

(i) सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 54(4) के साथ पठित, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 **(सीजीएसटी अधिनियम)** की धारा 31(2) के अनुसार, कर बीजक में यात्री परिवहन सेवा के सप्लायर द्वारा जारी किया गया टिकट शामिल है, जिसमें नियम 46 के अंतर्गत यथा अपेक्षित सभी विवरण (प्राप्तकर्ता का पता छोड़कर) अंतर्विष्ट हैं। इसका तात्पर्य है कि वाईटीएसके लाइसेंसधारक के जरिए भारतीय रेल द्वारा जारी किए गए 'टिकट' में भारतीय रेल के जीएसटी पहचान नंबर (जीएसटीआईएन) और अन्य अपेक्षित विवरणों को भारतीय रेल के कर बीजक के रूप में माना जा सकता है।

(ii) वाईटीएसके लाइसेंसधारक के जरिए टिकट बुकिंग के लिए वसूल किए गए सेवा प्रभार भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को मुहैया कराई गई परिवहन सेवा का एक अविभाज्य भाग हैं। यह सेवा प्रभार उसी कर के अध्यधीन होगा, जो जारी किए गए टिकट हेतु परिवहन सेवा के लिए लागू होगा।

(iii) नॉन-एसी श्रेणी के टिकटों के मामले में कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता है, बहरहाल, वाईटीएसके नॉन-एसी श्रेणी के टिकटों पर भी निर्धारित सेवा प्रभार वसूल करने के लिए प्राधिकृत हैं। चूंकि इस मामले में सेवा प्रभार, किराए का ही भाग होंगे, इसलिए नॉन-एसी श्रेणी के टिकटों के सेवा प्रभार घटक पर भी जीएसटी लागू नहीं होगा।

(iv) भारतीय रेल वाईटीएसके लाइसेंसधारकों के साथ आरक्षित टिकटों को जारी करने और रद्द करने, दोनों पर वसूल किए गए सेवा प्रभार के 25 प्रतिशत भाग का सांझा करती है। अनारक्षित टिकटें जारी करने से वसूल किए गए सेवा प्रभार का 100 प्रतिशत हिस्सा लाइसेंसधारक द्वारा रखा जाता है। उक्त हिस्सा वाईटीएसके लाइसेंसधारक द्वारा भारतीय रेल को मुहैया कराई गई सेवा के बदले में दिया जाता है।

(v) जीएसटी में पंजीकृत वाईटीएस के लाइसेंसधारकों को यात्रियों से वसूल किए गए सेवा प्रभार में से लागू जीएसटी सहित, जो कि इस समय 18% है, अपने हिस्से के सेवा प्रभार के लिए भारतीय रेल पर जीएसटी अनुपालक बीजक जारी करना होगा (75 प्रतिशत अथवा 100 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो)। वाईटीएसके लाइसेंसधारक द्वारा स्वयं उक्त जीएसटी वसूल किया जाएगा और इसे सरकार के क्रेडिट में भुगतान किया जाएगा। यदि वाईटीएसके एजेंट जीएसटी के साथ पंजीकृत नहीं हो तो वह कोई जीएसटी वसूल नहीं करेगा।

(vi) फिलहाल, रेलवे द्वारा वसूल किए गए वाईटीएसके के बकाया सेवा प्रभारों को उनके द्वारा किए गए भुगतान में समायोजित किया जाता है। इसी प्रकार जीएसटी के मामले में भी समायोजन किए जा सकते हैं। बहरहाल, वाईटीएसके को इसके लिए एक विवरण जारी किया जाएगा ताकि उसके द्वारा जमा किए जाने वाली जीएसटी की राशि से उसे अवगत कराया जा सके।

(vii) भारतीय रेल वाईटीएसके लाइसेंसधारक को भुगतान किए गए जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को प्राप्त करने हेतु पात्र होगी और इसका उपयोग करेगी।

2. तदनुसार, सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

3. इसे रेल मंत्रालय के लेखा निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

ह०		ह०
(हरविंदर सिंह)	**(वी प्रकाश)**	**(पल्लवी जोशी)**
संयुक्त निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)	**संयुक्त निदेशक (लेखा)**	**निदेशक वित्त (वाणिज्य)**
रेलवे बोर्ड	**रेलवे बोर्ड**	**रेलवे बोर्ड**

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2018/TG-I/23/YTSK Pending Issues New Delhi dated 09.08.2018

Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 41 OF 2018)

Sub: Modification in the Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK) policy.

The scheme of YTSK was introduced vide Commercial Circular no. 33 of 2014 and provisions of the scheme have been modified vide CC nos. 35, 37, 39, 40 & 45 of 2014, 21&59 of 2015 and 55 of 2017.

2. The YTSK scheme has been further reviewed in consultations with Finance Directorate of the Ministry of Railways to make certain modifications in the scheme. The modifications are as follows:-

S. No.	Feature of the scheme	Existing Provision	Revised Provision
1.	Terminal Access Charge	As per Para 3.5 of CC no. 33/2014, the licensee pays system access charges of ₹ 1.6 lakh per terminal per annum.	YTSK Licensee shall pay ₹ 1.6 lakh per terminal at the time of each renewal (now once in 3 years instead of every year).
2.	Registration Fee	As per Para 5.1 of CC no. 33/2014, YTSKL pays a one-time non-refundable registration fee of ₹ 5 lakh upon allotment of license.	Licensee shall pay one-time non-refundable registration fee of ₹ 2 lakh upon allotment of license.
3.	Renewal of License	As per Para 7 of CC no. 33/2014, the initial tenure of the license is for a period of 3 years. The license can be renewed for one year at a time after expiry of its existing tenure subject to the satisfaction of the competent authority and as per the extant policy prevalent during the period of renewal.	The initial tenure of the license is for a period of 3 years. The license can be renewed for three years at a time after expiry of its existing tenure subject to the satisfaction of the competent authority and as per the extant policy prevalent during the period of renewal. For the existing YTSKs, this will be applicable at the time of next renewal.

-2/-

9/8/18

4.	Security Deposit	As per Para 5.3 of CC no. 33 of 2014, the YTSK licensee is required to keep an interest free security deposit of ₹ 2 lakh per port subject to a maximum of ₹ 5 lakh with the Railways.	The YTSK licensee is requ[illegible]d to keep an interest free security deposit of ₹ 1 lakh per port subject to a maximum of ₹ 5 lakh with the Railways.
5.	Timing restriction for operation of YTSK terminals	As per Para 1(v) of Commercial Circular no. 21 of 2015, the operational timings for general reservation for booking of PRS and UTS tickets at YTSKs are 0830 hours to 2200 hours on weekdays and from 0830 hours to 2000 hours on Sundays. The booking hours for Tatkal reservation start at 1030 hours or as per timings specified by Ministry of Railways from time to time.	On the opening day of reservation the timings of restriction for booking general as well as Tatkal reservation will be reduced from existing 30 minutes to fifteen minutes. As such YTSKs shall be able to issue general tickets on the opening day of reservation from 0815 hours and Tatkal tickets on the opening day of reservation from 1015 hours and 1115 hours for AC and non-AC classes respectively.
6.	Eligibility criterion	As per Para 2 (i) of CC no. 33 of 2014, the applicant should have worked as authorised ticketing agent providing railway ticketing (reserved/unreserved) services for passengers of Indian Railways for at least five years.	The applicant should have worked as authorised ticketing agent providing railway ticketing (reserved/unreserved) services for passengers of Indian Railways for at least two (02) years.
7.	Transfer of License	As per, Para 18 of CC no. 39/2014 license shall be non-transferrable, provided that in case of death of agent, the license may be transferred to his/her legal heir on a request made in writing for the unexpired period only of the license by the competent authority and the legal heir shall be eligible to apply for renewal of the said license in accordance with the provisions of rules, as applicable at the time of renewal.	The following clause may be added in the scheme: "The YTSK will indicate two (02) nominees/legal heirs in whose name the license should be transferred in case of death of the YTSK. In case the nominee 1 passes away before the YTSK or is unwilling to continue as YTSK after the demise of the original allottee, nominee 2 shall be asked to continue as YTSK.

-3/-

9/8/18

Tarun Kumar

3. The aforesaid modifications will take effect prospectively from the date of issue of this circular. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.

4. All the remaining provisions of the existing policy shall remain unchanged.

5. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

(Samir Kumar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

No. 2018/TG-I/23/YTSK Pending Issues

Dated: 09.08.2018

Copy forwarded to:
FA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.

for Financial Commissioner, Railways

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

****

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2018/टीजी-I/23/वाईटीएसके पेंडिंग इशूज़ **नई दिल्ली, दिनांक 09.08.2018**

प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें

(2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 41)

विषय: यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) नीति में आशोधन।

वाईटीएसके योजना को 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33 के तहत शुरू किया गया था और 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 35, 37, 39, 40 और 45, 2015 के 21 और 59 तथा 2017 के 55 के तहत इस योजना के प्रावधानों में आशोधन किए गए हैं।

2. इस योजना में कुछ आशोधन करने के लिए रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय के परामर्श से वाईटीएसके योजना की पुन: समीक्षा की गई है। ये आशोधन निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	योजना की विशेषता	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.	टर्मिनल अभिगमन प्रभार	वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33/2014 के पैरा 3.5 के अनुसार, लाइसेंसधारी प्रति टर्मिनल प्रति वर्ष 1.6 लाख रुपए के प्रणाली अभिगमन प्रभार का भुगतान करेंगे।	वाईटीएसके लाइसेंसधारी प्रत्येक नवीकरण के समय (प्रत्येक वर्ष के बदले अब 3 वर्ष में एक बार) प्रति टर्मिनल 1.6 लाख रुपए का भुगतान करेंगे।
2.	पंजीकरण शुल्क	वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33/2014 के पैरा 5.1 के अनुसार, वाईटीएसकेएल लाइसेंस आबंटित होने पर एकबारगी 5 लाख रुपए के अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क का भुगतान करता है।	लाइसेंसधारी लाइसेंस आबंटित होने पर 2 लाख रुपए के एकबारगी अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क का भुगतान करेगा।
3.	लाइसेंस का नवीकरण	वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33/2014 के पैरा 7 के अनुसार, लाइसेंस की आरंभिक अवधि 3 वर्षों के लिए है। लाइसेंस की मौजूदा कार्यावधि समाप्त होने के बाद	लाइसेंस की आरंभिक अवधि 3 वर्षों की है। लाइसेंस की मौजूदा अवधि समाप्त होने के बाद सक्षम प्राधिकारी के संतुष्ट होने

		सक्षम प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर और नवीकरण की अवधि के दौरान प्रचलित मौजूदा नीति के अनुसार, एक बार में एक वर्ष के लिए नवीकरण किया जा सकता है।	पर और नवीकरण की अवधि के दौरान प्रचलित मौजूदा नीति के अनुसार, एक बार में तीन वर्ष के लिए नवीकरण किया जा सकता है। मौजूदा वाईटीएसकेएल के लिए अगले नवीकरण के समय यह लागू होगा।
4.	प्रतिभूति जमा	2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33 के पैरा 5.3 के अनुसार, अपेक्षा की जाती है कि वाईटीएसके लाइसेंसधारी को रेलवे के पास प्रति पोर्ट 2 लाख रुपए की ब्याजरहित प्रतिभूति जमा रखेगा जो अधिकतम 5 लाख रुपए तक हो सकती है।	वाईटीएसके लाइसेंसधारी को रेलवे के पास प्रति पोर्ट ब्याजरहित 1 लाख रुपए की प्रतिभूति जमा रखना अपेक्षित है जो अधिकतम 5 लाख रुपए तक हो सकती है।
5.	वाईटीएसके टर्मिनलों के परिचालन के लिए समय प्रतिबंध	2015 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 21 के पैरा 1(V) के अनुसार, वाईटीएसके के लिए पीआरएस और यूटीएस टिकटों की बुकिंग के लिए सामान्य आरक्षण चालू रहने का समय कार्य दिवसों में 0830 बजे से 2200 बजे तक और रविवार को 0830 बजे से 2000 बजे तक होता है। तत्काल आरक्षण शुरू होने के लिए बुकिंग समय 1030 बजे से या समय-समय पर रेल मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अनुसार होता है।	आरक्षण खुलने के दिन सामान्य और तत्काल आरक्षण बुक करने का समय प्रतिबंध मौजूदा 30 मिनट से कम करके 15 मिनट कर दिया जाएगा। अत:, वाईटीएसके आरक्षण खुलने के दिन 08.15 बजे और तत्काल टिकट आरक्षण खुलने के दिन वातानुकूलित श्रेणी के लिए और गैर-वातानुकूलित श्रेणी के लिए क्रमश: 10.15 बजे और 11.15 बजे से टिकट जारी कर सकेंगे।
6.	पात्रता मानदण्ड	2014 के वाणिज्य परिपत्र सं. 33 के पैरा 2(i) के अनुसार, आवेदक ने भारतीय रेल के यात्रियों को कम-से-कम पांच वर्षों तक रेल टिकट (आरक्षित/अनारक्षित) सेवाएं देने वाले अधिकृत टिकट एजेंट के रूप में कार्य किया हो।	आवेदक ने भारतीय रेल के यात्रियों को कम-से-कम दो वर्षों तक रेल टिकट (आरक्षित/अनारक्षित) सेवाएं देने वाले अधिकृत टिकट एजेंट के रूप में कार्य किया हो।
7.	लाइसेंस का हस्तांतरण	वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39/2014 के पैरा 18 के अनुसार, लाइसेंस अहस्तांतरणीय होगा बशर्ते कि एजेंट की मृत्यु के मामले में, लिखित में अनुरोध किए जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस की समय-सीमा समाप्त होने	इस योजना में निम्नलिखित खण्ड शामिल किया जाए: "वाईटीएसके ऐसे दो (02) नामितियों/कानूनी उत्तराधिकारियों को दर्शाएगा, जिनके नाम पर वाईटीएसके की

-3/-

		की केवल शेष अवधि के लिए उसके कानूनी उत्तराधिकारी को लाइसेंस हस्तांतरित किया जाए और कानूनी उत्तराधिकारी नवीकरण के समय यथा लागू नियमों के उपबन्धों के अनुसार उक्त लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।	मृत्यु होने पर लाइसेंस हस्तांतरित किया जाना चाहिए। यदि वाईटीएसके से पहले नामिति 1 की मृत्यु हो जाती है या वह मूल आबंटिती की मृत्यु के बाद वाईटीएसके के रूप में बने रहने के लिए अनिच्छुक हो तो नामिती 2 को वाईटीएसके बनने के लिए कहा जाएगा।"

3. उपर्युक्त आशोधन इस परिपत्र के जारी होने की भावी तिथि से प्रभावी होंगे। तदनुसार सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

4. मौजूदा नीति के शेष सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

5/11/18

(समीर कुमार)
निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)
रेलवे बोर्ड

सं. 2018/टीजी-I/23/वाईटीएसके पेंडिंग इशूज़ **नई दिल्ली, दिनांक 09.08.2018**

प्रतिलिपि प्रेषित:
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें
निदेशक (लेखापरीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें

8.11.18
कृते वित्त आयुक्त, रेलवे

प्रतिलिपि प्रेषित:

1) सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें
2) कार्यपालक निदेशक सतर्कता(यातायात), कार्यपालक निदेशक वित्त वाणिज्य, निदेशक वित्त (वाणिज्य), प्रधान निजी सचिव/ वित्त वाणिज्य, ओएसडी/टीसी, एफ(सी) और वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड

3) ग्रुप महाप्रबंधक/आईटी/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001.
4) प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर
7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिच्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ, 226011
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली
13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.
14) प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे निगम लि., बेलापुर भवन, प्लॉट नं. 6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614.

*****

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAY (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)
*****

No. 2014/TG-1/23/PRS Terminal/Pt.2 New Delhi, Dated 20.09.2018

Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 56 OF 2018)

Sub: Applicability of GST on Annual System Access Charges, Annual License Fees of YTSK and Penalties imposed upon YTSKLs.

Ref: (i) Central Railway's no. C/CRS/BB-407/YTSK Scheme/Pt.III dated 19.01.2018.
(ii) Western Railway's letter no. C 550/17/0 YTSK Vol. II dated 16.04.2018

Queries had been raised by Central and Western Railways, seeking clarification on applicability of GST vis-à-vis certain provisions of the YTSK scheme.

1.1 The matter has been examined in consultation with Accounts Directorate of the Ministry of Railways and it has been decided that GST shall be applicable on different transactions under YTSK scheme as follows:-

S.No.	Nature of Consideration	Taxability	Rate	HSN Code
1	Security Deposit	Not a supply	-	-
2	Forfeiture of security deposit	Exempt	-	9997
3	One-time non-refundable registration fee	Taxable under Reverse Charge Mechanism	18%	9973
4	Terminal Access Charge	Taxable under Reverse Charge Mechanism	18%	9973

2. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.

3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

20/9/18

(Samir Kumar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

No. 2014/TG-1/23/PRS Terminal/Pt.2 Dated: .09.2018

Copy forwarded to:
FA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.

20.9.18
for Financial Commissioner, Railways

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

****

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2014/टीजी-I/23/पीआरएस टर्मिनल/पार्ट 2 नई दिल्ली, दिनांक 25.09.2018

प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें

(2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 56)

विषय: वार्षिक सिस्टम उपयोग प्रभार, वाईटीएसके का वार्षिक लाइसेंस शुल्क और वाईटीएसकेएल पर लगाए गए जुर्माने पर जीएसटी की प्रयोजनीयता।

संदर्भ: (i) मध्य रेलवे का दिनांक 19.01.2018 का पत्र सं. सी/सीआरएस/बीबी-407/वाईटीएसके योजना/पार्टIII.
(ii) पश्चिम रेलवे का दिनांक 16.04.2018 का पत्र सं. सी550/17/0वाईटीएसके वॉल्यूम II.

मध्य और पश्चिम रेलवे द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें वाईटीएसके योजना के कुछ प्रावधानों पर जीएसटी की प्रयोजनीयता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था।

1.1 रेल मंत्रालय के लेखा निदेशालय के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है, और यह विनिश्चय किया गया है कि वाईटीएसके योजना के अंतर्गत विभिन्न लेन-देन से संबंधित जीएसटी निम्नानुसार लागू होगा:-

क्र. सं.	प्रतिफल की प्रकृति	कर देयता	दर	एचएसएन कोड
1.	प्रतिभूति जमा	यह कोई संचय नहीं है	-	-
2.	प्रतिभूति जमा की जब्ती	मुक्त	-	9997
3.	एकबारगी अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क	रिवर्स प्रभार व्यवस्था के अंतर्गत कर योग्य	18%	9973
4.	टर्मिनल उपयोग प्रभार	रिवर्स प्रभार व्यवस्था के अंतर्गत कर योग्य	18%	9973

2. सभी संबंधितों को तदनुसार आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

25/11/18

(समीर कुमार)
निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)
रेलवे बोर्ड

TG-1 P. OFF.

—2/-

सं. 2014/टीजी-1/23/पीआरएस टर्मिनल/पार्ट2 दिनांक .09.2018

प्रतिलिपि प्रेषित:

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें
निदेशक (लेखापरीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें

Ycold 5.11.18
कृते वित्त आयुक्त, रेलवे

प्रतिलिपि प्रेषित:

1) सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें
2) कार्यपालक निदेशक सतर्कता(यातायात), कार्यपालक निदेशक वित्त वाणिज्य, निदेशक वित्त वाणिज्य, प्रधान निजी सचिव/ वित्त वाणिज्य, ओएसडी/टीसी, एफ(सी) और वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड
3) ग्रुप महाप्रबंधक/आईटी/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001.
4) महाप्रबंधक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर
7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिच्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ, 226011
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली
13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.
14) प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे निगम लि., बेलापुर भवन, प्लॉट नं. 6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614.

*****

TG-1 P. OFF.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2017/TG-I/23/P/YTSK

New Delhi, Dated: 13 .12.2018

Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular no. 73 of 2018)

Sub: Modification in the Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK) scheme.

The scheme of YTSK was introduced vide Commercial Circular no. 33 of 2014 and provisions of the scheme have been modified vide CC nos. 35, 37, 39, 40 & 45 of 2014 and 21&59 of 2015, 55 of 2017 and 41 of 2018.

1.1 In response to queries raised by Zonal Railways, three (03) more issues have been examined in this office. Issues raised and the decisions taken thereon, item-wise, are as follows:-

i. **Allowing YTSKs, already operating at one location, to operate at an additional location simultaneously:** YTSKs may be allowed to have additional locations. However, each location may be considered as a new proposal with a separate agreement and all necessary charges may be paid separately.

ii. **Limit on calling of application for YTSK allotment**: The limit for calling applications for YTSK allotment may be fixed as twice a year i.e. in January and July.

iii. **Decision on the number of YTSKs to be engaged at a location:** The decision on the number of YTSKs to be engaged at any location may be taken by Zonal Railways concerned keeping in view the demand pattern and the geographical conditions of that area.

iv. **Treating Retail Service Provider (RSP) as agent of IRCTC while considering his/her application for engagement as YTSK**: RSP may be treated as agent of IRCTC while considering his/her application for engagement as YTSK.

2. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.

13/12/18
(Samir Kumar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board.

-2/-

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

****

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

****

सं. 2017/टीजी-I/23/पी/वाईटीएसके **नई दिल्ली, दिनांक: 13.12.2018**

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 73)

विषय: यात्री टिकट सुविधा केंद्र (वाईटीएसके) योजना में आशोधन।

वाईटीएसके योजना 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं.33 के तहत शुरू की गई थी और 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं.35, 37, 39, 40 एवं 45, 2015 के 21 और 59, 2017 के 55 और 2018 के 41 के तहत उक्त योजना के प्रावधान आशोधित किए गए हैं।

1.1 क्षेत्रीय रेलों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के जवाब में, इस कार्यालय में तीन (03) अन्य मुद्दों की जांच की गई है। उठाए गए मुद्दे और उन पर लिए गए निर्णय, मद-वार, निम्नानुसार हैं: -

i. **पहले से ही एक स्थान पर काम करने वाले वाईटीएसके को एक ही समय में अतिरिक्त स्थान पर काम करने की अनुमति देना:** वाईटीएसके को अतिरिक्त स्थानों पर काम करने की अनुमति दी जाए। हालांकि, प्रत्येक स्थान को एक अलग समझौते के साथ एक नए प्रस्ताव के रूप में माना जाए और सभी आवश्यक प्रभारों का अलग से भुगतान किया जाए।

ii. **वाईटीएसके आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने की समय सीमा:** वाईटीएसके आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने की सीमा वर्ष में दो बार अर्थात जनवरी और जुलाई में तय की जाए।

iii. **किसी एक स्थान पर नियुक्त वाईटीएसके की संख्या पर निर्णय:** किसी भी स्थान पर नियुक्त किए जाने वाले वाईटीएसके की संख्या पर निर्णय उस क्षेत्र के मांग स्वरूप और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संबंधित क्षेत्रीय रेलों द्वारा लिया जाए।

iv. **रिटेल सर्विस प्रोवाइडर (आरएसपी) को वाईटीएसके के रूप में नियुक्त करने के लिए उनके आवेदन पर विचार करते समय उन्हें आईआरसीटीसी का एजेंट मानना:** आरएसपी को वाईटीएसके के रूप में नियुक्त करने के लिए उनके आवेदन पर विचार करते समय उन्हें आईआरसीटीसी का एजेंट माना जाए।

2. तदनुसार सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

23/1/19

(समीर कुमार)
निदेशक यातायात वाणि. (जी)
रेलवे बोर्ड।

<u>प्रतिलिपि प्रेषित</u>:

1) सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें
2) कार्यपालक निदेशक सतर्कता(यातायात), कार्यपालक निदेशक वित्त वाणिज्य, निदेशक सतर्कता यातायात, निदेशक वित्त वाणिज्य, प्रधान निजी सचिव/ वित्त वाणिज्य, ओएसडी/टीसी, एफ(सी) और वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड
3) ग्रुप महाप्रबंधक/आईटी/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001.
4) महाप्रबंधक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर
7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिच्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ, 226011
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली
13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.
14) प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे निगम लि., बेलापुर भवन, प्लॉट नं. 6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614.

*****

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)

MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)

(RAILWAY BOARD) (रेलवे बोर्ड)

No.2017/TG-I/23/P/YTSK New Delhi, Dated:29.01.2019

The Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular no. 03 of 2019)

Sub: Modifications in YTSK policy.

Ref: Commercial Circular Nos. 35, 37, 39, 40 & 45 of 2014 and 21 & 59 of 2015.

In the YTSK scheme issued/modified vide instructions mentioned above, there is a provision for realization of system access charge from the YTSK licensee @ 1.6 lakh per terminal at the time of each renewal. Further, instructions were issued vide CC No. 55 of 2017, inter-alia, advising that in case YTSKs desire to have separate PRS and UTS terminal, the same may be provided to them. However, the entire cost for its installation as well as recurring cost of its maintenance shall be borne by the licensee.

2. A clarification was sought by Northern railway regarding realization of system access charge for the separate UTS terminals provided to YTSK licensee. The matter has been examined in Board's office and it has been decided that no system access charges should be realized for exclusive UTS counter provided to YTSK for issuing only unreserved tickets from their premises. CRIS shall, however, ensure that only unreserved tickets are issued from such counters and there is no scope of issuing reserved tickets from these counters.

3. Necessary instructions may be issued to all concerned.

4. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

29/1/19

(Samir Kumar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

No. 2017/TG-I/23/P/YTSK **Date: 29.01.2019**

Copy forwarded to:

PFA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.

29.1.19

for Financial Commissioner, Railways

Copy to:

-2/-

Copy to:

1. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
2. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
3. EDV(T),EDFC,DF(C),PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
4. MD/IRCTC,B 148,11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
5. DG, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central Railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

*****

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.2017/टीजी-I/23/पी/वाईटीएसके नई दिल्ली, दिनांक: 29.01.2019

प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2019 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.03)

विषय: वाईटीएसके नीति में आशोधन।

संदर्भ: 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 35, 37, 39, 40 & 45 और 2015 के 21 एवं 59.

उक्त उल्लिखित अनुदेशों के तहत जारी/आशोधित की गई वाईटीएसके योजना में, वाईटीएसके लाइसेंसधारी से प्रत्येक नवीकरण के समय 1.6 लाख प्रति टर्मिनल की दर से सिस्टम एक्सैस प्रभार वसूल करने का प्रावधान है। इसके अलावा, 2017 के सीसी सं. 55 के तहत अनुदेश जारी किए गए थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया गया था कि यदि वाईटीएसके पीआरएस और यूटीएस टर्मिनल अलग-अलग चाहते हैं, तो उन्हें वह प्रदान किया जाए। बहरहाल, टर्मिनल की स्थापना की कुल लागत और उसके रख-रखाव की आवर्ती लागत लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी।

2. उत्तर रेलवे द्वारा वाईटीएसके लाइसेंसधारी को अलग से मुहैया कराये गए यूटीएस टर्मिनल के लिए सिस्टम एक्सैस प्रभार वसूल करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। बोर्ड कार्यालय में इस मामले की जांच की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि वाईटीएसके से उनके परिसर से केवल अनारक्षित टिकट जारी करने के लिए मुहैया कराए गए विशेष यूटीएस काउंटर के लिए कोई सिस्टम एक्सैस प्रभार नहीं लिया जाएगा। बहरहाल, क्रिस यह सुनिश्चित करेगा कि इन काउंटरों से केवल अनारक्षित टिकट ही जारी किए जाएं और इन काउंटरों से आरक्षित टिकट जारी करने की कोई गुंजाइश न हो।

3. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएँ।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(समीर कुमार)
निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)
रेलवे बोर्ड

सं. 2017/टीजी-I/23/पी/वाईटीएसके **दिनांक: .01.2019**

प्रतिलिपि प्रेषित:

प्रधान वित्त सलाहकार एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें।
निदेशक (लेखापरीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें।

कृते वित्त आयुक्त, रेलें

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.
2. सीसीएम/पीएम तथा सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
3. का नि`सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक वित्त (सी), पीपीएस/एफसी, वि का अधिकारी/टी सी, एफ (सी) तथा सतर्कता (एस एस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
4. प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बी 148, 11 वां तल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001.
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण एवं प्रोफेसर/वाणिज्यि रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/ मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-226011.
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली ।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे. एल. नेहरू रोड, कोलकाता-71।

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAY (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)
*****

No. 2018/TG-1/23/YTSK-GST New Delhi, Dated 29.01.2019

Principal Chief Commercial Managers, All Zonal Railways.	GM/PRS, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi-110021.

(Commercial Circular no. 04 of 2019)

Sub: Accounting and GST (Goods & Services Tax) process flow in respect of YTSK (Yatri Ticket Suvidha Kendra) transactions.

Ref: (i) Northern Railway's letter no. 315/MC/Policy YTSK/2014 dt. 01.01.2019.
(ii) South Central Railway's letter no. C/CR/YTSK/ Correspondence/14-17 dt. 26.11.2018.

Instructions delineating applicability of GST on YTSK had been issued vide Commercial Circulars no. 45/2017 and 05/2018. However, queries have, thereafter, been raised by Zonal Railways and YTSK Associations vis-a-vis Accounting procedure in respect of YTSK related transactions. In response, inputs have been taken from Northern and South Central Railways vide letters referred to above.

2. Based on the feedback furnished by Northern and South Central Railways, the matter has been examined in consultation with Accounts Directorate of the Ministry of Railways. Accounting and GST process flow vis-a-vis YTSK related transactions clarifying the methodology for collection and deposit of GST by YTSK has now been framed. The same is enclosed herewith.

2.1 Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.

3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

DA: As above.

29/1/19
(Samir Kumar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

No. 2018/TG-1/23/YTSK-GST Dated: 29.01.2019

Copy forwarded to:
PFA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.

29.1.19
for Financial Commissioner, Railways

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

****

Accounting and GST process flow in respect of YTSK transaction

- Commercial Circular No. 05/2018 clearly brings out that Service charges collected for booking of a ticket through YTSK licensee form an integral part of the value of the transportation of service provided by IR. Therefore the service charges will be subjected to the same tax treatment as applicable to the underlying transportation services for which tickets are issued.

Type of Transactions	Transaction	GST Implications	Accounting Entry	Remarks
Passenger Earnings	PRS issued through YTSK--- Taxable transactions (i.e AC Class)	GST @ 5% shall be levied on the entire ticket cost including service charges	a) GST Received will be accounted in Deposit Miscellaneous -GST; b) Passenger Earnings will be credited to Earning Head; c) Service Charges (YTSK) portion will be credit to Deposit Miscellaneous	CRIS-PRS team to provide necessary MIS reports to concerned Zonal Railways, on the basis of which Accounting Entries will be passed in the Zonal Railway's Books.
-do-	PRS issued through YTSK--- Exempted transactions (i.e non-AC Class)	There will be no incidence of GST levy	a) Passenger Earnings will be credited to Earning Head; b) Service Charges (YTSK) portion will be credit to Deposit Miscellaneous	-do-
Service Charges payable to YTSK	YTSK to raise Invoice on Zonal Railways for receiving their share of Service Charges on both Taxable Ticket and non-Taxable	• In case YTSK is registered under GST, then Tax Invoice for their share of Service Charges plus GST @ 18% shall be levied;	a) Deposit Misc.-Dr Misc. Advance (GST) ---Dr To Cheques and Bills ----Cr. (For Registered YTSK Tax Invoice	-do-

Type of Transactions	Transaction	GST Implications	Accounting Entry	Remarks
	Tickets	• If YTSK is not registered under GST, then no GST levied by them in the Invoice;	payments) b) Deposit Misc.-Dr To Cheques and Bills ----Cr. (For Unregistered YTSK Invoice payments) Note:- Input Tax Credit will be availed by Railways on the basis of accounting entry made at (a) above.	

-x-x-x-

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

****

सं. 2018/टीजी-I/23/वाईटीएसके-जीएसटी

नई दिल्ली, दिनांक: 29.01.2019

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें.	महाप्रबंधक/पीआरएस, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

(2019 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 04)

विषय: वाईटीएसके (यात्री टिकट सुविधा केंद्र) लेनदेन के संबंध में लेखांकन और जीएसटी (माल एवं सेवा कर) प्रक्रिया।

संदर्भ: (i) उत्तर रेलवे का दिनांक 01.01.2019 का पत्र सं 315/एमसी/पॉलिसी वाईटीएसके/2014
(ii) दक्षिण मध्य रेलवे का दिनांक 26.11.2018 का पत्र सं सी/सीआर/ वाईटीएसके/ कॉरेसपोंडेंस / 14-17

अनुदेश, जिनमें वाईटीएसके पर जीएसटी की प्रयोजनीयता वर्णित की गई हैं, वाणिज्यिक परिपत्र सं. 45/2017 और 05/2018 के तहत जारी किए गए थे। हालांकि, इसके बाद, क्षेत्रीय रेलों और वाईटीएसके एसोसिएशनों द्वारा वाईटीएसके से संबंधित लेनदेन के बारे में लेखांकन प्रक्रिया के संबंध में प्रश्न उठाए गए हैं। इसके जवाब में, उत्तर और दक्षिण मध्य रेलवे से उपरोक्त संदर्भित पत्रों के तहत जानकारी प्राप्त की गई है।

2. उत्तर और दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर, रेल मंत्रालय के लेखा निदेशालय के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है। लेखांकन और जीएसटी प्रक्रिया तथा वाईटीएसके से संबंधित लेनदेन को स्पष्ट करते हुए वाईटीएसके द्वारा जीएसटी के संग्रहण और जमा करने की कार्यप्रणाली तैयार की गई है। यह इस पत्र के साथ संलग्न है।

2.1 तदनुसार सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोक्त

(समीर कुमार)
निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)
रेलवे बोर्ड

सं. 2018/टीजी-I/23/वाईटीएसके-जीएसटी

दिनांक: 29.01.2019

प्रतिलिपि प्रेषित:
पीएफए एवं सीएओ, सभी क्षेत्रीय रेलें
निदेशक, (लेखा-परीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें

कृते वित्त आयुक्त, रेलें

<u>प्रतिलिपि प्रेषित</u>:

1) सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें

2) कार्य निदेशक सतर्कता(यातायात), कार्य निदेशक वित्त वाणिज्य, निदेशक वित्त (वाणिज्य), प्रधान निजी सचिव/एफसी, ओएसडी/टीसी, एफ(सी) और वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड

3) महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली

4) जीजीएम/आईटी/आईआरसीटीसी, बी148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्यिक, एनएआईआर, वडोदरा

6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर

7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिच्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ, 226011

8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली

9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली

10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली

11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली

12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली

13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे. एल. नेहरू रोड, कोलकाता-71

14) प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन निमिटेड, बेलापुर भवन, प्लॉट सं. 6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614

वाईटीएसके लेनदेन के संबंध में लेखांकन और जीएसटी प्रक्रिया

वाणिज्यिक परिपत्र सं. 05/2018 में स्पष्ट रूप से उल्लेखकिया गया है कि वाईटीएसके लाइसेंसधारी के माध्यम से बुक किए गए टिकट का सेवा प्रभार भारतीय रेल द्वारा प्रदान की गई परिवहन सेवा का एक अविभाज्य हिस्सा है। इसलिए सेवा प्रभार उसी समान कर उपाय के अध्यधीन होंगे जो अंतर्निहित परिवहन सेवाओं पर लागू होते हैं जिनके लिए टिकट जारी किए जाते हैं।

लेन-देन के प्रकार	लेन-देन	जीएसटी निहितार्थ	लेखांकन प्रविष्टि	टिप्पणियां
यात्री आय	वाईटीएसके के माध्यम से जारी पीआरएस---- कर योग्य लेनदेन (अर्थात एसी क्लास)	सेवा प्रभार सहित संपूर्ण टिकट की लागत पर 5%की दर से जीएसटी लगाया जाएगा	क) प्राप्त किए गए जीएसटी को जमा-विविध-जीएसटी में हिसाब में लिया जाएगा; ख) यात्री आय को आय शीर्ष में क्रेडिट किया जाएगा; ग) सेवा प्रभार (वाईटीएसके) भाग को विविध जमा में क्रेडिट किया जाएगा	क्रिस-पीआरएस टीम संबंधित क्षेत्रीय रेलों को आवश्यक एमआईएस रिपोर्ट मुहैया कराएंगी, जिसके आधार पर क्षेत्रीय रेलों की लेखा पुस्तकों में लेखांकन प्रविष्टियां पारित की जाएंगी।
-वही-	वाईटीएसके के माध्यम से जारी पीआरएस---- कर मुक्त लेनदेन (अर्थात गैर एसी क्लास)	जीएसटी लगाने का कोई मामला नहीं है।	क) यात्री आय को आमदनी शीर्ष में क्रेडिट किया जाएगा; ख) सेवा प्रभार (वाईटीएसके) भाग को विविध जमा में क्रेडिट किया जाएगा	-वही-
वाईटीएसके को देय सेवा प्रभार	वाईटीएसके कर योग्य टिकट और गैर- कर योग्य टिकट दोनों पर सेवा प्रभार के अपने हिस्से को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय रेलों पर बीजक तैयार करेंगे।	यदि वाईटीएसके जीएसटी के तहत पंजीकृत है, तो कर बीजक में सेवा प्रभार प्लस 18% की दर से जीएसटी लगाया जाएगा;	क) जमा विविध-डेबिट विविध अग्रिम जीएसटी--डेबिट चेक और बिल को ----क्रेडिट (पंजीकृत वाईटीएसके कर बीजक भुगतान के लिए)	-वही-
		यदि वाईटीएसके जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं है, तो उनके द्वारा बीजक में	ख) जमा विविध-डेबिट चेक और बिल ----क्रेडिट(गैर पंजीकृत वाईटीएसके बीजक	

		कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।	भुगतान के लिए) नोट:- उक्त (क) में की गई लेखांकन प्रविष्टि के आधार पर रेलवे द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जाएगा।	

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)

MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)

(RAILWAY BOARD) (रेलवे बोर्ड)

No.2017/TG-I/23/P/YTSK New Delhi, Dated:29.01.2019

The Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular no. 03 of 2019)

Sub: Modifications in YTSK policy.

Ref: Commercial Circular Nos. 35, 37, 39, 40 & 45 of 2014 and 21 & 59 of 2015.

In the YTSK scheme issued/modified vide instructions mentioned above, there is a provision for realization of system access charge from the YTSK licensee @ 1.6 lakh per terminal at the time of each renewal. Further, instructions were issued vide CC No. 55 of 2017, inter-alia, advising that in case YTSKs desire to have separate PRS and UTS terminal, the same may be provided to them. However, the entire cost for its installation as well as recurring cost of its maintenance shall be borne by the licensee.

2. A clarification was sought by Northern railway regarding realization of system access charge for the separate UTS terminals provided to YTSK licensee. The matter has been examined in Board's office and it has been decided that no system access charges should be realized for exclusive UTS counter provided to YTSK for issuing only unreserved tickets from their premises. CRIS shall, however, ensure that only unreserved tickets are issued from such counters and there is no scope of issuing reserved tickets from these counters.

3. Necessary instructions may be issued to all concerned.

4. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

29/1/19

(Samir Kumar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

No. 2017/TG-I/23/P/YTSK **Date: 29.01.2019**

Copy forwarded to:

PFA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.

29.1.19

for Financial Commissioner, Railways

Copy to:

-2/-

Copy to:

1. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
2. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
3. EDV(T),EDFC,DF(C),PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
4. MD/IRCTC,B 148,11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
5. DG, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central Railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

*****

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.2017/टीजी-I/23/पी/वाईटीएसके नई दिल्ली, दिनांक: 29.01.2019

प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2019 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.03)

विषय: वाईटीएसके नीति में आशोधन।

संदर्भ: 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 35, 37, 39, 40 & 45 और 2015 के 21 एवं 59.

उक्त उल्लिखित अनुदेशों के तहत जारी/आशोधित की गई वाईटीएसके योजना में, वाईटीएसके लाइसेंसधारी से प्रत्येक नवीकरण के समय 1.6 लाख प्रति टर्मिनल की दर से सिस्टम एक्सैस प्रभार वसूल करने का प्रावधान है। इसके अलावा, 2017 के सीसी सं. 55 के तहत अनुदेश जारी किए गए थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया गया था कि यदि वाईटीएसके पीआरएस और यूटीएस टर्मिनल अलग-अलग चाहते हैं, तो उन्हें वह प्रदान किया जाए। बहरहाल, टर्मिनल की स्थापना की कुल लागत और उसके रख-रखाव की आवर्ती लागत लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी।

2. उत्तर रेलवे द्वारा वाईटीएसके लाइसेंसधारी को अलग से मुहैया कराये गए यूटीएस टर्मिनल के लिए सिस्टम एक्सैस प्रभार वसूल करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। बोर्ड कार्यालय में इस मामले की जांच की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि वाईटीएसके से उनके परिसर से केवल अनारक्षित टिकट जारी करने के लिए मुहैया कराए गए विशेष यूटीएस काउंटर के लिए कोई सिस्टम एक्सैस प्रभार नहीं लिया जाएगा। बहरहाल, क्रिस यह सुनिश्चित करेगा कि इन काउंटरों से केवल अनारक्षित टिकट ही जारी किए जाएं और इन काउंटरों से आरक्षित टिकट जारी करने की कोई गुंजाइश न हो।

3. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएँ।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(समीर कुमार)
निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)
रेलवे बोर्ड

सं. 2017/टीजी-I/23/पी/वाईटीएसके **दिनांक: .01.2019**

प्रतिलिपि प्रेषित:

प्रधान वित्त सलाहकार एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें।
निदेशक (लेखापरीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें।

कृते वित्त आयुक्त, रेलें

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.
2. सीसीएम/पीएम तथा सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
3. का नि`सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक वित्त (सी), पीपीएस/एफसी, वि का अधिकारी/टी सी, एफ (सी) तथा सतर्कता (एस एस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
4. प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बी 148, 11 वां तल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001.
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण एवं प्रोफेसर/वाणिज्यि रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/ मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-226011.
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली ।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे. एल. नेहरू रोड, कोलकाता-71।

GOVERNMENT OF INDIA (भारतसरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेलमंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवेबोर्ड)

No.2022/TG-I/23/1-YTSK **New Delhi, Dated: 14.02.2022**

PCCMs,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular No. 03 of 2022)

Sub: Delegation of powers to DRMs on matters related to Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK) scheme.

Ref: Commercial Circulars no. 33 of 2014 and 41 of 2018.

The YTSK scheme was launched vide CC no.33 of 2014 and based on feedback, certain provisions of the scheme have been modified from time to time.

1.1 Based on the feedback received from zonal Railways, the issue regarding delegation of powers to DRMs on matters related to functioning of YTSK has been examined in this office. It has been observed that at present acceptance of recommendations of the JAG level divisional screening committee for selection of YTSKs and shifting of YTSK premises require approval at Headquarters level (CCM/PM), which is quite time consuming and warrant clarifications from the divisions. It has been felt that these functions may be delegated to the DRMs of respective divisions, who are better placed in terms of geographical proximity of the proposed YTSK locations, local conditions and their suitability for the allotment.

2. The matter has, therefore, been examined in consultation with Finance Directorate of Ministry of Railways and the following has been decided:-

S. No.	RB POLICY	Existing	Modified
1	Para 3 of CC NO. 35 of 2014	CCM(PM) /CCM (PS) of the concerned Zonal Railway is the accepting authority for accepting the recommendations of the JAG level screening committee.	The words "CCM(PM)/CCM(PS)" should be replaced with the word "DRM".
2	Para 12 of CC No. 39 of 2014	The licensee shall not reduce the facilities or shift this office to any other locations without the prior written approval of the CCM/CCM(PM)/ CCM(PS) of concerned Zonal Railway.	The words "CCM(PM)/CCM(PS)" should be replaced with the word "DRM".

O/c

रेल मंत्रालय
Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड / Railway Board
अनुलग्नक सहित जारी
Issue with Enclosure
हस्ताक्षर
Signature
जारी की तिथि
Date of Issue

14/2/22 JDTM

14.02.2022

--2/--

2.1 Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.

3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

14/2/2022

(Sanjay Manocha)
Jt. Director Passenger Marketing
Railway Board

No. 2022/TG-I/23/1-YTSK **New Delhi, Dated: 14.02.2022**

Copy forwarded to:-
The PFAs, All Zonal Railways.

14.02.2022
for Member Finance,
Railway Board.

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

****